—o—

चौथा भाग—आर्थिक स्थिति।

हिंदुस्तान ।

तीसरा भाग—शासन ।

१—पूर्व व्यवस्था ।

इस बात को अच्छी तरह समझने के लिये कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य किस प्रकार होता है, पूर्व राज्यों का संक्षेप रूप से हाल जानना तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से अंग्रेज़ी राज्य की बढ़ती का हाल मालूम करना केवल आवश्यक ही नहीं है, किंतु मनोरंजक भी है।

किस प्रकार आर्यों ने वैदिक युग में सिंधु नदी पर शासन किया, अथवा किस प्रकार भिन्न भिन्न हिंदु राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, उदय और अस्त हुआ, इन बातों के जानने के लिये हमारे पास कोई भी सामग्री नहीं है। मनु महाराज का बनाया हुआ मानव धर्मशास्त्र अवश्य है जिसके विषय में लोक मत यह है कि ई० सन से दूसरी शताब्दी पूर्व तथा दूसरी शताब्दी पश्चात् के बीच में किसी समय इसकी रचना हुई है। उस समय की वर्णव्यवस्था का इससे निस्संदेह अच्छी तरह ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज़ आदि अनेक यूनानी लोग हिंदुस्तान

करती थी। अकबर का दरबार बड़ा शानदार था। उसकी सफलता का मूल कारण यह था कि उसने आज कल के समान सब धर्मावलंबियों को अपने इच्छानुसार धर्मपालन की आज्ञा दे रक्खी थी और वह हिंदुओं से मित्रता का व्यवहार रखता था। उसने अपने राज्य को दृढ़ नीव पर स्थिर कर रक्खा था। यदि औरंगज़ेब उसकी नीति को न बदलता तो मुग़ल राज्य का कभी इतनी जल्दी पतन नहीं होता। अकबर का राज्य पश्चिम में कंधार से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में दक्षिण तक फैला हुआ था। उसने अपने राज्य को १५ सूबों में बाँट रक्खा था। हर एक सूबा एक सूबेदार के अधिकार में था जिसको फ़ौजी और मुल्की दोनों प्रकार के संपूर्ण अधिकार थे। मालगुज़ारी की संपूर्ण व्यवस्था राजा टोडरमल के प्रबंध से बिलकुल नए ढंग पर की गई थी। कुल ज़मीन की नाप की गई और हर एक एकड़ की पैदावार मालूम करके राज्य का हिस्सा कुल पैदावार का एक तिहाई नियत किया गया। इसके अतिरिक्त अनाज देने के बदले में नक़द रुपया देने का प्रबंध किया गया और उसके लिये अनाज का रेट (भाव) क़ायम किया गया। आरंभ में ये बंदोबस्त प्रति वर्ष हुआ करते थे परंतु पीछे से बेचारे निर्धन किसानों को अनावश्यक दुःख और कष्ट से बचाने के लिये दसवें वर्ष होने लगे। ज़मीन का लगान (भूमिकर) बड़ी सख़्ती से वसूल किया जाता था। हर एक गांव में एक मुखिया

ाता था जो मालगुज़ार कहलाता था। उसके कर्तव्य और अधिकार गांव में वैसे ही होते थे जैसे आज कल कलक्टर और मैजिस्ट्रेट,के ज़िले में होते हैं। मालगुज़ार को पुलिस और माल ानों के अधिकार थे और किसानों की भलाई के हर एक काम में उसका हाथ था। हर एक बड़े शहर में एक मैजिस्ट्रेट होता था जो कोतवाल कहलाता था। पुलिस तथा अन्य समस्त स्थानीय काम उसके अधिकार में होते थे। देहात में कोई प्रबंध राज्य की ओर से पुलिस का नहीं था। यहां के लोग अपनी रक्षा के लिये स्वयं अपने चौकीदार रखते थे। न्याय मीर-आदिल और क़ाज़ी (जो मुसलमानी कानून से अच्छी तरह परिचित होता था) की अदालत से होता था। क़ाज़ी मुक़द्दमें की जांच करता था और कानून बयान करता था और मीर-आदिल फैसला सुनाता था। इस पद्धति पर मुग़ल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राज्य किया।

अकबर की चतुर और गंभीर नीति को औरंगज़ेब के पक्षपात ने बिलकुल पलट दिया। उसके समय में सिक्खों का बल दिन दिन बढ़ने लगा। सन १७०७ ई० में औरंगज़ेब की मृत्यु पर मुगलराज्य की बिलकुल अवनति हो गई और उसका पतन होना शुरू हो गया। थोड़े दिनों के लड़ाई झगड़े के बाद ही अंग्रेज़ी राज्य ने उसका स्थान ले लिया।

ब्रिटिश इंडिया—ब्रिटिश इंडिया का इतिहास तीन कालों में विभक्त है। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ से अठारहवीं

शताब्दी के बीच तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था थी जो हिंदुस्तान के बादशाहों की आज्ञा से इंगलैंड और फ्रांस की कंपनियों के साथ साथ इस देश में व्यापार करती थी। अट्ठारहवीं शताब्दी के मध्य से सौ वर्ष से कुछ अधिक समय तक यह कंपनी धीरे धीरे अपना अधिकार और ऐश्वर्य बढ़ाती रही और व्यापारिक श्रेणी से निकल कर शासक बन गई। यद्यपि ब्रिटिश पार्लामेंट समय समय पर इसके अधिकारों को परिमित करती रहती थी और इसे मुल्क हासिल करने से रोकती रहती थी तथापि सन् १८५७ ई० के ग़दर के बाद ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान का राज्य अपने हाथ में ले लिया।

ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती—सितंबर सन् १५९९ ई० में लंदन के व्यापारियों ने एशिया में व्यापार करने के लिये एक कंपनी कायम करने का इरादा किया। ३१ दिसंबर सन् १६०० ई० को महारानी एलिज़बेथ ने २१६ आदमियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंतरीप गुड़होप से मेगेलेन के बीच के तमाम मुल्कों के साथ व्यापार करने का पूर्ण अधिकार दे दिया। लगभग १५० वर्ष तक यह कंपनी केवल व्यापार करती रही और कारख़ाने वग़ैरह बनाने के लिये एक स्थान के बाद दूसरा स्थान लेती रही। इस तरह मद्रास, बंबई, कलकत्ता मुख्य शहर बन गए। ये ही शहर आजकल हिंदुस्तान के सब से बड़े शहर समझे जाते हैं। मद्रास सन् १६३९ में चंद्रगिरि के राजा से लगान पर लिया गया था।

बंबई सन् १६६१ में इंगलैंड को पुरतगाल से दहेज़ में मिला था। इंगलैंड ने सन् १६६८ ई० में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कलकत्ते की सन् १६८६ ई० में जान चारनक ने नींव डाली। चूंकि ये तीनों शहर कंपनी के व्यापार केंद्र थे अर्थात् कंपनी की तिजारत अधिकतर इन्हीं शहरों में हेाती थी और इन्हीं में कंपनी की बड़ी बड़ी कोठियां थी, इस कारण ये शहर बहुत जल्दी आबादी में बढ़ गए। इसी समय इंगलैंड में एक कंपनी व्यापार करने के अभिप्राय से और स्थापित हुई और पुरानी कंपनी को अपने अधिकारों के लिये बड़ा झगड़ा करना पड़ा। अंत में सन् १७०२ ई० में दोनों कंपनियां मिलकर एक हो गई और उनके कर्तव्य और अधिकार पार्लामेंट के नियमों द्वारा निश्चित होने लगे। इस प्रकार एक नया रूप धारण करके यह कंपनी लगभग ५० वर्ष तक चुप चाप व्यापार करती रही, परंतु अब हिंदुस्तान के राजनैत्तिक विषयों में भी यह येाग लेने लगी। करीब करीब १०० वर्ष तक भिन्न भिन्न जातियों में प्रभुत्व के लिये लगातार झगड़ा होता रहा। मुगल साम्राज्य की दिन दिन अवनति हेाने लगी और मरहठों की शक्ति बढ़ने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि हिंदुस्तान के राजे कंपनी की रक्षा नहीं कर सकते तेा उसने अपनी रक्षा के लिये स्वयं उपाय करने शुरु किए और फ्रांस के साथ विरोध होने के कारण उसको हिंदुस्तान के राजनैतिक विषयों में विवश हस्तक्षेप करना पड़ा। इस समय का इति-

हास भिन्न भिन्न साम्राज्यों के संघर्ष और विरोध से परिपूर्ण है। अंत में कंपनी की विजय हुई और उसने मुल्कों को जीतना और उनको अपने अधिकार में लाना तथा अपना बल और पराक्रम बढ़ाना शुरू किया। यह सिलसिला सन् १८५७ के गदर तक जारी रहा। उसके बाद जैसा पहले लिखा जा चुका है हिंदुस्तान का राज्य कंपनी के हाथ से निकल कर ब्रिटिश सरकार के अधिकार में आ गया।

कंपनी का शासन और पार्लमेंट का प्रतिबंध— कंपनी के शासन काल में ब्रिटिश पार्लमेंट ने कंपनी की अनुचित कार्रवाइयों को रोकने के लिये कितने ही कानून बनाए। सन् १७७३ ई० में लार्ड नार्थ (Lord North) ने एक रेगूलेटिंग एक्ट (Regulating Act) बनाया जिससे फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का शासन करने के लिये एक गवरनर-जेनरल (बड़ा लाट) और उसकी कौंसिल के चार मेंबर नियत हुए और बंबई तथा मद्रास के गवरनर भी इनके अधीन रहे। पिट साहब के सन् १७८४ ई० के बिल के अनुसार हिंदुस्तान का प्रबंध करने के लिये इंगलैंड में एक पंचायत (Board of Control) नियत हुई। इसने प्रसिडेंसी में एक एक गवरनर और उनकी कौंसिल के तीन तीन मेंबर नियत [illegible]। इन तीन में एक मेंबर प्रेसिडेंसी फौज का सेनापति (Commander-in-chief) होता था। गवरनर जेनरल और उसकी कौंसिल के (Governor general-in-council)

मद्रास और बंबई के गवरनरों पर अधिकार और भी बढ़ा दिए गए। सन् १८१३ ई० में नए शासनपत्र (Charter Act) के अनुसार केवल चीन के साथ चाय की तिजारत करने के सिवाय और सब अधिकार तिजारत के कंपनी से छीन लिए गए। सन् १८३३ ई० में कंपनी को व्यापार का काम बिलकुल छोड़ देना पड़ा और उस समय से वह व्यापारिक कंपनी के स्थान में शासक कंपनी हो गई। २३ वर्ष तक यही हालत रही। इसके बाद पार्लामेंट के एक्ट के अनुसार हिंदुस्तान का राज्य इंगलैंड के बादशाह को मिल गया और गवरनर जेनरल का नाम वाइसराय हो गया। यद्यपि उस समय से अब तक शासन प्रबंध में अनेक छोटे छोटे परिवर्तन हुए, परंतु उनके उल्लेख करने की यहां कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती।

२—हिंदुस्तान का शासन।

संपूर्ण हिंदुस्तानी राज्य दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—१. ब्रिटिश हिंदुस्तान (अंग्रेज़ी राज्य), २. देशी रियासतें। ब्रिटिश हिंदुस्तान सीधा गवरनर जेनरल के अधीन है परंतु देशी रियासतें हिंदुस्तानी राजाओं और नवाबों के अधीन हैं। इनको मुख्य मुख्य विषयों में ब्रिटिश सरकार की सम्मति माननी पड़ती है। इनके अधिकार भी ब्रिटिश सरकार के साथ सनद या संधि के अनुसार परिमित हैं। ब्रिटिश हिंदुस्तान का क्षेत्रफल ९७६००० वर्ग मील है और जन संख्या २४४०००, ००० है। देशी रियासतें हिंदुस्तान में ७०० के करीब हैं। उनका क्षेत्रफल ८२४००० वर्ग मील है और जन संख्या ७१०००,००० है।

ब्रिटिश हिंदुस्तान में ८ बड़े प्रांत और ७ छोटे प्रांत हैं। प्रत्येक प्रांत का एक उच्च कर्मचारी है जिसको अपने प्रांत के शासन का पूर्ण अधिकार है और जो भारत सरकार (Imperial Government) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपने प्रांत का शासन और प्रबंध करता है। ये प्रांत एक ही राज्य की शाखाएँ हैं, इस कारण से यह अत्यावश्यक है कि इनका ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि जिससे ये अपने निज के लाभों के कारण आपस में एक दूसरे से न झगड़ सकें। प्राचीन

काल में हिंदुस्तान अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था और ऐसा कोई मध्यवर्ती राज्य न था जो इन सब को अपने वश में रखता और इनके झगड़ों को शांत करता। इसका परिणाम यह हुआ कि ये सदा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कहीं शांति न थी। सर्वत्र खलबली मची रहती थी। इस नित्य के झगड़े से देशोन्नति और प्रगति में बड़ी भारी क्षति पहुँचती थी। अतएव यदि वे राज्य थोड़े दिनों तक ही जीवित रह सके और शीघ्र काल के ग्रास बन गए तो इसमें कोई संदेह या आश्चर्य की बात नहीं है। अब भी यदि उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों को स्वतंत्र बना दिया जाय और उनको बागडोर किसी एक मुख्य शक्ति या व्यक्ति के हाथ में न रहे तो वैसी ही हालत हो जाय। इस कारण से अब एक मध्यवर्ती शक्ति अर्थात् भारतीय गवरमेंट स्थापित की गई है जो प्रांतीय गवरमेंटों को अपने अधिकार में रखती है। भारतीय गवरमेंट की आवश्यकता मुख्यतया तीन कारणों से है।

प्रथम तो भारतीय गवरमेंट की इस कारण से आवश्यकता है कि जिससे समस्त प्रांतों को समान लाभ पहुँच सके। यदि भारतीय गवरमेंट न हो तो सँभव है कि एक प्रांत दूसरे प्रांत से किसी बात में पीछे रह जाय। मध्यवर्ती गवरमेंट से केवल पृथक पृथक प्रांत को ही लाभ नहीं पहुँचता किंतु संपूर्ण राज्य को भी लाभ पहुँचता है। इसमें संदेह नहीं कि

भारतीय गवरमेंट के होने से यह संभव है कि किसी प्रांत की बढ़ती के लिये किसी दूसरे प्रांत की बढ़ती में कुछ दिनों के लिये बाधा पहुँचे, परंतु यह अच्छा है कि एक प्रांत की अपेक्षा सब प्रांतों की उन्नति हो। चाहे एक प्रांत विशेष उन्नति न कर सके किंतु अन्य प्रांत अवनत दशा में न रहने चाहिएँ। संपूर्ण अंग की बढ़ती से ही उसके प्रत्येक अवयव की बढ़ती समझी जाती है।

दूसरे, शासन के लिये यद्यपि हिंदुस्तान अनेक प्रांतों में विभक्त हो रहा है तथापि अफगानिस्तान, ईरान, चीन, स्याम आदि सीमावर्ती विदेशीय राज्यों से व्यवहार रखने के लिये एक मध्यवर्ती भारतीय गवरमेंट की आवश्यकता है। यदि निकटवर्ती प्रांतीय गवरमेंटों को ही विदेशी राज्यों से संबंध रखने का अधिकार दे दिया जाय तो इस बात की संभावना की जा सकती है कि वे उनसे ऐसी संधियां कर लेवें जिनसे उनको तो लाभ पहुँचे किंतु अन्य प्रांतों को हानि उठानी पड़े और इससे संपूर्ण राज्य को धक्का पहुँचे। इस कारण से संपूर्ण हिंदुस्तान की प्रतिनिधि स्वरूप एक भारतीय गवरमेंट का होना जरूरी है।

तीसरे, इस कारण से भारतीय गवरमेंट की आवश्यकता है कि जिससे शासन में सर्वत्र समान नीति का व्यवहार किया जाय। यदि भारतीय गवरमेंट न हो तो संभव है कि प्रांतीय गवरमेंटें केवल अपने ही प्रांत की ओर दृष्टि रक्खें और उसी

के लाभार्थ नीति का व्यवहार करें और इस बात की कोई परवाह न करे कि दूसरे प्रांतों में भी इस नीति का पालन होता है या नहीं। भारतीय गवरमेंट प्रांतीय गवरमेंटों से निर्पेक्ष समान नीति का व्यवहार करती रहती है।

अतः इस बात की बड़ी भारी जरूरत है कि एक बलवान मध्यवर्ती गवरमेंट होनी चाहिए जो संपूर्ण हिंदुस्तान पर शासन कर सके। ब्रिटिश राज्य में ऐसी गवरमेंट का नाम 'भारत गवरमेंट' (Government of India) है। इस गवरमेंट का उच्च कर्मचारी गवरनर जनरल आफ़ इंडिया हैं जिनको वायसराय भी कहते हैं। वे इंगलैंड के उच्च घरानों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और ५ वर्ष के लिये नियुक्त किए जाते हैं। उनको अढ़ाई लाख रुपया वार्षिक वेतन मिलता है। विना अपने पद से स्तीफ़ा दिए वे हिंदुस्तान को नहीं छोड़ सकते। उनकी सहायता के लिये दो कौंसिलें होती हैं—(१) एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल (Executive Council) (२) लेजिसलेटिव कौंसिल (Legislative Council)। एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल में वायसराय के अतिरिक्त ६ साधारण मेंबर और एक जंगी लाट (Commander-in-Chief) सातवें असाधारण सदस्य होते हैं। लेजिसलेटिव कौंसिल में एक्ज़िक्यूटिव कौंसिल के मेंबर, गवरमेंट के उच्च कर्मचारी, प्रजापक्ष के प्रतिनिधि गण तथा अन्य ऐसे व्यक्ति भी मेंबर होते हैं जिन को बड़े लाट विशेष कारणों से योग्य समझें।

प्रतिनिधियों में बहुतों को तो प्रजा चुनती है और कुछ को गवरमेंट स्वयं चुन लेती है। सन् १६०९ के इंडियन कौंसिल एक्ट के अनुसार भारतीय और प्रांतीय दोनों गवरनमेंटों की लेजिसलेटिव कौंसिलों में बहुत कुछ सुधार और परिवर्द्धन हुआ है और नए नियम पास हुए हैं जिस से हिंदुस्तानियों को राजनीति और शासन संबंधी विषयों में अपने विचार प्रगट करने तथा योग देने का अधिक मौका मिले।

भारतीय गवरमेंट निम्नलिखित विभागों में विभक्त है—(१) विदेशीय विभाग (Foreign), (२) अंतरंग विभाग (Home), (३) कर तथा कृषि विभाग (Revenue and agriculture), (४) अर्थ विभाग (Finance), (५) शिल्प वाणिज्य विभाग (Commerce and Industry), (६) न्याय-निर्देश विभाग (Legislative), (७) इमारत विभाग (Public works), (८) सेना विभाग (Army), (९) शिक्षा विभाग (Education)।

ये विभाग बड़े लाट की कार्यकारणी कौंसिल (Executive Council) के भिन्न भिन्न सदस्यों के अधीन हैं। इन सदस्यों का चुनाव बादशाह की राय से भारतीय राष्ट्र सचिव (Secretary of State) द्वारा होता है। इमारत, कर तथा कृषि इन तीन विभागों को छोड़ कर शेष विभाग पृथक पृथक सदस्यों के अधीन होते हैं। इन तीन विभागों का एक ही सदस्य होता है। हर एक सदस्य के अधीन एक मंत्री, एक

संयुक्त मंत्री, एक सहायक मंत्री, एक उपमंत्री और अनेक क्लर्क होते हैं। प्रत्येक विभाग अपना अपना कार्य करता है और हुक्म के लिये उस विभाग के सदस्य के पास काग़ज़ भेजता है। साधारण विषयों में उक्त सदस्य को ही पूर्ण अधिकार रहता है और उसी का हुक्म अंतिम समझा जाता है, परंतु जब किसी विषय में दो या अधिक विभागों की सम्मति में भिन्नता होती है अथवा प्रांतीय गवरमेंट की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है तो उस दशा में वह विषय बड़े लाट के पास भेजा जाता है। बड़े लाट या तो स्वयं उस पर हुक्म दे देते हैं या वे कुल कार्रवाई कौंसिल के सम्मुख रख देते हैं। नीति अथवा न्याय सम्बंधी विषय उक्त कौंसिल द्वारा ही तै होते हैं। कौंसिल की बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार होती है परंतु असाधारण बैठक जब चाहे हो सकती है। कौंसिल में जो हुक्म होते हैं या जो प्रस्ताव पास होते हैं वे कौंसिल के हुक्म कहलाते हैं। जिस विभाग का विषय कौंसिल के सामने पेश होता है उस विभाग का मंत्री उस समय उपस्थित रहता है और वही कार्रवाई लिखता है। जब किसी विषय में सदस्यों में मतभेद होता है तो उस समय बहु सम्मति से कार्य होता है परंतु बड़े लाट को अधिकार रहता है कि वे कौंसिल के किसी भी फैसले को रद्द कर दें।

प्रत्येक विभाग का क्या क्या कार्य है अब हम थोड़ा सा क्रमानुसार इसी विषय पर लिखते हैं।

विदेशीय विभाग—यह विभाग सर्वथा बड़े लाट के अधिकार में है। विदेशीय राज्यों, सीमावर्ती जातियों और देशीय रियासतों के संबंध में जो कुछ होता है वह सब इसी विभाग द्वारा होता है। अजमेर, मेरवारा के शासन संबंध पर भी इसी विभाग की देख रेख है। उत्तरीय पश्चिमीय सीमावर्ती प्रांत तथा ब्रिटिस बिलूचिस्तान के शासन प्रबंध पर भी इसी विभाग की देख रेख है। उत्तरीय पश्चिमीय सीमावर्ती प्रांत, अफगानिस्तान, फारिस, दक्षिणीय अरब, चीन, स्याम इन देशों से इस विभाग का घनिष्ट संबंध है। हिंदुस्तानी रियासतों का क्षेत्रफल, क्षेत्र और जनसंख्या की अपेक्षा भिन्न भिन्न है और प्रत्येक रियासत के अधिकार वहां के महत्व और इतिहास के अनुसार हैं। कुछ रियासतों को सिक्का ढालने, कर लगाने और फांसी देने के पूर्ण अधिकार हैं परंतु कुछ को केवल नाम मात्र के अधिकार हैं। राजाओं के अधिकार संबंधी जितनी बातें हैं वे सब सनदों, संधियों और रिवाजों के अनुसार हैं। पहले मुख्य मुख्य देशी राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी थे और उसके साथ उन्होंने बराबरी की शर्तों पर संधियां कर रक्खी थीं परंतु पहली जनवरी सन् १८७७ ई० को जब रानी विक्टोरिया हिंदुस्तान की महरानी हुईं, हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न राजाओं ने ब्रिटिश गवरमेंट को अपना उच्चाधिकारी समझा। आजकल प्रायः हर एक बड़ी

रियासत में गवरमेंट का एक प्रतिनिधि रहता है जो रेजिडेंट (Resident) कहलाता है।

अजमेर मेरवार, उत्तरीय पश्चिमीय सीमावर्ती प्रांत तथा ब्रिटिश बिलूचिस्तान इस विभाग के अधीन हैं। यहां के विषयों को यह विभाग पूरी पूरी देख भाल रखता है। इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स, केडेट तथा राजकुमार कालिजों संबंधी बातें इसी विभाग के अधिकार में हैं। जो लोग राजा तथा प्रजा के हितार्थ महत्तीय सेवा करते हैं उनको पदवियां भी यही विभाग प्रदान करता है।

२—अंतरंग विभाग—(Home Department) इस विभाग का अधिकारी इंडियन सिविल सरविस का सीनियर मेंबर होता है। आंतरिक राजनीति, न्याय व्यवस्था, जेल, पुलिस, तथा विशेष कानूनों का निर्माण आदि विषय इस विभाग के अधीन होते हैं। न्याय विषयक संपूर्ण बातों में इस विभाग को पूर्ण अधिकार होता है। प्रांतिक गवरमेंटों के शासन कार्य में भी इसकी देख भाल रहती है। पोर्ट ब्लेयर (Port Blair) का पेनल सेटलमेंट (Penal settlement) भी सर्वथा इसके अधीन है।

३—कर तथा कृषि विभाग—(Revenue and Agriculture Department) भूमिकर का सुप्रबंध करना, कृषि संबंधी खोज और सरवे करना, कृषि की उन्नति करना,

अकाल पीड़ित मनुष्यों और जानवरों की सहायता करना, इस विभाग के कार्य हैं।

४–अर्थ विभाग–(Finance Department) इस विभाग का मेंबर ऐसा व्यक्ति होता है जो या तो कभी इंगलैंड में खजानची रहा हो और रुपए पैसे के कार्य में अनुभवी हो या जो हिंदुस्तान में सिविल सरविस में रहा हो और आर्थिक विषयों में विशेष योग्यता रखता हो। भारतीय तथा प्रांतीय धन का सुप्रबंध करना, कर्मचारियों की छुट्टी, तनख्वाह, पेनशन, वग़ैरह बातों पर विचार करना तथा सिक्कों, नोटों और बंक विषयक प्रश्नों का निर्णय करना–ये सब इसी विभाग के कार्य हैं। अफ़ीम, नमक, स्टांप, आबकारी, आदि से जो आय होती है उसकी तथा टकसाल की देख रेख भी इसी के अधीन है। इस विभाग की एक शाखा सेना का आर्थिक प्रबंध करती है। दूसरी शाखा भारतीय तथा प्रांतीय गवरमेंटों के आय व्यय का प्रबंध करती है। इस शाखा के उच्च कर्मचारी का नाम कंट्रोलर और आडीटर जनरल (Comptroller and Auditor general) है। उसके अधीन प्रांतिक एकाउंटेंट जनरल (Provincial Accountant general) होते हैं और ये समस्त आय व्यय का हिसाब रखते हैं।

५–शिल्प वाणिज्य विभाग (Commerce and Industry Department) यह विभाग सन १९०५ ई० में कायम किया गया था। इसका अध्यक्ष यही नियत

किया जाता है जो इस विषय में बड़ा निपुण और चतुर होता है। शिल्प, व्यापार, रेलें, डाक, तार, चुंगी, खानें आदि ये सब इसी विभाग के अधिकार में हैं। भारतीय कला कौशल और शिल्प वाणिज्य की उन्नति और वृद्धि संबंधी संपूर्ण बातों पर विचार करना इसी का काम है। यह विभाग प्रति दिन उन्नति कर रहा है और भविष्य में बहुत कुछ इससे आशा की जाती है।

६. व्यवस्थापक वा न्यायनिर्देशक विभाग–(Legislative Department) इस विभाग का अध्यक्ष एक बड़ा योग्य और अनुभवी वकील या बैरिस्टर होता है। वह नियम और कानून बनाता है और भारतीय तथा प्रांतिक गवरमेंटों को कानून संबंधी बातों में सलाह देता है। इस विभाग के अध्यक्ष सन १९०८ ई० तक अंग्रेज ही होते रहे। सन १९०९ में सब से पहले एक हिंदुस्तानी नियत हुए। यहां पर बड़े लाट की व्यवस्थापक कौंसिल का उल्लेख करना अनुचित न होगा। जैसा पहले कहा जा चुका है इस कौंसिल में भारत गवरमेंट की एक्जिक्यूटिव कौंसिल के समस्त सदस्य, राज्यकीय कर्मचारी, प्रजा-प्रतिनिधि तथा अन्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको विशेष कारणों से बड़े लाट योग्य समझें। जो सदस्य राज्यकीय कर्मचारी (Official members) नहीं होते हैं उनकी अवधि ३ वर्ष की होती है। जिन प्रांतों में व्यवस्थापक कौंसिलें हैं वहां के सदस्य ही भारतीय व्यवस्थापक

कौंसिल के लिये प्रतिनिधि चुनते हैं। सदस्यों की अवधि तक वे माननीय (Honourable) कहलाते हैं। उन को प्रजाहित संबंधी किसी विषय पर प्रश्न करने का अधिकार है परंतु ऐसे प्रश्न कौंसिल की बैठक से कम से कम १० दिन पहले कौंसिल में पहुँच जाने चाहिएं। उसी विषय पर विशेष बात जानने के लिये बैठक के वक्त भी प्रश्न किया जा सकता है। पास होनेवाले बिलों में सदस्यों को कमी वेशी करने का अधिकार रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक विषयों में भी जिनसे उनका नियमानुकूल संबंध है वे कौंसिल के सदस्यों की राय लिया सकते हैं। प्रायः जितने बिल पास होने को होते हैं वे सब सरकारी सदस्यों द्वारा उपस्थित किए जाते हैं, परंतु बड़े लाट की आज्ञा से जो कौंसिल के (Ex officio) सभापति होते हैं,वे सदस्य भी जो सरकारी कर्मचारी नहीं होते किसी बिल को पेश कर सकते हैं। दिसंबर से मार्च तक इन चार महीनों में कौंसिल की बैठक दिल्ली में सप्ताह में प्रायः एक बार होती है और एक या दो बैठक सितंबर के महीने में शिमले में होती है। कौंसिल की बैठकें कितनी बार हों इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। यदि कार्य अधिक हो तो जितनी चाहे बैठकें हो सकती हैं। जो बिल पास होने को होता है उसके विषय में निम्नलिखित कार्रवाई होती है। प्रथम अधिकारी सदस्य उसको पेश करता है, उसके उद्देश्यों को समझाता है और इस बात की प्रार्थना करता है कि

उन उद्देश्यों को सर्वसाधारण के जानने के लिये प्रकाशित किया जाय। उसी समय अथवा बाद में जैसी जरूरत समझी जाती है, उक्त बिल पर पुनः विचार करने के लिये एक कमेटी बनाई जाती है। यह कमेटी एक नियत समय के अंदर उसको देख कर भेज देती है। कमेटी को बिल सपुर्द करते समय, मेंबर चाहें तेा बिल के स्थूल उद्देश्यों पर विचार और विवाद कर सकते हैं तथा उसके तुरंत रद्द कर देने का प्रस्ताव भी कर सकते हैं परंतु उस पर सूक्ष्मतया विशद रूप से विचार नहीं कर सकते। जब कमेटी की रिपोर्ट विचारार्थ कौंसिल के सामने पेश होती है तभी उसमें कमी बेशी हो सकती है और राय ली जा सकती है। कौंसिल के बिल पास कर चुकने के बाद बड़े लाट की स्वीकृति ली जाती है, तब वह कानून (Act) बनता है। बड़े लाट केा अधिकार है कि वे कौंसिल के किसी भी कानून को रद्द कर दें। जरूरत के वक्त साधारण नियम स्थगित कर दिए जाते हैं और कौंसिल की एक ही बैठक में कानून पास कर दिया जाता है।

इमारत विभाग—(Public Works Department) कर तथा कृषि विभाग का अध्यक्ष ही इस विभाग का अध्यक्ष होता है। नहरों, सड़कों तथा इमारतों वगैरह के संबंध में जितनी बातें होती हैं वे सब इसी के अधिकार में होती हैं। भारतीय और प्रांतीय दोनों दरजों के इंजिनियर इसी विभाग के अधीन होते हैं। इसके आय व्यय का दफ़तर

पृथक होता है जो संपूर्ण विभाग का हिसाब बनाता है और उसकी जांच पड़ताल करता है।

सेना विभाग—(Army Department) हिंदुस्तान में सेना के सब से बड़े अधिकारी बड़े लाट हैं और उच्च कर्मचारी प्रधान सेनापति (Commander-in-chief), हैं। प्रधान सेनापति ही इस विभाग के अधिकारी सदस्य हैं। छावनियां, वालंटियरों, फौजी सामान और रसदों, भारतीय मेडिकल सर्विस, जल सेना तथा समुद्री अन्वेषण आदि सम्बंधी समस्त बातें इस विभाग के अधिकार में हैं। इस विभाग के उच्च पदाधिकारी निम्नलिखित हैं—एडज्यूटंट जेनरल (Adjutant general), क्वार्टर मास्टर जेनरल (Quarter master general) सेना के मुख्य मेडिकल कर्मचारी तथा मंत्री और उपमंत्री।

शिक्षा विभाग—(Education Department) इस विभाग का कार्य भिन्न भिन्न रूप में शिक्षा का प्रचार और प्रबंध करना है। म्यूनिसिपैलिटी, सफ़ाई, पुरातत्व, विद्या, पत्रों, ग्रंथों और अन्य छोटे छोटे कार्यों तथा अजायब घरों का प्रबंध भी इसी के अधिकार में है। सन् १६११ ई० से पहले अजायब घरों को छोड़ कर जिनका प्रबंध शिल्प और व्यापार विभाग के हाथ में था, शेष विषय अंतरंग विभाग के अधिकार में थे। सन १६११ ई० में अंतरंग विभाग के बोझे को कम

करने तथा शिक्षा विषय पर विशेष रूप से विचार करने के लिये शिक्षा विभाग पृथक स्थापित किया गया ।

भारत सरकार के इन भिन्न भिन्न विभागों के कार्य-क्रम से ज्ञात होता है कि मध्यवर्ती अर्थात् भारत गवर-मेंट को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं । एक वे कार्य होते हैं जिनमें भारत गवरमेंट को सीधे स्वतंत्र अधिकार होते हैं जैसे रियासतें, कर, सेना, न्याय, नोट, सिक्के ऋण, डाक, तार, रेल, आदि । दूसरे प्रकार के कार्यों में गवरमेंट को के-वल देख भाल करनी पड़ती है, जैसे प्रांतीय गवरमेंटों के विरुद्ध अपील सुनाना तथा उनकी कार्रवाइयों की जांच पड़ताल करना । प्रांतीय शासन संबंधी कुछ बातों में तो प्रांतिक गवरमेंटों को स्वतंत्र अधिकार होता है, परंतु कुछ बातों में भारत गवरमेंट की स्वीकृति लेना जरूरी है ।

नवंबर से मार्च तक भारत गवरमेंट का दफतर दिल्ली में रहता है और अप्रैल से अक्तूबर तक शिमले में । दिल्ली से शिमले को जाते हुए तथा शिमले से दिल्ली को लौटते हुए लाट साहब दौरा भी करते हैं । जब शिमले से दिल्ली को लौटते हैं, उस समय दो तीन मास पर्यंत दौरा रहता है। दौरे का अभिप्राय यह है कि लाट साहब को अपनी आंखों से यह देखने का मौका मिले कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में किस प्रकार शासन होता है तथा मुख्य मुख्य राजाओं, सरदारों और रईसों से भी भेंट हो सके ।

ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में इंगलैंड में एक कमेटी थी जिसका नाम बोर्ड आफ़ कंट्रोल (Board of Control) था। यह बोर्ड कंपनी तथा कंपनी के कर्मचारियों के कार्यों की देख भाल किया करता था। सन १८५७ ई० में भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में आया और बोर्ड के डाइरेक्टरों का स्थान भारत सचिव तथा उसकी कौंसिल ने ले लिया। भारत सचिव के कर्तव्य और अधिकारों को भली भांति समझने के लिये यहां इंगलैंड की शासन प्रणाली का किंचित वर्णन कर देना कुछ अनुचित न होगा।

पार्लामेंट-ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में पार्लामेंट द्वारा शासन होता है। वहां के निवासी अपने अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि ही हाउस आफ़ कामंस (House of Commons) के सदस्य होते हैं। पार्लामेंट का चुनाव प्रायः ५ वर्ष के लिये होता है परंतु कभी कभी जब यथास्थित गवर्मेंट यह देखती है कि हाउस आफ़ कामंस में उनका पक्ष प्रबल नहीं है तो वह उस पार्लामेंट को तोड़ देती है और नवीन पार्लामेंट का चुनाव किया जाता है। इंगलैंड के बादशाह भी तख्त पर बैठते समय पार्लामेंट का नवीन चुनाव करा सकते हैं। वहां के मनुष्यों के अनेक राजनैतिक दल होते हैं। सब से बड़े और प्रसिद्ध दल लिबरल और कंसरवेटिव (Liberal and Conservative) हैं। एक तीसरा दल भी कुछ दिनों से पैदा हो गया है और उसका ज़ोर दिन दिन बढ़ता जाता है। इसका

नाम लेबर पार्टी (Labour party) है। हाउस आफ़ कामंस का प्रत्येक सदस्य इन तीन पार्टियों में से किसी में जरूर होता है और प्रत्येक पार्टी का एक नेता और एक संगठनकर्ता होता है। जब नवीन पार्लामेंट का चुनाव होता है तो हर एक पार्टी इस बात का जी तोड़ कर उद्योग करती है कि हमारे अनुयायियों की पार्लामेंट में अधिकता हो अर्थात् अधिक सदस्य हमारे पक्ष के चुने जाँय। जिस पार्टी की अधिकता होती है उसके नेता को बादशाह गवरमेंट बनाने अर्थात् मंत्री मंडल चुनने के लिये आज्ञा देता है। यह नेता जो मुख्य मंत्री (Prime Minister) कहलाता है अपने अनुयायियों को भिन्न भिन्न विभागों का अध्यक्ष बनाता है। इन में से ही केबिनेट बनाई जाती है। भारत सचिव भी इनमें से एक होते हैं।

पार्लामेंट में हाउस आफ़ कामंस के अतिरिक्त हाउस आफ़ लार्डस (House of Lords) भी होता है। इस में बड़े बड़े कुलीन प्रतिष्ठित रईस और जमींदार होते हैं। आर्थिक विषयों को छोड़ कर और कोई कानून जिसको हाउस आफ़ कामंस ने पास कर लिया हो दोनों हाउसों की राय के बिना उस समय तक व्यवहार में नहीं लाया जा सकता जब तक कि वह हाउस आफ़ कामंस की लगातार तीन बैठकों में पास न हो जाय। उस वक्त बादशाह उसको स्वीकार कर लेता है और यह कानून बन जाता है। भारत मंत्री अन्य मंत्रियों के समान किसी भी हाउस का मेंबर होता है और उसका मंत्रित्व

उसी समय तक रहता है जब तक उसकी गवरमेंट का ज़ोर रहता है। पार्टी के गिरते ही वह भी पद से गिर जाता है और फिर जिस पार्टी का ज़ोर होता है उसी पार्टी का कोई सदस्य उस के स्थान पर नियत होता है। भारत मंत्री के दो उपमंत्री होते हैं-एक पार्लामेंटी उपमंत्री और एक स्थायी उपमंत्री। स्थायी उपमंत्री को इन राजनैतिक पार्टियों से कोई संबंध नहीं होता। हां पार्लामेंटी उपमंत्री उसी पार्टी का होता है जिसका ज़ोर होता है और वह उसी समय तक रहता है जब तक उस पार्टी का ज़ोर रहता है। बीच में भी वह किसी कारण से एक विभाग से दूसरे विभाग में बदला जा सकता है तथा इस्तीफ़ा दे सकता है। प्रायः व्यवहार में ऐसा होता है कि यदि भारत मंत्री हाउस आफ़ लार्डस का मेंबर हो तो उपमंत्री हाउस आफ़ कामंस का मेंबर होता है और यदि भारत मंत्री हाउस आफ़ कामंस में हो तो उपमंत्री हाउस आफ़ लार्डस में होता है कि जिससे भारत गवरमेंट को दोनों हाउसों में यथेष्ट प्रतिनिधित्व मिल सके।

भारत मंत्री—भारत संबंधी समस्त विषयों में भारत मंत्री बादशाह को उचित सम्मति देता रहता है। भारत मंत्री की एक कौंसिल होती है जिसका नाम इंडिया कौंसिल (India Council) होता है। भारत मंत्री हिंदुस्तान के प्रत्येक कर्मचारी यहां तक कि बड़े लाट को भी हुक्म दे सकता है और उसके हुक्मों का अवश्य पालन किया जाता है। हिंदु-

स्तान में जितने कानून पास होते हैं वे सब भारत मंत्री के पास भेजे जाते हैं। भारत मंत्री को अधिकार है कि वह उनमें से एक को अथवा सब को बादशाह से रद्द करा दे। भारत मंत्री हिंदुस्तान के किसी भी कर्मचारी को मौकूफ़ कर सकता है और कैबिनेट (Cabinet) के अन्य मेंबरों की सलाह से भारत के गवरनर जनरल, बंबई, मद्रास और बंगाल के गवरनरों, उनकी प्रबंधकारिणी कौंसिलों के सदस्यों, हाईकोर्ट के जजों तथा अन्य उच्च कर्मचारियों को बादशाह की स्वीकृति के लिये नामांकित कर सकता है। भारत गवरनमेंट के खर्च की देख भाल भी वह करता है। भारत मंत्री की तरफ़ से बड़े लाट का तथा बड़े लाट की तरफ़ से भारत मंत्री का जो कुछ पत्र व्यवहार होता है वह सब तीन प्रकार का होता है-(१) साधारण (२) आवश्यक, (३) गुप्त। संपूर्ण साधारण पत्र व्यवहार चाहे वह इंगलैंड से हिंदुस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान से इंगलैंड में इंडिया कौंसिल के सदस्यों के सामने अवश्य आता है परंतु गुप्त डाक जिसमें प्रायः देशीय या विदेशीय रियासतों से लड़ाई और सुलह का उल्लेख होता है सदस्यों से सर्वथा छिपाया जा सकता है। भारत मंत्री भारत गवरमेंट से आवश्यक पत्रव्यवहार भी अपनी जिम्मेवरी पर कर सकता है परंतु ऐसी दशा में उसे कारण अवश्य लिख देना होता है। भारत मंत्री को अधिकार है कि वह चाहे जिस विषय के पत्र को गुप्त या आवश्यक कह दे। किसी को उस से इस विषय में कुछ पूछने का

अधिकार नहीं है । जिन विषयों में पार्लामेंट के नियमानुसार कौंसिल के सदस्यों की राय की ज़रूरत नहीं होती उन में भारत मंत्री अपने इच्छानुसार जो चाहे कर सकता है, परंतु जिन विषयों में राय की ज़रूरत होती है उन में भारत मंत्री को कौंसिल की बहुसम्मति के अनुसार कार्य करना पड़ता है।

इंडिया कौंसिल—भारत मंत्री की कौंसिल में कम से कम १० और अधिक से अधिक १४ सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य की अवधि ७ वर्ष की होती है। इन सदस्यों में से कम से कम ६ ऐसे होते हैं जो हिंदुस्तान में कम से कम १० वर्ष रहे हों अथवा इतने ही काल तक जिन्होंने वहां नौकरी की हो तथा कौंसिल के सदस्य होते समय उन्हें हिंदुस्तान छोड़े हुए ५ साल से अधिक न हुए हों। कौंसिल के प्रत्येक सदस्य की तंख़ाह १५००० रु० सालाना होती है। ये तमाम बातें सन् १९०७ की इंडिया कौंसिल एक्ट के अनुसार तै हुई हैं। जो लोग इस नवीन नियम के पास होने से पहले कौंसिल के सदस्य हुए थे वे १० वर्ष तक मेंबर रहेंगे और १८०००) वार्षिक वेतन पायेंगे। अभी हाल में दो हिंदुस्तानी इंडिया कौंसिल के सदस्य हुए हैं।

इंडिया कौंसिल का काम यह है कि भारत गवर्मेंट के संबंध में जो कुछ इंगलैंड में होता है उसका भारत मंत्री के आज्ञानुसार संपादन करें। कौंसिल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है और पांच सदस्यों का कोरम होता है। भारत मंत्री

स कौंसिल के सभापति होते हैं। उनको दो राय देने का अधिकार होता है अर्थात् समान पक्ष की हालत में वे सभापति की हैसियत से भी अपनी राय दे कर विषय का निर्णय कर सकते हैं। भारत मंत्री किसी सदस्य को उपसभापति नियत कर सकता है जो उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्य का पालन करे, परंतु जितने कार्य्य उसकी अनुपस्थिति में होते हैं उन सब में उसका स्वीकरता लिखित ली जाती है। गुप्त और आवश्यक दोनों प्रकार के पत्रों के अतिरिक्त और जितने साधारण आज्ञापत्र हिंदुस्तान के विषय में होते हैं वे सब जारी होने से कम से कम एक सप्ताह पहले कौंसिल में भेज दिए जाते हैं अथवा कौंसिल के टेबल पर रख दिए जाते हैं। इसी प्रकार भारत गवरमेंट के पत्र भी रक्खे जाते हैं। प्रायः कौंसिल अनेक कमेटियों में विभक्त रहती है जिससे काम जल्दी और अच्छी तरह हो सके। वर्तमान समय में ७ कमेटियां हैं और उनके अधिकार में भिन्न भिन्न कार्य हैं। यह कोई स्थायी प्रबंध नहीं है और न इस का कोई कानून ही है। यह बात भारत मंत्री की रुचि पर निर्भर है। कमेटियां रखने न रखने का उन्हें पूर्ण अधिकार है।

इंडिया आफिस—पार्लामेंटी उपमंत्री तथा स्थायी उपमंत्री के अतिरिक्त भारतमंत्री के अधीन एक सहायक उपमंत्री भी होता है। कौंसिल का क्लर्क भी यही होता है। इस के सिवाय कौंसिल की प्रत्येक कमेटी के अधीन जो विभाग होता

है उसका एक मंत्री, एक उपमंत्री और अनेक क्लर्क होते हैं। स्टोर्स विभाग (Stores Dept) के मंत्री उपमंत्री नहीं होते। इस विभाग का अधिकारी एक डाइरेक्टर जनरल होता है। इनके सिवाय और बहुत से उच्च कर्मचारी इस आफिस में होते है। इन कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं का वेतन कौंसिल के हुक्म के अनुसार जो पार्लामेंट के सामने पेश हो चुका है नियत है। जब तक दोबारा कोई हुक्म पास न हो और वह पार्लामेंट के सामने न रक्खा जाय तब तक वेतन में कोई कमती बढ़ती नहीं की जा सकती। इंडिया आफिस का तमाम खर्च हिंदुस्तान की आमदनी (Revenue) में से दिया जाता है।

पार्लामेंट की देख भाल—जिस प्रकार कुछ विषयों में भारत मंत्री को कौंसिल की सलाह लेनी पड़ती है उसी प्रकार कुछ विषयों में पार्लामेंट की आज्ञा लेना भी जरूरी होता है। भारत गवरमेंट का संपूर्ण कार्यक्रम पार्लामेंट के नियमानुसार निश्चित होता है। भारत मंत्री को हर साल हिंदुस्तान की आय-व्यय का हिसाब रिपोर्ट सहित पार्लामेंट में उपस्थित करना पड़ता है तथा एक रिपोर्ट इस बात की हर साल भेजनी होती है कि हिंदुस्तान ने कहां तक आर्थिक, नैतिक और मानसिक उन्नति की है। यद्यपि हिंदुस्तान की आमदनी पर पार्लामेंट का कोई अधिकार नहीं है तथापि पार्लामेंट की आज्ञा के बिना सरहद से बाहर एक पैसा भी लड़ाई वैगरह

में ख़र्च नहीं किया जा सकता। हां अचानक और आवश्यक दशा में जब कोई शत्रु चढ़ाई करे, इस नियम का पालन नहीं होता। उस समय पार्लामेंट की आज्ञा के बिना भी ख़र्च किया जा सकता है। इन तमाम बातों पर भी भारत मंत्री की किसी भी कार्रवाई का हर कोई सदस्य पार्लामेंट में विरोध कर सकता है और पार्लामेंट का फैसला तमाम बातों में अंतिम समझा जाता है।

इस प्रकार हिंदुस्तान का संपूर्ण शासन गवरनर जनरल (बड़े लाट) द्वारा होता है। गवरनर जनरल के काम की देख भाल भारत मंत्री करता है। भारत मंत्री के काम की जिम्मेवरी केबिनेट पर है और केबिनेट पर पार्लामेंट का अधिकार है। पार्लामेंट को जिसमें ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड के निवासियों के प्रतिनिधि शामिल हैं, हिंदुस्तान के शासन में सब से बड़ा और ऊँचा अधिकार है।

३—प्रांतीय शासन।

ब्रिटिश हिंदुस्तान निम्नलिखित प्रांतों में विभक्त है और प्रत्येक प्रांत, एक बड़े योग्य और अनुभवी कर्मचारी के अधीन है।

मुख्य मुख्य प्रांत।

नाम	क्षेत्रफल वर्ग मीलों में	जन संख्या १९११ में
बरमा	१,७३,०००	१,२०,००,०००
बंगाल	७९,०००	४,५५,००,०००
बिहार उड़ीसा	८३,०००	३,४५,००,०००
मद्रास	१,४२,०००	४,१५,००,०००
बंबई	१,२३,०००	१,९५,००,०००
संयुक्त प्रांत आगरा व अवध	१,०६,०००	४,७०,००,०००
मध्य प्रांत तथा बरार	१,००,०००	१,४०,००,०००
पंजाब	९७,०००	२,००,००,०००

छोटे छोटे प्रांत।

नाम	क्षेत्रफल वर्ग मीलों में	जन संख्या १९११ में
आसाम	५३,०००	६७,१३,०००
उत्तर पश्चिमीय सरहद्दी सूबा	१३,०००	२१,९६,०००
ब्रिटिश बिलूचिस्तान	५४,०००	४,१४,०००
कुर्ग	१,६००	१,७५,०००
अजमेर मेरवार	२,७००	५०,१,०००

अंडमन निकोबार द्वीप	३,०००	२६,५००
देहली	५६०	३,६२,०००

हिंदुस्तान के इतिहास के देखने से मालूम होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब से पहले सन् १६१२ ई० में सूरत में अपना अधिकार कायम किया था। सन् १६६८ ई० में इंगलैंड के बादशाह ने बंबई कंपनी को दे दिया और सन् १७०८ ई० में बंबई प्रेसिडेंसी बनाई गई और एक गवरनर उसका नियत किया गया। इसी प्रकार मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियां बनाई गई और उनका भी एक एक गवरनर नियत किया गया। सन् १८३४ ई० में बंगाल के गवरनर को ही गवरनर जेनरल बनाया गया और बंबई और मद्रास के गवरनर उसके अधीन कर दिए गए। इस प्रबंध से गवरनर जनरल का काम बहुत बढ़ गया। इस कारण से सन् १८५४ ई० में बंगाल का एक पृथक लफटंट गवरनर नियत किया गया। सन् १६१२ में फिर इस प्रबंध में कुछ उलट पलट हुआ और इस के अनुसार बंगाल का एक गवरनर बनाया गया और उसको कौंसिल भी दी गई।

सूबे–हिंदुस्तान के सूबे तीन प्रकार के हैं–(१) प्रेसिडेंसी, (२) लोकल गवरमेंट, (३) लोकल एडमिनसट्रेशन। मद्रास, बंबई, बंगाल ये तीन प्रेसिडेंसियां हैं। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, पंजाब, बिहार-उड़ीसा और बरमा ये लोकल गवरमेंट हैं। मध्य प्रांत व बरार, उत्तरीय पश्चिमीय सीमावर्ती प्रांत, ब्रिटिश

विलूचिस्तान, अजमेर मेरवार, कुर्ग, आसाम, अंडमन निकोवार द्वीप और दिल्ली ये लोकल एडमिनस्ट्रेशन हैं।

गवरनर–ये सब सूबे गवरनर जनरल और उसकी कौंसिल की देख रेख में हैं। वंबई, मद्रास और वंगाल, ये वहां वहां के गवरनर और उनकी कौंसिलों के अधीन हैं जिनके कर्तव्य और अधिकार पार्लामेंट द्वारा निश्चित होते हैं। गवरनरों को बादशाह नियत करता है और उनकी अवधि ५ वर्ष की होती है। प्रत्येक गवरनर की कौंसिल के ३ सदस्य होते हैं और उनको बादशाह नियत करता है। गवरनर की कौंसिल के प्रायः वेही लोग सदस्य हो सकते हैं जो सिविल सरविस में हों और सदस्य होने से पहले कम से कम १२ वर्ष उन्होंने नौकरी की हो। वंबई में एक सदस्य प्रायः जुडीशल विभाग का होता है। प्रेसिडेंसी भर के शासन का काम गवरनर और उसकी कौंसिल को करना होता है और संपूर्ण प्रबंध उसी प्रकार होता है जिस प्रकार भारत गवरमेंट का होता है। गवरनर कौंसिल की राय के विरुद्ध भी कोई काम कर सकता है और सीधा बादशाह और भारत मंत्री से पत्रव्यवहार कर सकता है। इन प्रेसिडेंसियों में लेजिसलेटिव कौंसिल भी हैं और वे उसी प्रकार अपना कार्य करती हैं जिस प्रकार गवरनर जनरल की लेजिसलेटिव कौंसिल काम करती है। इन कौंसिलों को प्रेसिडेंसियों के लिये कानून बनाने का अधिकार है परंतु कोई कानून उस समय तक व्यवहार

में नहीं लाया जा सकता, जब तक गवरनर-जनरल उसको स्वीकार न कर लें।

लफटंट गवरनर—(छोटे लाट) गवरनरों से दूसरे दरजे पर लफटंट गवरनर हैं। इनके अधिकार में लोकल गवरमेंट अर्थात् प्रांतीय गवरमेंट हैं। बादशाह की स्वीकृति से बड़े लाट इनको नियत करते हैं और इनकी अवधि ५ वर्ष की होती है। वे ही व्यक्ति इस पद पर नियत किए जाते हैं जिन्होंने कम से कम १० वर्ष तक हिंदुस्तान में नौकरी की हो। प्रायः ये इंडियन सिविल सरविस के सीनियर मेंबर होते हैं। इनके अधिकारों की सीमा भारत मंत्री की सलाह से बड़े लाट निर्धारित करते हैं। बिहार और उड़ीसा में लफटंट गवरनर की एक्जिक्यूटिव कौंसिल भी है। अन्य प्रांतों में भी ऐसी कौंसिलों के होने की आशा है। जिन प्रांतों में लफटंट गवरनरों की कौंसिल नहीं हैं वहां शासन का कार्य भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों के अधिकार में हैं। लफटंट गवरनरों की व्यवस्थापक सभाएँ (Legislative Councils) भी हैं और उनको प्रश्न करने तथा आवश्यक सार्वजनिक विषयों पर प्रस्ताव उपस्थित करने के अधिकार हैं।

चीफ़ कमिश्नर—लफटंट गवरनरों से नीचे चीफ़ कमिश्नर हैं। ये गवरनर-जनरल के प्रतिनिधि होते हैं। चीफ़ कमिश्नर गवरनर जनरल का केवल एक एजेंट है।

गवरनर जनरल अपने जो चाहे अधिकार उनको दे सकता है। कुछ चीफ़ कमिश्नरों की व्यवस्थापक सभाएँ भी हैं और भिन्न भिन्न विभागों के मंत्री भी हैं।

अन्य मुख्य कर्मचारी—प्रेसिडेंसियों, लफटंटियों तथा किसी किसी चीफ़ कमिश्नरी में मंत्रियों के अतिरिक्त पुलिस, जेल, रजिस्ट्री के अफसर, अस्पतालों के इंस्पेक्टर जनरल, चीफ़ इंजिनियर तथा शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर भी होते हैं।

हिंदुस्तान में दो प्रकार के सूबे हैं—(१) रेगुलेशन सूबे (Regulation Provinces), (२) नान-रेगुलेशन सूबे (Non-regulation Provinces)। बम्बई (सिंध को छोड़ कर), मद्रास, बंगाल, बिहार उड़ीसा और संयुक्त प्रांत—ये पाँच रेगुलेशन सूबे हैं। शेष नान-रेगुलेशन सूबे हैं। ब्रिटिस हिंदुस्तान में २५० ज़िले हैं। उनका औसत क्षेत्रफल ४४३० वर्ग मील है और जन संख्या ९३१००० है। कोई ज़िला बड़ा है कोई छोटा। किसी का क्षेत्रफल बड़ा है, किसी की जन संख्या अधिक है, इस का कोई नियम नहीं है। हां यह ज़रूर है कि बरमा के ज़िले बहुत बड़े हैं और संयुक्त प्रांत के बहुत छोटे हैं। मद्रास के सिवाय प्रत्येक रेगुलेशन सूबे में लोकल गवरमेंट और ज़िले के अधिकारी के बीच में एक और कर्मचारी है जिसको कमिश्नर कहते हैं। इस के अधीन ४, ५ ज़िले होते हैं और सब मिल कर कमिश्नरी कहलाते हैं। कमिश्नरी

भर के जिलों को देख भाल कमिश्नर करता है तथा माल के मुक़दमों का अपील भी सुनता है।

लफटंट गवरनर और कमिश्नर के बीच में माल के मामलों के लिये एक बोर्ड भी है। इसमें दो मेंबर होते हैं जो उसी प्रांत के सिवल सरविस में सीनयर होते हैं। उन्हीं के अधिकार में प्रांत भर की मालगुज़ारी (Revenue) का प्रबंध रहता है।

कलक्टर—कमिश्नर से नीचे कलक्टर मैजिस्ट्रेट होता है। ज़िले का यही सब से बड़ा अधिकारी होता है। यह गवरमेंट का प्रतिनिधि समझा जाता है। इसी के द्वारा गवरमेंट की संपूर्ण इच्छाएँ और आज्ञाएँ लोगों को मालूम होती हैं। लोग इसको ज़िले का बादशाह समझते हैं। इसको माल और फ़ौजदारी दोनों के अधिकार होते हैं, इसी लिये इसका नाम कलक्टर मैजिस्ट्रेट होता है। ज़िले भर की मालगुज़ारी को वसूल करना, किसानों और ज़मीदारों के झगड़े निबटाना, खेती वगैरह के लिये रुपया उधार देना, इंकम टैक्स, स्टाप, आदि की आय का निरीक्षण करना, खज़ाने की जांच पड़ताल करना, ये सब काम कलक्टर की हैसियत से उसे करने होते हैं। मैजिस्ट्रेट की हैसियत से भी उसे बहुत से काम करने होते हैं। अधिकारापेक्षा मैजिस्ट्रेट ३ प्रकार के होते हैं। कलक्टर प्रथम श्रेणी (First class) का मैजिस्ट्रेट होता है। दो वर्ष तक की कैद और १०००) रुपया तक जुरमा-

ना करने का उसे अधिकार होता है। फ़ौजदारी के मुकद्में कलक्टर के पास ज़्यादा नहीं रहते और न ज्यादा मुकद्में करने का उसके पास समय ही है। अधिकतर उसे और मैजिस्ट्रेटों के काम की देख भाल करनी होती है। ज़िले भर में शांति रखना और पुलिस और जेल की निगरानी करना भी उसका मुख्य काम होता है। भावार्थ यह कि ज़िले भर के हर एक काम की ओर कलक्टर को ध्यान रखना होता है। यद्यपि गवरमेंट ने पबलिक वर्क्स, जंगल, जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अनेक विभाग कायम कर रक्खे हैं और सब के पृथक पृथक कर्मचारी और अधिकारी हैं परंतु कलक्टर की जरूरत हर एक काम में पड़ती है। कोई काम भी उससे बचा हुआ नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अकाल निवारण आदि के कार्य भी उसे करने होते हैं। पुलिस सुपरेंटडेंट, सिविल सरजन और कितने ही अन्य कर्मचारी उसके काम में सहायता देते रहते हैं।

जिलों के हिस्से—हर एक जिला थोड़ापेड़ा अनेक छोटे भागों में विभक्त रहता है। इन विभागों के अधिकारी को डिपटी कलक्टर अथवा डिपटी मैजिस्ट्रेट कहते हैं। बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत में ज़िले तहसीलों में विभक्त होते हैं। एक जिले में ४, ५ तहसीलें होती हैं। तहसील के अधिकारी को तहसीलदार कहते हैं और बंबई में मामलतदार कहते हैं। मद्रास में तहसीलदार के ज़िम्मे केवल माल-

गुजारी वसूल करने का काम होता है। फ़ौजदारी का काम दूसरा कर्मचारी करता है जिसको स्टेशनरी सब-मैजिस्ट्रेट कहते हैं। अन्य प्रांतों में माल और फ़ौजदारी दोनों के अधिकार तहसीलदार को होते हैं। तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार और क़ानूनगो होते हैं। हर एक गांव का एक पटवारी होता है जो वहां की तमाम ज़मीन, खेती और मालगुज़ारी वगैरहः का हिसाब किताब रखता है। क़ानूनगो का खास काम पटवारियों के काम की जांच पड़ताल करना होता है।

न्याय-शासन—दीवानी और फ़ौज़दारी के संपूर्ण मुकदमों की अपील पहले ज़िलों के सेशन जज के यहां, और उसके पीछे हाई कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट सूबे की सब से ऊंची अदालत होती है। ज़िलों के सेशन जज के नीचे फ़ौज़दारी और माल के मुकदमों के लिये मैजिस्ट्रेट और डिपटी मैजिस्ट्रेट होते हैं और दीवानी के मुक़दमों के लिये सबजज़ और मुंसिफ़ होते हैं।

नान-रेगुलेशन सूबे—बरमा और पंजाब में उच्चाधिकारी लफटंट गवरनर हैं। मध्य प्रांत चीफ़ कमिश्नर के अधीन है। अवध पर संयुक्त प्रांत के लफटंट गवरनर का और सिंध पर बंबई के गवरनर का अधिकार है। इन सूबों में तमाम ऊंची जगहों पर सिवीलियन हैं परंतु कहीं कहीं

पर फौज के कर्मचारी भी हैं। इन सूबों में ज़िले के अधिकारी को कलकृर नहीं कहते किंतु डिपटी कमिश्नर कहते हैं। रेगुलेशन सूबों में जिनको एसिसटेंट कलकृर और डिपटी कलक्टर कहते हैं उनको अवध को छोड़ कर शेष नान-रेगुलेशन सूबों में एसिसटेंट कमिश्नर और एक्सट्रा एसिसटेंट कमिश्नर (Extra-assistant Commissioner) कहते हैं। अवध में उन्हें डिपटी कलक्टर ही कहते हैं। अवध के सिवाये अन्य नान-रेगुलेशन सूबों में रेवन्यू (Revenue) बोर्ड नहीं हैं। अवध संयुक्त प्रांत के रेवन्यू बोर्ड के अधीन हैं। पंजाब, मध्य प्रांत, और बरमा में बोर्ड आफ़ रेवन्यू का काम फाइनेंशियल कमिशनर करते हैं। पंजाब और लोअर बरमा में हाई कोर्ट की जगह चीफ़ कोर्ट हैं। चीफ़ कोर्ट में कई जज होते हैं और गवरनर जनरल उनको नियत करता है। ऊपरी बरमा, मध्य प्रांत, अवध और सिंध में चीफ़ कोर्ट का काम जुडिशल कमिश्नर करते हैं। पंजाब में हाई कोर्ट के बनने का प्रस्ताव गवरमेंट के सामने पेश है। आशा है कि कुछ दिनों में वहां हाईकोर्ट हो जायगा। आसाम कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन है।

उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत और बिलूचिस्तान अनेक जिलों में विभक्त है और हर एक ज़िला और जगहों के समान डिपटी कमिश्नर के अधीन है। राजपुताने के एजेंट

general) अजमेर-मेरवार के चीफ़ कमिशनर हैं। विलूचिस्तान के एजंट ब्रिटिश विलूचिस्तान के चीफ़ कमिश्नर हैं और मैसूर के रेजीडेंट कुर्ग के चीफ़ कमिश्नर हैं और पेनल सेट-लमेंट के सुपरिंटेंडेंट अंडमन निकोवार द्वीप के चीफ़ कमिश्नर हैं। उत्तरीय पश्चिमीय सरहदी सूबे का शासन पंजाब की भांति ही होता है। राजनैतिक विषयों के लिये वहां का चीफ़ कमिशनर ही एजंट टू दी गवरनर जनरल है। विलूचिस्तान में एक चीफ़ कमिश्नर रहता है और वही जुडिशल और रेवन्यू दोनों काम करता है। कुर्ग में मैसूर का रेज़िडेंट ही चीफ़ कमिश्नर और जुडिशल कमिश्नर दोनों का काम करता है। वहां का सब से ऊंचा स्थानीय अधिकारी कमिश्नर है और उसके ही अधीन सब काम है।

अजमेर-मेरवार में चीफ़ कमिश्नर के नीचे एक कमिश्नर और अनेक एसिस्टेंट कमिश्नर हैं। अंडमन निकोवर द्वीपों में पोर्ट विलेयर के सुपरिंटडेंट के नीचे एक डिपटी सुपरिंटेंडेंट और कई और नायब हैं।

दिल्ली का सूबा क्षेत्रापेक्षा सब से छोटा है। इस में केवल एक ज़िला है। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। यह सूबा चीफ़ कमिश्नर के अधीन है परंतु जुडिशल मामलों में वहां पंजाब के चीफ़ कोर्ट का अधिकार है।

हिंदुस्तान में दो प्रकार के कर्मचारी हैं-(१) इंडियन सिविल सरविस के, (२) प्राविंशियल सरविस के। इंडियन सिविल

सरविस के लिये इंगलैंड में हर साल मुकाबले की परीक्षा होती है जिसमें ब्रिटिश प्रजा का हर कोई मनुष्य जिसकी उमर २२ और २४ वर्ष के बीच में हो, शामिल हो सकता है। जितने अफसरों की हिंदुस्तान में जरूरत होती है उतने ही उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से क्रम से छांट लिए जाते हैं। इन विद्यार्थियों को एक वर्ष तक इंगलैंड में शिक्षा दी जाती है तब तीसरे दरजे के मैजिस्ट्रेट बना कर वे हिंदुस्तान में भेजे जाते हैं। कानून, भाषा आदि नियत कोर्स में परीक्षा दे कर उत्तीर्ण होने पर वे पहले दरजे के मैजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं और तब वे ऊंची जगहों के हक़दार भी हो जाते हैं। जिन लोगों की जुडिशल कार्यों की ओर रुचि होती है वे उस विभाग में जज बना दिए जाते हैं।

प्राविंशियल (प्रांतीय) सरविस में सब से ऊंची जगह एक-जीक्यूटिव लाइन में डिप्टी कलक्टर या एक्सट्रा एसिस्टेंट कमिश्नर की है। यह जगह तथा अन्य छोटी जगहें कहीं कहीं पर तो मुकाबले की परीक्षा लेकर और कहीं कहीं पर नामज़दी और दरजे बार तरक्की से भरी जाती हैं। कुछ ऊंची जगहें जिन पर प्रायः सिवीलियन नियत किए जाते हैं प्राविंशियल सरविसवालों के लिये नियुक्त रहती हैं।

जुडिशल सरविस—इस लैन में कुछ लोग तो (Executive) लैन से बदल दिए जाते हैं और कुछ तरक्की पाकर छोटे दरजे से बड़े दरजों पर पहुंच जाते हैं। प्रायः वकीलों को

जिन्होंने कुछ काल तक वकालत की हो पहले मुंसिफ बनाया जाता है। ये ही धीरे धीरे तरक्की पाकर सब-जज, जज और हाई कोर्ट वा चीफ़ कोर्ट के जज तक हो जाते हैं। कोई कोई विशेष योग्य और अनुभवी वकील वा वैरिस्टर एकदम भी हाई कोर्ट वा चीफ़ कोर्ट के जज बना दिए जाते हैं।

चूंकि सिविल सरविस के लिये इंगलैंड जाना और वहां कुछ काल तक रहना अत्यावश्यक है और हिंदुस्तानियों को कुछ जातीय बंधन और धार्मिक सिद्धांत समुद्र पार इंगलैंड जाने में बाधक हैं, इस कारण से हिंदुस्तानियों ने सिविल सरविस से विशेष लाभ नहीं उठाया है। गिने चुने १०, ५ हिंदुस्तानी ही सिविलियन हैं परंतु प्राविंशियल सिविल सरविस प्रायः हिंदुस्तानियों के ही हाथ में है। जुडीशली में तो हिंदुस्तानियों ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है और हर प्रकार से अपने को उसके योग्य साबित किया है।

———

४—देशी रियासतें

अब तक हम ने जो कुछ लिखा है वह सब उन प्रदेशों के विषय में लिखा है जिन पर गवरनर जनरल अथवा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का शासन है। उन प्रदेशों के अतिरिक्त भारतवर्ष में कुछ और भी प्रदेश हैं जिनको 'देशी रियासतें' कहते हैं। इनके भीतरी शासन से गवरनर जनरल का कोई संबंध नहीं है। इनमें देशी राजाओं और नवाबों का शासन है जिन को शासन संबंधी बातों में स्वतंत्रता है परंतु वे ब्रिटिश गवरमेंट के अधिकार को स्वीकार करते हैं और सनदों तथा संधियों द्वारा उसकी अधीनता में हैं। सन् १८५८ के बलवे से पहले इन रियासतों में बड़ी अशांति रहती थी और महान् अनीति का व्यवहार होता था। जब कोई राजा मर जाता था और उसके कोई संतान नहीं होती थी तो उस घराने में युद्ध खड़ा हो जाता था। बाद में गवरमेंट ने इसको दूर करने के लिये ऐसी रियासतों को अपने अधिकार में ले आने का नियम पास किया, परंतु इससे भी शांति नहीं हुई। अंत में सन् १८५८-६० में महारानी विक्टोरिया की तरफ से यह घोषणा की गई कि 'ब्रिटिश गवरमेंट की इच्छा नहीं है कि देशी रियासतें छीन ली जांय और राजघरानों को मिटा दिया जाय। हम इनके स्वत्व और अधि-

कारों को रक्षा करेंगे और किसी प्रकार भी इन में हानि या बाधा न पड़ने देंगे, यदि ये हमारी अधीनता स्वीकार करेंगे और सदा हमारे भक्त रहेंगे।' उसी समय तमाम राजाओं और नवाबों ने ब्रिटिश गवरमेंट की अधीनता स्वीकार कर ली। मुख्य मुख्य राजाओं को सनदें दी गईं और उनको दायत्व का अधिकार भी दिया गया।

वर्तमान काल में हिंदुस्तान में १७५ रियासतें भारत गवरमेंट के अधीन हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि रियासतें बहुत प्राचीन काल से हैं। बड़ी रियासतें नेपाल हैदराबाद, मैसूर, बड़ोदा और काशमीर हैं। इनमें से हर एक में ब्रिटिश गवरमेंट की तरफ से एक एक रेज़िडेंट रहता है जो आवश्यक विषयों में राज्य को उचित सम्मति देता रहता है और इस बात की देख रेख रखता है कि ब्रिटिश गवरमेंट के साथ जो रियासत की संधि है उसका उचित रूप से पालन होता है या नहीं। नेपाल अन्य चार रियासतों से कुछ बातों में भिन्न है। भीतरी शासन में नेपाल स्वतंत्र है परंतु उन बातों में जिनका विदेश से संबंध है गवर्नर जनरल की देख रेख रहती है। नैपाल को ब्रिटिश रेज़िडेंट ज़रूर रखना पड़ता है और ब्रिटिश गवरमेंट की स्वीकृति के बिना वह युरोपीय लोगों को नहीं रख सकता।

दूसरे दर्जे की रियासतों में मध्य हिंदुस्तान, राजपुताना और बिलूचिस्तान की रियासतें हैं।

मध्य हिंदुस्तान में ग्वालियर, इंदौर, भूपाल, रीवां, ओड़छा, दतिया, धार, जारोरा, पन्ना, बिजावर, अजयगढ़, छत्रपुर, चरखारी, तथा १३० छोटी छोटी और रियासतें हैं। इनमें से १६ रियासतें तो ऐसी हैं कि उनको रियासत ही नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनके अधिकारियों के पास जमीन ही नहीं है। उनको गवर्नमेंट से केवल नक़द रुपया मिलता है। राजपुताने में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, टोंक, बूंदी, करौली, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और ७ छोटी छोटी रियासतें हैं।

बिलूचिस्तान में कलात और लासबेला है।

इनमें से कुछ रियासतें बड़ी हैं और उनमें एक एक रेज़िडेंट रहता है परंतु औरों में एक एक पर तथा कई कई में पोलिटिकल एजेंट रहते हैं।

तीसरे दर्जे की रियासतें वे हैं जिनका भारत गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं हैं। इनका संबंध प्रांतीय गवर्मेंटों से है। ऐसी रियासतें निम्नलिखित हैं।

मद्रास—ट्रावनकोर, कोचीन, पदाकोटा तथा २ और छोटी रियासतें।

बंबई—कोल्हापुर, कच्छ, खैरपुर, ईदर, भावनगर, सांगली, मोर्वी तथा ३४१ छोटी छोटी रियासतें।

बंगाल—शिकिम, कूचविहार, भूटान, मोरभंज,

क्योंझार, धेनकनाल, गंगपुर, कालाहांडी, पटना, सोनपुर, यामरा तथा १८ छोटी रियासतें।

संयुक्त प्रांत—रामपुर, टीहरी, बनारस।

पंजाब—बहावलपुर, पटियाला, नाभा, जींध, कपूरथला, मंडी, चंबा, सिरमौर, फ़रीदकोट तथा २५ छोटी रियासतें।

बरमा—उत्तरीय शान तथा दक्षणीय शान की रियासतें, ५ करन रियासतें तथा ३ और छोटी रियासतें।

मध्य प्रांत—बस्तर, रायगढ़, सरगूजा, जशपुर, उदयपुर, कोरिया, चंगभकर तथा ८ और छोटी छोटी रियासतें।

आसाम—मनीपुर, टिपरा, तथा २५ खसिया रियासतें।

सन् १८५८ ई० में बल्वे के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन रियासतों के साथ संधियां करके इनको सनदें दीं। उनके अनुसार इनको अनेक सुख प्राप्त हैं।

(१) यदि किसी रियासत पर बाहर से कोई शत्रु चढ़ाई करे तो ब्रिटिश गवरमेंट रियासत की सहायता और रक्षा करेगी।

(२) ब्रिटिश गवरमेंट इस बात का जिम्मा लेती है कि इन राजाओं महाराजाओं का राज्य पर सदा स्वत्व होगा।

(३) विदेशों में रियासतों के लोगों की गवरमेंट रक्षा करेगी।

(४) बड़ी बड़ी रियासतों को अपने खास क़ानून बनाने का अधिकार है। वहां ब्रिटिश क़ानून नहीं चलता। इसके अनुसार जो गवरमेंट के अपराधी रियासतों में बच कर भाग जाते हैं उन्हें अंगरेजी पुलिस वहां के राजा की आज्ञा से पकड़ सकती है।

(५) जब रियासत में कोई अशांति या गड़बड़ होती है तो ब्रिटिश गवरमेंट बीच में पड़ कर झगड़े का निबटेरा कर देती है।

(६) विदेशी गवरमेंटों के साथ ब्रिटिश गवरमेंट ने जो व्यापारिक संधियां कर रक्खी हैं उनसे तथा रेल वगैरहः की बढ़ती से जो लाभ होते हैं उनसे रियासतें भी लाभ उठाती हैं।

(७) देशी रियासतों के निवासी ब्रिटिश गवरमेंट के अनेक पदों पर नियत हो सकते हैं।

(८) जिस प्रकार रियासतों को अनेक प्रकार के सुख और लाभ प्राप्त हैं उसी प्रकार उनको अनेक शर्तों और कर्तव्यों का भी समीचीन रूप से पालन करना होता है। सब से पहली शर्त यह है कि रियासत को किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का व्यवहार या संबंध नहीं रखना होगा। यदि कभी इसकी आवश्यकता हो तो यह ब्रिटिश गवरमेंटके द्वारा किया जाय। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश गवरमेंट ने विदेशी राज्यों से जिन शर्तों पर संधियां कर रक्खी हैं, देशी रियासतों का कर्तव्य है कि उनमें अपने व्यवहार से किसी प्रकार की त्रुटि न आने दें अर्थात्

उनको अक्षर अक्षर मानें। जब ब्रिटिश गवरमेंट देशी रियासतों तथा उनकी प्रजा के लाभ की ओर पूरी पूरी दृष्टि रखती है, तब गवरमेंट का यह देखना भी आवश्यक है कि देशी रियासतों के व्यवहार से किसी प्रकार गवरमेंट को तो हानि नहीं पहुँचती। इस कारण से देशी राजा लोग ब्रिटिश गवरमेंट की आज्ञा के बिना युरोप अथवा अमेरिका के लोगों को अपने यहां नौकर नहीं रख सकते, न विदेशी राज्यों के व्यापारी एजंटों को अपनी राजधानी में रख सकते हैं,न किसी विदेशी राज्य अथवा सभा सोसाइटी से कोई पदवी ले सकते हैं और न अपनी किसी प्रजा को ब्रिटिश गवरमेंट की सूचना के बिना विदेश में जाने की आज्ञा दे सकते हैं।

जिस प्रकार देशी रियासतें विदेशी राज्यों से कोई संबंध या व्यवहार या संधि नहीं कर सकतीं उसी प्रकार वे आपस में भी दूसरी रियासतों से कोई सुलह या संधि नहीं कर सकतीं और न किसी झगड़े को आपस में निपटा सकती हैं। इस प्रकार की तमाम बातें ब्रिटिश गवरमेंट के सामने पेश होनी चाहिएँ और जो कुछ ब्रिटिश गवरमेंट फैसला करदे वही मान्य समझा जाय।

कोई राजा किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई नहीं कर सकता और न किसी विदेशी राज्य से लड़ाई कर सकता है। इस कारण से देशी रियासतों को बहुत ज़्यादह फौज रखने की जरूरत नहीं है। रियासत में शांति रखने अथवा

ब्रिटिश गवरमेंट की सहायता करने अथवा दिखलावे के लि
थोड़ी सी फौज काफ़ी है। ब्रिटिश गवरमेंट ने सब मौकों प
इनकी रक्षा करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रक्खी है और
ब्रिटिश गवरमेंट के पास जो इतनी बड़ी फौज़ है वह केवल
ब्रिटिश इंडिया के लिये ही नहीं है किंतु संपूर्ण भारतवर्ष .
लिये है। देशी रियासतों के साथ जो ब्रिटिस गवरमेंट की
संधियां हुई हैं उनमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि रि-
यासत में किसी जगह किलाबंदी नहीं की जायगी, बारूद और
तोपों के बनाने के लिये कोई कारखाना नहीं खोला जायगा
तथा दूसरी रियासत का कोई भी आदमी फौज़ में भरती नहीं
किया जायगा। देशी रियासतों के कर्तव्य केवल इतने ही नहीं
हैं। जब ब्रिटिश गवरमेंट उनकी पूरी पूरी रक्षा करती है और
उनको भारी फौज के रखने के बोझे से बचाती है तब यह आ-
वश्यक है कि वे संपूर्ण देश की रक्षा में ब्रिटिश गवरमेंट की स-
हायता करें। इसी कारण से देशी रियासतों को थोड़ी सी फौज
देश-रक्षार्थ रखनी पड़ती है। इस फौज़ का नाम इंपीरियल
सरविस ट्रूप्स (Imperial service troops) है। इनकी संख्या
१८००० के लगभग है। इसका शिक्षण और निरीक्षण ब्रिटिश
अफसरों के द्वारा होता है। इस पर जो कुछ खर्च होता है
वह रियासतों को देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त रियासतें
थोड़ी सी और फौज भी रियासत में शांति बनाए रखने
तथा दिखलावे के लिये रख सकती हैं किंतु किसी पर चढ़ाई

करने अथवा किसी की चढ़ाई से अपने को बचाने के लिये कोई फ़ौज नहीं रख सकती हैं। देशी रियासतों के अधिपतियों को शासन संबंधी बातों में पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु यदि कोई राजा अनीति अथवा अन्यायपूर्वक राज्य करे तो उस समय ब्रिटिश गवरमेंट उसके कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है। जब तक न्याय और नीति का व्यवहार रहता है तब तक ब्रिटिश गवरमेंट कुछ नहीं बोलती, परंतु जब न्याय और नीति का उल्लंघन किया जाता है और अशांति होती है तब गवरनर-जनरल उन त्रुटियों के दूर करने का प्रबंध करता है। देशी रियासतों पर ब्रिटिश गवरमेंट की सदा सुदृष्टि रहती है और उनसे पूर्ण मित्रता का व्यवहार रहता है। ब्रिटिश गवरमेंट समय समय पर उनको शासन आदि के कार्यों में उचित सम्मति देती रहती है।

इसी प्रकार ब्रिटिश गवरमेंट सीमावर्ती विदेशी गवरमेंटों से भी अपनी तथा उनकी रक्षार्थ मित्रता का व्यवहार रखती है। फ़ारस, अफ़गानिस्तान, बिलूचिस्तान, चीन, तिब्बत आदि के अधिपतियों से ब्रिटिश गवरमेंट ने हिंदुस्तान की रक्षा तथा व्यापार आदि की उन्नति के हेतु संधियां कर रक्खी हैं। आपत्ति के समय सब को एक दूसरे की सहायता करना आवश्यक है। इसी सुप्रबंध के कारण हिंदुस्तान विदेशीय आक्रमणों से सुरक्षित है। विदेशी लोगों के हिंदुस्तान में बहुत कम अधिकार हैं। उनका बल और प्रभाव भी बहुत

कम है। उनके कारण गवरमेंट को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। फ्रांस के अधिकार में चंद्रनगर पांडीचरी, कारीकल, माही और यनाम हैं। फ्रांस गवरमें ने ब्रिटिश गवरमेंट के साथ यह अहद कर रक्खा है कि न हम कोई क़िला बनाएंगे और न अनावश्यक फ़ौज रक्खेंगे। पुरतगाल का अधिकार हिंदुस्तान में केवल गोवा, डिपू और डामन पर है। गोवा और पांडीचरी दोनों स्थानों पर ब्रिटिश गवरमेंट के स्वत्व की रक्षा करने तथा फ्रांस और पुर्तगाल दोनों गवरमेंटों से पत्रव्यवहार करने के लिये ब्रिटिश गवर- मेंट का एक एक कर्मचारी रहता है।

हिंदुस्तान एक स्वतंत्र व्यापार का देश है। समस्त देश बिना किसी रोक टोक के यहां व्यापार कर सकते हैं। जिन देशों का हिंदुस्तान से व्यापार होता है उनकी ओर से यहां पर एक एक कर्मचारी रहता है। उनके रहने के स्थान समुद्र के किनारों पर होते हैं। उनका केवल व्यापार से संबंध है। व्यापार को छोड़ कर और किसी कार्य में वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे कॉंस्यूलर एजेंट के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। भारत गवरमेंट के यहां उनकी सूची रहती है। देशी रियासतों में उनको जाने की आज्ञा नहीं है।

५—कानून और न्याय।

बड़े लाट को व्यवस्थापक सभा—सन् १८३४ ई० तक कानून बनाने का काम एक्जिक्यूटिव कौंसिल के ही हाथ में था, परंतु इसके बाद कानून बनाने के लिये एक पृथक कौंसिल बनाई गई जो लेजिसलेटिव कौंसिल के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भी समय समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। सन १९०९ ई० में उस कौंसिल का पुनः निर्माण हुआ और उसमें हिंदुस्तानियों को भी शासन संबंधी राजनैतिक विषयों में अपने विचार प्रगट करने का बहुत अवसर दिया गया। वर्तमान समय में गवरनर जनरल की कौंसिल में ६८ सदस्य हैं। इनमें गवरनर जनरल, गवरनर जनरल की एक्जिक्यूटिव कौंसिल के ६ साधारण सभासद कमांडर-इन-चीफ (प्रधान सेनापति) और जिस सूबे में कौंसिल की बैठक हो वहां का लफटंट गवरनर अथवा चीफ कमिश्नर ये ९ सदस्य पदापेक्षा होते हैं। इनके अतिरिक्त ३३ सदस्यों के नामज़द करने का अधिकार गवरनर जनरल को होता है। इन ३३ में सरकारी कर्मचारी २८ से अधिक नहीं हो सकते। सरकारी कर्मचारियों में ९ सदस्य प्रांतीय गवरमेंटों के प्रतिनिधि होते हैं। ३ सदस्यों को गवरनर जनरल पंजाब के ज़मींदारों, पंजाब के मुसलमानों और हिंदुस्तान की व्यापारिक जातियों में से चुनते हैं। शेष २७ सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित रीति से होता है—

१३ प्रांतीय लेजिसलेटिव कौंसिलों के प्रतिनिधि।

६ मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्तप्रांत, बिहार-उड़ीसा तथा मध्यप्रांत के ज़मींदारों के प्रतिनिधि।

२ कलकत्ता और बंबई की व्यापार समितियों के प्रतिनिधि।

५ मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्तप्रांत तथा बिहार-उड़ीसा के मुसलमानों के प्रतिनिधि।

१ संयुक्तप्रांत व अवध के मुसलमान ज़मींदारों का अथवा बंगाल के मुसलमानों का प्रतिनिधि। (एक बार संयुक्तप्रांत व अवध से चुनाव किया जाता है और एक बार बंगाल से)

कौंसिल की बैठक जब ज़रूरत होती है कर ली जाती है, परंतु साधारणतया दिसंबर से मार्च तक दिल्ली में सप्ताह में एक बार होती है। सभासद को शपथपूर्वक कहना होता है कि हम राजभक्त रहेंगे।

(१) कौंसिल का मुख्य काम यह है कि जो बिल नियमानुकूल पेश हों उन पर विचार करे और उसका उचित निर्णय करे। सन १८६१ के कौंसिल एक्ट के अनुसार कोई कानून उस समय तक व्यवहार में नहीं लाया जा सकता जब तक गवरनर जनरल उसको स्वीकार न करलें। उस पर भी बादशाह को अधिकार है कि वह चाहे जिस कानून को रद्द कर दे।

(२) भारतमंत्री की आज्ञा के विना कोई क़ानून ऐसा पास नहीं हो सकता सो नियुक्त हाईकोर्ट से भिन्न किसी अन्य अदालत को युरोपनिवासी ब्रिटिश प्रजा को फांसी की सज़ा देने का अधिकार दे।

(३) धर्म, पबलिक रेवन्यू, सेना तथा देशी रियासतों के संबंध में गवरनर जनरल की स्वीकारता के विना कोई बिल पेश नहीं किया जा सकता।

(४) ऐसा कोई कानून पास नहीं हो सकता जो सन् १८६० ई० से बाद के पास हुए किसी पार्लामेंट एक्ट के विरुद्ध हो अथवा जो पार्लामेंट के अधिकारों के विषय में हो अथवा जो यूनाईटेड किंगडम (इंगलैंड, स्काटलैंड, आयरलैंड, वेल्स) की शासनप्रणाली अथवा वहां के उन कानूनों के विषय में हो जो लिखे हुए नहीं हैं।

(५) भारत गवरमेंट के सन् १८३३, १८५३, १८५४ और १८५६ ई० के एक्टों तथा सेना एक्ट में कोई घटती बढ़ती नहीं हो सकती और न कोई एक्ट उस एक्ट के विरुद्ध पास हो सकता है जिसके अनुसार भारत मंत्री को यूनाईटेड किंगडम में रुपया जमा करने का अधिकार है।

इन शर्तों के अविरुद्ध ब्रिटिश इंडिया के समस्त मनुष्यों, न्यायालयों, वस्तुओं, स्थानों तथा देशी रियासतों में ब्रिटिश प्रजा तथा ब्रिटिश कर्मचारियों और सेना में देशी अफसरों और सिपाहियों तथा रायल इंडियन मेरीन के कर्मचारियों के

विषय में कौंसिल को सब प्रकार के क़ानून बनाने का अधिकार है। कौंसिल के सदस्यों को सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न करने,प्रस्ताव करने तथा वार्षिक बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार है, परंतु विदेशी गवरमेंटों के साथ जो ब्रिटिश गवरमेंट का संबंध है उस पर अथवा।जो विषय न्यायालय में विचाराधीन हैं उनके विषय में कोई प्रश्न या प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। प्रश्न प्रार्थना रूप में होते हैं। उनमें कोई शब्द कड़ा या कठोर नहीं आ सकता। क्या गवरमेंट कृपा करके यह बतलायगी, क्या गवरमेंट ने इस विषय पर विचार किया है, क्या गवरमेंट को मालूम है, आदि रूपों में प्रश्न होते हैं। विशेष हाल जानने के लिये उपप्रश्न भी किये जा सकते हैं। किसी प्रस्ताव के पेश करते अथवा उसपर विचार करते समय सभापति को अधिकार है कि उस प्रस्ताव को इस कारण से लेने अथवा उस पर विचार करने से इंकार कर दे कि इससे जनसाधारण को कोई लाभ नहीं है अथवा प्रांतीय कौंसलों में इस पर विचार होना चाहिए। इन शर्तों के अनुसार जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं उन पर पूर्ण रूप से विचार किया जाता है तथा राय ली जाती है। इसके लिये जितना समय सभापति उचित समझते हैं नियत कर देते हैं।

कार्यप्रणाली—कौंसिल की बैठकों में गवरनर जनरल सभापति होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति जो प्रायः कौंसिल के अग्रेसर (Senior) मेंबर होते हैं सभापति के

आसन को ग्रहण करते हैं। हर एक प्रस्ताव पर प्रस्तावक के बाद हर एक सदस्य एक बार बोल सकता है परंतु दूसरी बार भी समझाने की तौर पर बोल सकता है। प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार है। सभापति सब से पीछे बोलते हैं और संपूर्ण वाद विवाद को अपनी अंतिम सम्मति से समाप्त कर देते हैं। १६ सदस्यों का कोरम होता है। जो कुछ कोई कहता है वह सब सभापति को संबोधन करके कहता है और सभापति के द्वारा ही सब प्रश्न किए जाते हैं। हर एक बात बहु सम्मति से तै होती है। समान पक्ष की दशा में सभापति की एक राय और होती है और उसी से विषय का निर्णय किया जाता है। जब कोई प्रश्न सम्मति के लिये रख लिया जाता है तब उसके बाद फिर कोई वाद विवाद नहीं किया जा सकता। सभापति को सभा विसर्जन करने, किसी विषय को लेने, न लेने, आगे के लिये रख देने आदि के संपूर्ण अधिकार होते हैं।

प्रांतीय कौंसिल—बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार उड़ीसा, संयुक्तप्रांत, पंजाब, मध्यप्रांत, आसाम तथा बरमा में प्रांतीय लेजिसलेटिव कौंसिलें हैं। हर एक प्रांत में वहां की आवश्यकता के अनुसार सदस्यों की संख्या है। सब से अधिक संख्या बंगाल में है। यहां ५४ सदस्य हैं और सब से कम बरमा में हैं जहां केवल १८ सदस्य हैं। बंबई और मद्रास में गवरनर, एक्जिक्युटिव कौंसिल के ३ सदस्य, १ ऐडवोकेट जेनरल, २२ नामज़द सदस्य तथा लोक निर्वाचित मेंबर हैं। लोक निर्वा-

चित सदस्यों में मद्रास में १ मद्रास कारपारेशन की श्रोर से, ६ म्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक बोर्डों से, १ युनीवर्सिटी से, ५ जमींदारों की श्रोर से, १ चाय की खेती करनेवालों में से, २ मुसलमानों में से और मद्रास व्यापार समिति की श्रोर से निर्वाचित होते हैं। बंबई में १ बंबई कारपेारेशन की श्रोर से, ८ म्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट् बोर्डों से, १ यूनीवर्सिटी से, ३ ज़मींदारों में से, ४ मुसलमानों की श्रोर से श्रौर एक एक बंबई व्यापार समिति, करांची व्यापार समिति, बंबई श्रौर अहमदाबाद की मिलों के स्वामियों में से तथा हिंदुस्तानी व्यापारिक जाति से निर्वाचित होते हैं।

बंगाल की लेजिसलेटिव कौंसिल में भी गवरनर, एक्जिक्यूटिव कौंसिल के ३ सदस्य श्रौर २८ लोक निर्वाचित सभासद होते हैं। लोकनिर्वाचित सदस्यों में एक कलकत्ता कारपोरेशन द्वारा, १० म्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट् बोर्डों द्वारा, २ बंगाल व्यापार समिति से, ४ ज़मींदारों से, ५ मुसलमानों द्वारा, १ यूनीवर्सिटी से,१ कलकत्ता व्यापार समिति से, १ चटगांव पोर्ट कमिश्नर्स से, १ कलकत्ता कारपेारेशन के कमिश्नरों में से (उनको छोड़ कर जिनको गवरमेंट नामज़द करती है), १ चाय की खेती करनेवालों में से, १ चटगांव कमिश्नरी की म्यूनिसिपलटियों तथा ज़मींदारों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

बिहार-उड़ीसा में एक लफटंट गवरनर, एक्जिक्यूटिव कौंसिल के ३ सदस्य, १६ नामज़द सदस्य और २१ निर्वा-

चित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों में १० म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की ओर से, ५ ज़मीदारों की ओर से, ४ मुसलमानों की ओर से, १ चाय की खेती करनेवालों की ओर से और एक खानों का काम करनेवालों की ओर से निर्वाचित होते हैं।

संयुक्तप्रांत में लफटंट गवरनर, २८ नामज़द सदस्य और २१ निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों में ४ बड़ी बड़ी म्यूनिसिपलटियों की ओर से, ८ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और छोटी छोटी म्यूनिसिपलटियों की ओर से, २ ज़मीदारों में से, ४ मुसलमानों में से, १ यूनिवर्सिटी की ओर से और १ अपर इंडिया चेंबर आफ कमर्स की ओर से निर्वाचित होते हैं।

पंजाब कौंसिल में लफटंट गवरनर को छोड़ कर १८ नामज़द सदस्य हैं और ८ लोकनिर्वाचित सदस्य हैं। निर्वाचित सदस्यों में ३ म्यूनिसिपल और कैनटूमेंट कमेटियों द्वारा, ३ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों द्वारा, १ पंजाब व्यापार समिति द्वारा और १ युनिवर्सिटी द्वारा निर्वाचित होते हैं। बरमा कौंसिल में लफटंट गवरनर को छोड़ कर १६ नामज़द सदस्य है, और १ लोक निर्वाचित सदस्य है। आसाम कौंसिल में चीफ कमिश्नर तथा १४ नामज़द सदस्य हैं और ११ लोक निर्वाचित सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में चीफ कमिश्नर के अतिरिक्त १५ नामज़द और १० लोकनिर्वाचित सदस्य होते हैं।

जिस प्रकार बड़े लाट की कौंसिल में काम होता है उसी

प्रकार प्रांतीय कौंसिलों में काम होता है परंतु इन कौंसिलों में कोई भी बिल उस समय तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक यह गवरनर जनरल तथा गवरनर अथवा लफटंट गवरनर की स्वीकारता से प्रकाशित न हो जाय। इस पर भी बादशाह जब उचित समझें उसको रद्द कर सकते हैं। इन कौंसिलों का संबंध प्रांतिक मामलों से ही है। प्रांत से बाहर के कार्यों में ये हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। न इनको धर्म, टेक्स, नोट, सिक्कों, डाक, तार, फौज़ इत्यादि बातों में जिनका संबंध भारत गवरमेंट से हैं हस्तक्षेप करने अथवा उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। इस प्रकार हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न सूबों में कौंसिलें काम कर रही हैं। इनके सदस्यों की संख्या देखने से कई विशेष बातें मालूम होती हैं। एक तो यह है कि मुसलमानों और ज़मीदारों को ख़ास हक मिले हुए हैं। दूसरी यह है कि भारत कौंसिल में सरकारी कर्मचारी सदस्यों की अधिकता है और प्रांतीय कौंसिलों में और लोगों की। लोकनिर्वाचित सदस्यों की संख्या बंगाल में सब से अधिक है परंतु बरमा में सब से कम है। बरमा में केवल एक सदस्य निर्वाचित है।

हाई कोर्ट—नियम और क़ानून के विषय में इतना ही कह कर अब हम उन अदालतों या न्यायालयों का संक्षेप से वर्णन करते हैं जो स्वयं नियम और न्याय का पालन करती हैं तथा दूसरोंसे कराती हैं। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय

में न्याय के लिये न्यायालय थे परंतु उनकी कार्रवाई व्यवस्थित रूप में नहीं थी। सन १८६१ ई० में एक हाई कोर्ट एक्ट पास किया गया और उसके अनुसार कलकत्ता, बंबई, मद्रास तथा पश्चात इलाहाबाद में हाई कोर्ट स्थापित किए गए। हाई कोर्ट के जजों को बादशाह नियत करते हैं। इस पद की कोई अवधि नहीं होती है। वह बादशाह की कृपा पर निर्भर है। जब तक बादशाह की कृपा रहती है तब तक जज काम किए जाते हैं। कम से कम एक तिहाई जज स्काटलैंड के बैरिस्टर अथवा फ़ैकल्टी आफ़ ऐडवोकेट्स के मेंबर होते हैं, एक तिहाई सिविल सरविस जुडीशल विभाग के होते हैं, और शेष हिंदुस्तानी वकील और बैरिस्टर होते हैं। इन तमाम हाई कोर्टों की सीमा और अधिकार पहले से निश्चित हैं। छोटी अदालतों के कार्य का निरीक्षण करना, कार्य संचालन के लिये नियम बनाना हाई कोर्ट का काम है परंतु इन नियमों को व्यवहार में लाने से पहले गवरनर जेनरल की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

बंगाल, बंबई, मद्रास इन तीन स्थानों में हाई कोर्ट में केवल छोटी अदालतों से अपीलें ही नहीं सुनी जातीं किंतु प्रेसिडेंसी स्थानों के असली मुक़दमें भी एक जज़ द्वारा सुने जाते हैं। इन मुकदमों की अपील भी हाई कोर्ट के जज़ ही सुनते हैं। हाई कोर्ट को अधिकार है कि छोटी अदालत से कोई भी मुकद [illegible] ने [illegible]थ में ले ले। इ[illegible]हाबाद हाई [illegible] ऐसे

अधिकार नहीं हैं। उसको केवल युरोपवासी ब्रिटिश प्रजा के फ़ौज़दारी के असली मुक़दमें करने का अधिकार है। अन्यथा यहां केवल छोटी अदालतों से अपीलें सुनी जाती हैं। असली फौज़दारी के मुक़दमें जूरी द्वारा हाई कोर्ट में सुने जाते हैं।

चीफ़ कोर्ट तथा जुडिशल कमिश्नर—पंजाब तथा दक्षिणीय बरमा में चीफ़ कोर्ट हैं। इन में एक मुख्य जज होता है, शेष जज उसके अधीन होते हैं। इन जजों का नियत करना गवरनर जनरल के हाथ में है। पंजाब चीफ़ कोर्ट को भी सिवाय युरोपवासी ब्रिटिश प्रजा के और किसी असली मुक़दमें के करने का अधिकार नहीं है परंतु बरमा चीफ़ कोर्ट में रंगून के दीवानी और फ़ौज़दारी दोनों प्रकार के असली मुक़दमें होते हैं। शेष प्रांतों में हाई कोर्ट अथवा चीफ़ कोर्ट के स्थान में एक या अधिक जुडिशल कमिश्नर होते हैं, जिन को भारत गवरमेंट नियत करती है। सिंध के जुडिशल कमिश्नर को जज सदर अदालत कहते हैं।

सेशन तथा मेजिस्ट्रेटी—हर एक सूबे में एक एक दो दो ज़िले की सेशन अदालत होती है। इस अदालत के अधिकारी को सेशन जज कहते हैं। ज़रूरत के समय सहायक सेशन जज भी नियत किए जा सकते हैं। सेशन जज जहां तक क़ानून आज्ञा देता है दंड दे सकता है। फांसी की सज़ा भी यह फौज़दारी अपील की सूबे की सब से ऊँची अदालत की

स्वीकारता से दे सकता है। प्रेसिडेंसी शहरों में अपराधियों को प्रेसिडेंसी मेजिस्ट्रेट सीधे हाई कोर्ट में भेज देते हैं।

सेशन जज से नीचे मेजिस्ट्रेट होते हैं। मैजिस्ट्रेट ३ दरजों के होते हैं। पहले दरजे के मैजिस्ट्रेट को दो साल की कैद और १०००) रु० जुरमाना करने का अधिकार होता है। दूसरे दरजे के मैजिस्ट्रेट को ६ मास की क़ैद और २००) रु० जुरमाना करने का अधिकार होता है। तीसरे दरजे के मैजिस्ट्रेट को १ मास की कैद और ५०) रु० जुरमाना करने का अधिकार होता है। मैजिस्ट्रेटों के अधिकार नियत होते हैं। हर एक अपराध के सामने उस मैजिस्ट्रेट का दरजा दिया रहता है जो उसका मुक़दमा कर सकता है। यदि मैजिस्ट्रेट यह देखे कि अमुक मुक़दमा मेरे अधिकार से बाहर है तो वह उसे ऊँचे मैजिस्ट्रेट के अथवा सेशन जज के पास भेज देता है। नान रेगुलेशन सूबों में प्रांतिक गवरमेंट पहले दर्जे के मैजिस्ट्रेट को असाधारण अधिकार भी दे सकती है। परंतु फांसी का अधिकार नहीं दे सकती। छोटे छोटे फ़ौजदारी के मुक़दमों के लिये शहरों में आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी नियत किए जाते हैं। प्रेसिडेंसी शहरों में प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट रहते हैं जो छोटे छोटे मुकदमे करते हैं। बड़े बड़े मुकदमे हाई कोर्ट को भेज दिए जाते हैं। इन अधिकारों के सिवाय मैजिस्ट्रेटों को यह भी अधिकार है कि अपराधों को रोकने के लिये वे ज़मानत व मचलका वगैरहः भी ले लेवें।

पंच (जूरी) तथा असेसर—फ़ौजदारी के मुक़दमों में जज को सहायता देने के लिये शहर के कुछ योग्य व्यक्ति नियत होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो जज को केवल अपनी राय से सहायता देते हैं परंतु जज उनकी राय को मानने के लिये बाधित नहीं होता, ये लोग असेसर कहलाते हैं। दूसरे वे होते हैं जिनकी राय मानने के लिये जज बाधित होता है। ये पंच (जूरी) कहलाते हैं। यदि जज पंचों की सम्मति से सहमत नहीं होता तो उस अवस्था में वह मुक़दमे को सूबे की सब से बड़ी अदालत में हुक्म के लिये भेज देता है। हाईकोर्ट में पंचों में ९ व्यक्ति होते हैं परंतु अन्य अदालतों के लिये प्रांतीय गवरमेंट का ऐसा हुक्म है कि ९ से अधिक न हों।

अपील—दूसरे अथवा तीसरे दरजे के मैजिस्ट्रेट की अपील ज़िला मैजिस्ट्रेट के यहां होती है। ज़िला मैजिस्ट्रेट की अपील सेशन जज के यहां होती है। सेशन जज की अपील हाई कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट को अधिकार है कि वह चाहे छोटी अदालत से किस मुक़दमे की मिसल को मंगा कर देख ले। साधारणतया यदि अपराधी छूट जाता है तो उसकी अपील नहीं होती, परंतु यदि देखा जाय कि उसके छोड़ने में बिलकुल अन्याय हुआ है तो प्रांतीय गवरमेंट की राय से उसकी फिर अपील हो सकती है तथा सूबे की सब से ऊंची अदालत स्वयं भी उस पर पुनः विचार कर सकती है।

दीवानी—सेशन जज के यहां केवल फौजदारी की अपील ही नहीं होती, किंतु ज़िले के दीवानी के असली मुकदमे भी होते हैं। दीवानी के मुकद्मों के लिये भी सेशन जज ज़िले का सब से ऊँचा अधिकारी है। उसके नीचे सब-जज और सब-जज के नीचे मुंसिफ होते हैं। मुंसिफ को १०००) रु० से ज़्यादह मालियत के मुकद्मे सुनने का अधिकार नहीं है परंतु सब-जज के यहां मालियत की कोई कैद नहीं है। लाखों रुपए तक के मुकद्मे सुनने का उसे अधिकार है। इनके अतिरिक्त खफ़ीफा अदालत है जो ५००) रु० तक के छोटे छोटे मुकद्मे उसी समय तै कर देती है अर्थात् जिन में गवाही वगैरह की सादियां नहीं ली जातीं। जहां खफीफा अदालत नहीं है वहां सब-जज और मुंसिफ को ही ५०) और १००) रु० तक की मालियत के मुकद्मे करने का अधिकार है। इन के सिवाय ग्रामों में भी मुंसिफ हैं जिनको २०) रु० तक के तथा दोनों पक्षवालों की स्वीकारता से २००) रु० तक के मुकद्मे सुनने का अधिकार है।

अपील—मुंसिफ की अपील ज़िला जज के यहां होती है। ज़िला जज को अधिकार है कि चाहे वह स्वयं अपील सुने चाहे सब-जज के यहां भेज दे। सब-जज के यहां की अपील भी ज़िला जज के यहां जाती है परंतु यदि असली मुकदमे की मालियत ५०००) रु० से अधिक की होती है तो अपील हाई कोर्ट में होती है।

प्रीवी कौंसिल—हिंदुस्तान के हाई कोर्ट अथवा चीफ कोर्ट के दीवानी तथा फौजदरी दोनों प्रकार के मुकदमें की अपील इंगलैंड में बादशाह की प्रीवी कौंसिल में होती है। प्रीवी कौंसिल के सदस्यों में से कुछ सदस्य, जो कानून में निपुण होते हैं, छांट लिए जाते हैं और उनकी एक कमेटी बनाई जाती है। यह कमेटी अपील सुनती है और इसका फैसला आखिरी होता है। फिर उसकी कहीं अपील नहीं होती।

६—प्रजा को सुख और शांति।

देश के शत्रु से रक्षा करना तथा प्रजा को सुख तथा शांति से रखना राजा का मुख्य धर्म है। ब्रिटिश गवरमेंट ने इसी हेतु पुलिस और सेना का प्रबंध कर रखा है। जब कोई शत्रु चढ़ाई करता अथवा और किसी प्रकार से हानि पहुँचाता है तो सेना उसके साथ युद्ध करती है और जब देश में ही कोई झगड़ा टंटा खड़ा हो जाता है तो पुलिस सहायता करती है। कभी कभी आपत्ति के समय पुलिस और सेना दोनों मिल जाती हैं।

भारत में सेना दो प्रकार की है। एक नियमित सेना, दूसरी सहायक सेना। पहली सेना में अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी दोनों मिला कर ७४४८४ मनुष्य हैं और दूसरी में १५८३४३ हैं। इसमें वालंटियर, इंपारियल सर्विस फौज, सरहदी फौज तथा फौज़ी पुलिस हैं। नियमित सेना का सपूर्ण प्रबंध आरमी कोर कमेंड (Army Corps Commands) और १० डिवीज़नल कमेंडों द्वारा होता है। प्रत्येक आरमी कोर कमेंड एक जनरल के अधीन है और डिवीज़नल कमेंड लफटंट जनरल और मेजर जनरल के अधीन हैं। प्रत्येक डिवीज़नल कमेंड अनेक बिरगेडों में विभक्त है। सेना के उच्च कर्मचारी क्रम से इस प्रकार होते हैं:—जनरल, लफटंट जनरल, मेजर जनरल, करनल, मेजर, कप्तान, लफटंट, सेकंड लफटंट।

सेना के प्रबंध और शासन के लिये अनेक विभाग हैं और प्रत्येक विभाग के निश्चित कर्तव्य और अधिकार हैं। मुख्यतया दो विभाग हैं। एक सेना विभाग, दूसरा आवश्यकता पूर्ति विभाग। सेना विभाग का संबंध सेना, वालंटियर तथा कंटुनमेंटों से है और दूसरे विभाग का कार्य सेना के लिये अनाज कपड़ा औज़ार हथियार औषधि, नौकर चाकर, जानवर वगैरह की पूर्ति करना है। प्रत्येक वस्तु की पूर्ति के लिये एक पृथक विभाग है और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष है। प्रधान सेनापति (Commander-in-chief) सेना का सब से ऊँचा अधिकारी है। उसके दफ़तर में कितने ही कर्मचारी हैं।

वालंटियर—वालंटियरों की संख्या ३४००० के लगभग है। इनकी ६१ कोरें हैं। छोटे छोटे कर्मचारियों का चुनाव कोरों द्वारा ही होता है परंतु कप्तान के पद पर प्रांतीय गवरमेंट द्वारा उन्नति होती है। कमांड करनेवाले कर्मचारियों को गवरनर जेनरल नियत करते हैं। हिंदुस्तान भर के वालंटियरों के ऊपर एक इंसपेक्टर जनरल होता है।

इंपीरियल सरविस ट्रूप—इनकी संख्या १८००० है। इनका खर्च देशी रियासतों द्वारा होता है।

इंपीरियल केडट कोर—सरदारों और राजाओं के लड़कों को इस अभिप्राय से शस्त्र विद्या की शिक्षा दी जाती है कि जिससे वे शिक्षा पा कर इंपीरियल सरविस ट्रूप

में शिक्षित कर्मचारी बनें। उन्हीं का इंपीरियल सरविस कैडट कोर कायम किया गया है। इसमें लगभग २० नवयुवक होते हैं जो अंग्रेज अफसरों द्वारा युद्ध कला और शस्त्र विज्ञान की दो तीन वर्ष तक शिक्षा पाते हैं। इस कोर के रहने का स्थान जाड़े में मेरठ और गर्मी में देहरादून होता है।

समुद्रीय सेना—जिस प्रकार गवरमेंट ने अरब और फारिस के किनारों वगैरह के राज्यों से संधियां करके भूमि मार्ग से भारत को सुरक्षित कर रखा है, उसी प्रकार जल मार्गों से भी उसे सुरक्षित रखने के लिये तथा व्यापार की वृद्धि के लिये ब्रिटिश गवरमेंट ने एक भारतीय समुद्रीय सेना विभाग स्थापित कर रखा है जिसका काम बंदरगाहों की रक्षा करना, माल और आदमियों को लाना ले जाना, समुद्र की सरवे करना, तथा समुद्रीय ठगों को दबाना है। इस बेड़े में समुद्र में चलनेवाले ११ जहाज़ हैं, ५ नदियों में चलनेवाले स्टीमर और अनेक छोटी छोटी किश्तियां हैं। हिंदुस्तान से १५ लाख रुपया हर साल अंग्रेजी बेड़े के कुछ जहाजों के लिये दिया जाता है।

पुलिस—भीतरी शांति बनाए रखने तथा अपराधियों का पता लगाने और उनको दबाने के लिये पुलिस है। सूबे की पुलिस का सब से ऊँचा अधिकारी इंसपेक्टर जनरल पुलिस है। उसके नीचे एक या अधिक डिप्टी इंसपेक्टर जनरल हैं। हर एक जिले में एक सुपरिंटेंडेंट पुलिस होता है जो ज़िला

मैजिस्ट्रेट के अधीन होता है। बड़े बड़े ज़िलों में उस की सहायता के लिये असिसटेंट सुपरेंटेंडेंट अथवा डिप्टी सुपरेंटेंडेंट भी होते हैं। सुपरेंटेंडेंट की जगह के लिये इंगलैंड में एक मुकाबले की परीक्षा होती है। हिंदुस्तान में भी इस जगह के लिये कुछ लोग नामजद किए जाते हैं तथा कुछ लोग छोटे दरजे से बढ़ कर भी इस दरजे पर पहुँच जाते हैं, परंतु इस हालत में भारत गवरमेंट की स्वीकारता लेनी पड़ती है। डिप्टी सुपरेंटेंडेंट की जगह पर हिंदुस्तानी ही नियत किए जाते हैं।

खास पुलिस—हर एक जिले में एक इंसपेक्टर के अधीन खास पुलिस रहती है जो ज़रूरत के समय काम आती है। इस पुलिस को कवायद, निशानाबाजी तथा पुलिस के सब काम सिखाए जाते हैं।

ज़िला प्रबंध—हर एक जिला पुलिस के कामों के लिये अनेक हलकों में बँटा हुआ है और हर एक हलके में एक एक इंसपेक्टर है। हर एक हलका छोटे छोटे थानों में बँटा हुआ है। हर एक थाने में एक एक सब-इंसपेक्टर (दरोगा) होता है। उसका काम थाने भर के तमाम गाँवों की निगरानी रखना तथा चोरों और अपराधियों का पता लगाना है। उसके अधीन छोटे दारोग़ा, जमादार तथा कितने ही सिपाही (कानिस्टिबिल) होते हैं। सब-इंसपेक्टर सीधे नियत किए

जाते हैं। ये ही तरक्की पाकर इंसपेक्टर होते हैं। हर एक थाने में कई गाँव होते हैं और हर एक गाँव में एक या ज्यादह चौकीदार होते हैं। चौकीदार का काम गाँव की रक्षा करना, रात को पहरा देना, बदमाशों पर निगाह रखना, चोरों और अपराधियों को पकड़ना, चोरी अथवा किसी मामले की थाने में रपट लिखाना इत्यादि है। चौकीदार को जिला मैजिस्ट्रेट नियत करता है। शहरों में भी इसी भांति पुलिस का प्रबंध है। हर एक शहर में कई कई थाने हैं और हर एक थाना अपने अपने मोहल्लों का जिम्मेवार है। हर एक शहर का एक कोतवाल होता है जो तमाम थानों की देख भाल करता है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास तथा रंगून में एक कमिश्नर है और उसके अधीन कितने ही विलायती और देशी अफसर और कानिस्टिबिल हैं।

रेलवे पुलिस—रेलवे पुलिस का खास काम रेलवे के माल की निगरानी और हिफ़ाज़त करना है। यह पुलिस डिप्टी इंसपेक्टर जनरल के अधीन है और उसका संबंध वहीं तक है जहां तक सूबा है, परंतु पंजाब में यह बात नहीं। पंजाब रेलवे पुलिस का उत्तरीय पश्चिमीय सरहदी सूबे की रेल से भी संबंध है।

पुलिस कर्तव्य—पुलिस के तीन प्रकार के कर्तव्य हैं। (१) अपराधों की खोज करना और उनकी रिपोर्ट अपराधी सहित ज़िला अफसर के सामने पेश करना। (२) अदालत में

मुकदमे की पैरवी करना। (३) जिन आदमियों पर शुभा है अथवा जो पहले दंड पा चुके हैं, उन पर दृष्टि रखना तथा लोगों के जीवन और धन की रक्षा करना और शांति बनाए रखना।

पुलिस के अतिरिक्त एक विभाग गुप्त या खुफिया पुलिस (Detective) का है जिसका काम अपराधों की खोज करना और गवरमेंट को सूचना देना है। इस विभाग का अधिकारी एक डायरेक्टर है जो भारत गवरमेंट के अंतरंग विभाग के अधीन है। यह विभाग संपूर्ण भारतवर्ष की पुलिस के साथ काम करता है। इस प्रकार गवरमेंट ने प्रजा के सुख और शांति के इतने विभाग स्थापित कर रखे हैं। यद्यपि अब तक गुप्त पुलिस विभाग में कितनी ही त्रुटियां पाई जाती हैं और पुलिस की बेईमानी की शिकायतें भी सुनने में आती हैं तथापि यह बात मान्य है कि गवरमेंट इन त्रुटियों को दूर करने और पुलिस को वास्तव में योग्य और उपयोगी बनाने का यथाशक्ति उद्योग कर रही है। बहुत हद तक गवरमेंट को इन उद्योगों में सफलता भी हुई है। अब शिक्षित और प्रतिष्ठित लोग पुलिस में आने लगे हैं और उनके वेतन और भावी आशाएं भी गवरमेंट ने बढ़ा दी हैं। भावार्थ यह कि अब से १० वर्ष पहले जो पुलिस की दशा थी अब उसमें बहुत कुछ उन्नति हो गई है।

—०—

७—प्रजा का स्वास्थ्य ।

जहां ब्रिटिश गवरमेंट ने शत्रु से रक्षा करने तथा दुष्टों का निग्रह करने के लिये पुलिस आदि का प्रबंध कर रखा है, वहाँ जन साधारण की स्वास्थ्यरक्षा और निरोगता के लिये डाक्टरी तथा सफाई विभाग भी स्थापित कर रखा है। इन विभागों में सरजन, एसिस्टेंट सरजन तथा सब-एसिस्टेंट सरजन ये तीन सिविल और फ़ौजी दोनों प्रकार के होते है। सिविल तथा सफाई विभाग एक डाइरेक्टर जनरल के अधीन है और फौज़ी विभाग बादशाह की हिंदुस्तान की सेना के मुख्य मेडिकल कर्मचारी के अधीन है। सिविल तथा मिलेटरी सरजन इंडियन मेडिकल सरविस के होते हैं। यह सरविस बिलकुल मिलिटरी होती है। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं उन्हें इंगलेंड में मुकाबले की परीक्षा देनी पड़ती है। जितने विद्यार्थी उसमें लिए जाते हैं उनको ४ मास तक शिक्षा पानी होती है और एक दूसरी परीक्षा पास करनी होती है। पीछे से उन्हें हिंदुस्तान में फौज़ में शामिल होकर दो वर्षों तक नौकरी करनी होती है तब उन्हें सिविल नौकरी मिलती है।

एसिस्टेंट सरजन—इस पद पर प्रायः सब हिंदुस्तानी हैं। जो लोग इस पेशे को पसंद करते हैं उन्हें एक नियमित समय तक हिंदुस्तान के ५ डाक्टरी कालिजों में से किसी

एक में शिक्षा पानी होती है। ऐसे कालिज संयुक्त प्रांत में लखनऊ में और पंजाब में लाहौर में तथा बंबई, मद्रास और कलकत्ते में हैं। परीक्षा पास करने के बाद वे लोग छोटे छोटे अस्पतालों में रखे जाते हैं अथवा बड़े बड़े अस्पतालों में अनुभवी डाक्टरों की अधीनता में रखे जाते हैं। इंडियन मेडिकल सरविस की कुछ जगहें इन लोगों के लिये खास नियत रहती हैं।

सब-एसिस्टेंट सरजन—हिंदुस्तान में कितने ही डाक्टरी स्कूल हैं। जो लोग सब-एसिस्टेंट बनना चाहते हैं उन्हें किसी एक मेडिकल स्कूल में नियत समय तक पढ़ना होता है। वहां से निकलने पर उनको छोटे छोटे अस्पतालों में रखा जाता है। फौजी एसिस्टेंट सरजन और सब-एसिस्टेंट सरजन तथा सिविल एसिस्टेंट सरजन और सिविल सब एसिस्टेंट सरजनों की योग्यता समान समझी जाती है। कुछ सिविल जगहें मिलेटरी लोगों के लिये नियत रहती हैं कि जिससे लड़ाई के समय कठिनाई न हो।

हर एक सूबे में डाक्टरी तथा सफाई का प्रबंध अस्पतालों के इंसपेक्टर जनरल तथा सेनिटरी कमिशनर के हाथ में होता है और स्थानीय गवरमेंट की उन पर देख रेख होती है। बंबई और मद्रास में इंसपेक्टर जनरल को सरजन जनरल कहते हैं। छोटे छोटे सूबों में डाक्टरी और सफाई दोनों विभाग एक ही कर्मचारी के अधीन होते हैं। बंबई के

सिवाय अन्य प्रांतों में जिले भर का मेडिकल और सेनिटरी प्रबंध सिविल सरजन के हाथ में होता है। मद्रास प्रेसिडेंसी में उसको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल तथा सेनिटरी अफसर कहते हैं। जिले भर के शफ़ाखानों को निरीक्षण करना और प्रजा की स्वास्थ्य संबंधी बातों का विचार करना उसका मुख्य कर्तव्य है। ऊँचे दरजे के सरकारी कर्मचारियों का वह बिना फीस के इलाज करता है। बंबई प्रेसिडेंसी में सिविल सरजन को सिर्फ जिले भर के निरीक्षण का कार्य रहता है। ग्रामीण अस्पतालों और शफाखानों पर सर्जन जनरल की देख रेख रहती है और सफाई का काम डिप्टी सेनिटरी कमिश्नरों की निगरानी में होता है जो प्रांतीय सेनिटरी कमिशनर के अधीन होते हैं।

रोगियों के इलाज के लिये गवरमेंट ने प्रायः सब शहरों में अस्पताल और शफ़ाखाने खोल रखे हैं, जिनमें रोगियों को बिना मूल्य दवा दी जाती है। हर एक जिले में एक एक सिविल सरजन और कई एसिस्टेंट और सब-एसिस्टेंट सरजन रहते हैं। बड़े बड़े कस्बों और गाँवों में भी शफ़ाखाने बने हुए हैं। भारतवासी स्वाभावतः रोगावस्था में अपने घर बार तथा मित्र संबंधियों से अलग रहना पसंद नहीं करते। इसी कारण से शफ़ाखानों में रोगियों के रहने का अधिक प्रबंध नहीं है। इस देश में प्रायः रोगी दवा लेकर घर चले

जाते हैं, शफ़ाखाने में रहना पसंद नहीं करते, परंतु अब शिक्षा की बढ़ती होने से लोगों के विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ है। अब तक तो लोगों को शफ़ाखानों के नाम से भी घिन थी। वे मर जाना अच्छा समझते थे परंतु शफ़ाखानों में जाना पसंद नहीं करते थे, परंतु अब यह बात नहीं है। अब लोग शफ़ाखानों में जाने और उससे लाभ उठाने लगे हैं। सब से अच्छे अस्पताल प्रेसिडेंसी अस्पताल हैं। उनके साथ कालिज भी लगे हुए हैं। उनमें सब तरह के औज़ार कल और दवाइयां हैं और सैकड़ों रोगियों के रहने का उत्तम प्रबंध हैं। सरकारी अस्पतालों के सिवाय अनेक प्राईवेट शफ़ाखाने और औषधालय भी देश में जन साधारण के हितार्थ खुले हुए हैं। प्राइवेट डाक्टरों और देशी हकीमों और वैद्यों की संख्या भी बहुत ज़्यादह है। कोई ग्राम ऐसा न होगा जहां कोई वैद्य या हकीम न हो। पुरुषों के लिये तो गांव और शहर सब जगह प्रबंध था परंतु स्त्रियों के लिये जो प्रायः परदे में रहती हैं कोई भी प्रबंध न था। न वे बेचारी शफ़ाखानों में जाकर डाक्टरों को अपना दुःख बता सकती थीं और न अपने पुरुषों से ही अपना हाल कह सकती थीं। भाग्य से सन् १८८५ ई० में उस समय के बड़े लाट लार्ड डफ़रिन की विदुषी धर्मपत्नी श्रीमती लेडी डफरिन का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिये एक सभा स्थापित की। यह लेडी डफरिन तथा उनकी स्थापित की

हुई सभा के ही उद्योग का फल है कि आज हिंदुस्तान में खास स्त्रियों के लिये २६० शफ़ाखानों के लग भग हैं जिन में सारा प्रबंध स्त्रियों द्वारा ही होता है। इस के अतिरिक्त लेडी डाक्टरों तथा हिंदुस्तानी दाइयों की शिक्षा का भी पूरा पूरा प्रबंध है। लेडी करजन ने सन १९०१—०२ ई० में सात लाख रुपए के लगभग दाइयों के शफ़ाखाने के लिये एकत्रित किए थे। लेडी हार्डिंज की भी इस काम से पूरी पूरी सहानुभूति थी। ऐसे शफ़ाखाने भी बहुत से हैं जहां कोढ़ियों की रक्षा की जाती है तथा कसौली वगैरह अनेक स्थानों पर ऐसे शफ़ाखाने बने हुए हैं जहां जंगली जानवरों वगैरह के काटे का इलाज होता है और सांप के काटे तथा मलेरिया की औषधि बिना मूल्य वितरण की जाती है।

रोगों की खोज—सरकार केवल रोगों की औषधि का ही प्रबंध नहीं करती किंतु रोगों को जड़मूल से खो देने तथा उनके सर्वथा न होने का भी यथोचित उद्योग करती है। इस के लिये अनेक विज्ञानशालाएँ स्थापित हैं जहां रोगों के कारण जानने तथा उनकी औषधि मालूम करने का प्रयत्न किया जाता है। बहुत सी बीमारियां प्रायः गंदगी से फैलती है, इस कारण से सरकार शहरों और ग्रामों में सफ़ाई का बड़ा ध्यान रखती है। बड़े बड़े शहरों में पानी को साफ करने और नालियों को साफ रखने का प्रबंध है। चेचक प्लेग वग़ैरह छुतेले रोगों से बचने के लिये टीके लगाए जाते हैं।

गाँव की सफ़ाई—हिंदुस्तान में १०० पीछे ६० आदमी ग्रामों में रहते हैं और ग्रामों के आदमी अशिक्षित होते हैं। इस कारण से सफ़ाई वगैरह की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। वे प्रायः तंग गंदे मकानों में रहते हैं जहां ताजी हवा नहीं जाती। एक ही बाड़े में बहुत से छोटे छोटे मकान बने होते हैं। उन्हीं में लोग जानवरों को बाँधते हैं और उन्हीं में आप सोते खाते पकाते हैं। छोटी सी कोठरी में कई कई आदमी सोते हैं। घरों के पास ही तालाब और जहाड़े भरे रहते हैं जिनमें बरसात का पानी सड़ता रहता है और पास ही कूड़े करकट और मैले के ढेर लगे रहते हैं। इन सब बातों की गाँवों के लोगों को कुछ आदत सी हो गई है। जहां तक विचार करके देखा जाता है यह सब अज्ञानता का परिणाम है। शिक्षा की बढ़ती से सब बातें अपने आप दूर हो जाँयगी। सफ़ाई विभाग ने अनेक ट्रैक्ट निकाले हैं जिनमें सफाई के मुख्य मुख्य सिद्धांतों का ज़िकर है। ग्रामीण पाठशालाओं में भी सफाई तंदुरुस्ती की किताब पढ़ाई जाती है। आशा है कि इन उपायों से गाँव के लोग धीरे धीरे सफ़ाई की तरफ ध्यान देने लगेंगे। सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और स्थानीय बोर्ड इसीलिये स्थापित कर रक्खे हैं। इन का मुख्य कर्तव्य गलियों, सड़कों, कुओं, नालियों, वगैरह का बनाना तथा उन की देख भाल करना है।

शहर की सफ़ाई—शहरों की सफाई म्युनिसिपैल्टियों के हाथ में है। सफाई संबंधी समस्त बातें म्युनिसिपैल्टी के कानूनों में गर्भित हैं। साफ़ पानी के पहुँचाने का प्रबंध करना, नालियों सड़कों का साफ़ रखना, कबरों, मरघटों, मंडियों, वधग्रहों वगैरह को शहर से बाहर रखना और उन की देख भाल करना ये सब काम म्युनिसिपैल्टियों के हैं। निःसंदेह म्युनिसिपैल्टियां इन बातों की ओर बहुत ध्यान देती हैं और दिन दिन शहरों की सफाई में उन्नति होती जाती है।

महामारी—जब कभी प्लेग, हैज़ा वगैरह महामारी फैलती है गवरमेंट की तरफ से ख़ास डाक्टर बीमारों को देखने और रोग का असली कारण मालूम करने और उस को रोकने के लिये भेजे जाते हैं। गवरमेंट अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं रख छोड़ती है। गवरमेंट ने यह जानने के लिये कि कितने आदमी किस रोग से मरे और पिछले साल से इस साल उस रोग से अधिक मरे या कम, एक रजिस्टर भी मौत और पैदाइश का खोल रखा है। अज्ञानता से अब तक हिंदुस्तान के लोग मौत और पैदाइश की सूचना देने में बड़ी बेपरवाही करते रहे, परंतु अब गवरमेंट ने सूचना देना आवश्यक कर दिया है। अब बच्चा पैदा हो अथवा कोई मरे तो उसके संबंधियों का कर्तव्य है कि उस की सूचना दें।

—o—

८—शिक्षा।

राजा का काम केवल यही नहीं है कि प्रजा के धन और जीवन की रक्षा करे, किंतु सब से जरूरी काम यह है कि लोगों में शिक्षा का प्रचार करे जिससे वे शिक्षित होकर उपयोगी नागरिक बन सकें। राजा और प्रजा में पिता पुत्र का संबंध है। जिस तरह पिता अपने पुत्र को पूरी पूरी सँभाल रखता है और उसको योग्य बनाने में शक्ति भर प्रयत्न करता है उसी तरह राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा को समीचीन रूप से योग्य और शिक्षित बनावे। ब्रिटिस गवरमेंट का इस ओर पूरा पूरा ध्यान है। भारत में जिस शिक्षा का भार गवरमेंट ने अपने ऊपर ले रखा है वह तीन प्रकार की है—(१) आरंभिक शिक्षा, (२) उच्च शिक्षा (३) शिल्प शिक्षा। सन् १८३५ ई० तक न तो गवरमेंट का ध्यान शिक्षा की ओर गया था और न लोगों ने ही इस विषय में गवरमेंट को कुछ सहायता दी थी। सन् १८५४ ई० में लार्ड हैलीफैक्स ने, जो उस समय बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स के इंगलैंड में सभापति थे, भारत के बड़े लाट को एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने इस बात को दिखलाया था कि बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स की राय यह है कि हिंदुस्तान में विशेष रूप से शिक्षा का प्रचार किया जाय। इस पत्र के आने से पहले इस विषय पर बड़ा वाद विवाद चल चुका था

कि हिंदुस्तानियों को संस्कृत फार्सी का विशेष ज्ञान कराया जाय अथवा अंग्रेज़ी भाषा का, और शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी भाषा रखी जाय अथवा देशी भाषा। इस विषय पर बहुत दिनों तक वाद विवाद रहा और बड़े बड़े विद्वानों में मतभेद रहा। अंत में लार्ड विलयम बेंटिक ने, जो उस समय हिंदुस्तान के बड़े लाट थे, ७ मार्च सन् १८३५ ई० को इस विषय पर एक प्रस्ताव पास किया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी रहे और पठन क्रम में पश्चिमीय विद्या को उच्च स्थान दिया जाय। इस के बाद सन् १८५४ ई० में लार्ड हैलीफैक्स का उक्त पत्र आया। उस के अनुसार उस समय से भारत में शिक्षा का ढांचा ढाला गया है। इन दोनों पत्रों से यह बात साफ़ तौर से मालूम होती थी कि जन साधारण को अंग्रेज़ी में शिक्षा देने में बड़ी बड़ी कठिनाइयां है और उक्त पत्र में यह बात लिखी हुई थी कि देश भाषाओं में ही सर्व साधारण को उत्तम रीति से शिक्षा दी जा सकती है। डाइरेक्टर लोगों ने भी इस बात पर पूरा पूरा ज़ोर दिया था। इसी नीति का अब तक पालन किया जा रहा है। जन साधारण को देशभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। अंग्रेज़ी भाषा अंग्रेज़ी स्कूलों और कालिजों में ही इस्तेमाल की जाती है। गवर्मेंट समझती है कि जन साधारण की शिक्षा की ओर उसका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए और गवर्मेंट ने अपने इस विचार को समय समय पर प्रगट भी किया है तथापि दुर्भाग्य से अभी तक

इसका परिणाम संतोषजनक नहीं हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा के प्रचार के लिये अब फिर से नवीन उद्योग और उपाय किए जा रहे हैं।

अधिकतर प्रारंभिक स्कूलों का प्रबंध म्युनिसिपैल्टियों, ज़िला बोर्डों अथवा प्राईवेट सोसाईटियों या व्यक्तियों के हाथ में है। थोड़े से स्कूल सरकार के हाथ में हैं। प्राईवेट स्कूलों में भी शिक्षा विभाग के नियमों का पालन किया जाता है और उन्हें सरकार से कुछ आर्थिक सहायता मिलती है। देशभाषा के कुछ ऊँचे स्कूल भी हैं जो मिडिल स्कूल कहलाते हैं। इनमें देशभाषा की शिक्षा पूर्ण होती है परंतु इन स्कूलों से अधिक लाभ नहीं है क्योंकि मिडिल पास करने पर भी लोगों को न कोई अच्छी जगह मिल सकती है और न उनका किसी विभाग में प्रवेश होता है।

अंग्रेज़ी स्कूल—यद्यपि अंग्रेजी स्कूलों के चलाने में म्युनिसिपल बोर्ड अथवा जिला बोर्ड इतना योग नहीं देते जितना सरकार देती है, तथापि अब बड़े बड़े प्रांतों में ऐसे स्कूलों की संख्या अधिक है जिनका प्रबंध सरकार के हाथ में नहीं है, किंतु प्राइवेट होता है। पहले संयुक्त प्रांत में अंग्रेजी स्कूल परीक्षा के तौर पर जिला बोर्ड के अधीन रक्खे गए थे परंतु उस में पूर्ण रूप से असफलता हुई। अब सरकार की राय इस विषय में यह है कि वह हर एक जिले में माडल

स्कूल स्वयं स्थापित करे तथा अन्य स्कूलों को जो सरकारी नियमों का पालन करें कुछ आर्थिक सहायता दे।

अंग्रेजी शिक्षा—देशभाषा में कुछ समय तक शिक्षा दिए जाने के बाद अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की जाती है। स्कूल की शिक्षा लग भग १२ वर्ष की होती है। पहले दो दरजे 'अ' और 'ब' कहलाते हैं। उस के बाद पहली दूसरी कक्षा शुरू होती है। तीसरी कक्षा से अंग्रेजी शुरू की जाती है। १० वीं कक्षा में स्कूल का कोर्स समाप्त हो जाता है। पहले १० वीं कक्षा तक कई परीक्षाएँ शिक्षा विभाग की तरफ से होती थीं परंतु उन से कोई लाभ नहीं समझा गया। उलटी ये हानिकर सिद्ध हुईं, इसलिये उन को तोड़ दिया गया है और अब केवल १० वीं कक्षा की परीक्षा युनिवर्सिटी अथवा शिक्षा विभाग की ओर से होती है। बंगाल वगैरह में तो अभी तक केवल एक ही परीक्षा है जिस का नाम मेट्रीक्यूलेशन है परंतु संयुक्त प्रांत में सब से पहले स्कूल-लीविंग परीक्षा और खोली गई है। यह परीक्षा युनिवर्सिटी की ओर से नहीं होती, किंतु शिक्षा विभाग की ओर से होती है। इस परीक्षा में किसी विषय की भी नियत पुस्तकें नहीं हैं, किंतु परीक्षार्थी की योग्यता देखी जाती है। इस प्रांत में मेट्रीक्यूलेशन की अपेक्षा स्कूल-लीविंग की ज़्यादह क़दर है यहां तक कि सन् १९१६ ई० के बाद से मेट्रीक्यूलेशन पास विद्यार्थियों को कोई सरकारी जगह नहीं मिलती। स्कूल

समितियां हैं जो पठन-क्रम नियत करती हैं तथा उपयोगी पुस्तकों को स्कूलों में जारी करती हैं। अब सरकार का ध्यान युनिवर्सिटियों को अधिक उपयोगी बनाने का हो रहा है। युनिवर्सिटी में महत्वशाली विषयों पर व्याख्यान देने के लिये विद्वान व्याख्याता नियत किए गए हैं और बंगाल विहार तथा मध्य प्रांत में समयोपयोगी युनिवर्सिटियां बनाने का उद्योग किया जा रहा है जिनमें विद्यार्थी वहीं रात दिन रह कर शिक्षा प्राप्त करें। काशी में हिंदू युनिवर्सिटी भी स्थापित हो गई है।

युनिवर्सिटी जीवन–पांचों युनिवर्सिटियों का अधिकार क्षेत्र नियत है और जो कालिज जिस क्षेत्र में है वह उसी युनिवर्सिटी में सम्मलित है। जैसे संयुक्त प्रांत में जो जो कालिज हैं वे सब इलाहाबाद युनिवर्सिटी में हैं, पंजाब युनिवर्सिटी से उनका कुछ संबंध नहीं है। इसी तरह पंजाब में जितने स्कूल और कालिज हैं वे सब पंजाब युनिवर्सिटी में हैं, इलाहाबाद युनिवर्सिटी से उनका कोई संबंध नहीं है। कालिज दो प्रकार के हैं। पहले दरजे के वे कालेज हैं जिनमें बी. ए. तक की शिक्षा दी जाती है। दूसरे दरजे के वे कालिज हैं जिनमें एफ. ए. तक की शिक्षा दी जाती है। हिंदुस्तान के कालिजों और विलायत के कॅम्ब्रिज और आक्सफोर्ड के कालिजों में बड़ा अंतर है। वहां एक युनिवर्सिटी में जितने कालिज हैं वे सब एक ही जगह हैं, अतएव वहां के पढ़नेवाले विद्यार्थियों

में एक प्रकार का विशेष जीवन और स्वाभिमान पाया जाता है, परंतु हिंदुस्तान के कालिज सब तितर बितर एक दूसरे से दूर दूर हैं। यहां के विद्यार्थियों में कोई भी जीवन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर अधिकतर विद्यार्थी पढ़ने मात्र के लिये कालिजों में ३, ४ घंटों के लिये जाते हैं। बहुत थोड़े विद्यार्थी बोर्डिंगों में रहते हैं। विलायत में अधिकतर विद्यार्थी बोर्डिंगों में रहते हैं और रात दिन साथ रहने के कारण उनमें प्रेम और प्रीति पाई जाती है। हिंदुस्तान में भी बनारस हिंदू कालिज तथा अलीगढ़ मोहमडन कालिज इस त्रुटि को बहुत कुछ दूर कर रहे हैं। बोर्डिंगों की संख्या भी दिन दिन बढ़ती जाती है।

युनिवर्सिटी कोर्स–हिंदुस्तान की युनिवर्सिटियों में साहित्य, विज्ञान, कानून, डाक्टरी तथा इंजिनयरी की उपाधियां मिलती हैं। रुड़की के इंजिनयरिंग कालेज को छोड़ कर जो स्वयं युनिवर्सिटी है और जिसमें केवल परीक्षा ही नहीं ली जाती किंतु पढ़ाया भी जाता है, शेष इंजिनयरी तथा डाक्टरी कालिज भिन्न भिन्न युनिवर्सिटियों के अधीन हैं। स्त्री शिक्षा की ओर भी शिक्षा विभागों का ध्यान दिन दिन बढ़ता जाता है। राजाओं तथा सरदारों के लड़कों की मानसिक, शारीरिक, आत्मिक तथा नैतिक शिक्षा के लिये अजमेर, राजकोट, इंदौर तथा लाहौर में पृथक कालेज खोले गए हैं।

शिल्प शिक्षा—शिल्प तथा कला कौशल की शिक्षा के लिये भी अनेक स्कूल और कालिज खुले हुए हैं। हिंदुस्तान की कला कौशल की बढ़ती के लिये कौशल सिखलानेवाले स्कूलों की बड़ी भारी जरूरत है परंतु दुर्भाग्य से अच्छे लड़के वर्तमान शिल्प स्कूलों से यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते। जिन लड़कों ने इन स्कूलों में शिक्षा भी पाई है वे भी कोई काम करने की अपेक्षा दफतरों में क्लर्की की तलाश में रहते हैं। सरकार ने अच्छे लड़कों के चित्त को आकर्षित करने के लिये इन स्कूलों में बहुत कुछ सुधार भी किए हैं। वर्तमान शिल्प विद्यालयों में लुहार, बढ़ई, तथा दरजी का काम अधिकतर सिखलाया जाता है। परंतु धातु का काम करना, कपड़ा बुनना, दरी बनाना, मकान बनना, मोमबत्तियां बनाना, खेत का काम करना, बागबानी करना, इन विषयों की बहुत कम शिक्षा दी जाती है।

आर्ट स्कूल—कलकत्ता, मद्रास, बंबई, लाहौर तथा लखनऊ में सरकार की तरफ से आर्ट स्कूल खुले हुए हैं। इन स्कूलों में प्रायः दस्तकारी का काम सिखलाया जाता है। मद्रास के स्कूल में जो सन् १८५० ई० में खोला गया था दो विभाग हैं। एक विभाग में हर तरह का चित्रकारी (Drawing) का काम सिखलाया जाता है। दूसरे विभाग में धातु का काम करना, जेवर बनाना, जवाहिरात का काम करना, दरी बुनना, सूत बुनना, मिस्तरी का काम करना, मिट्टी के खिलौने

बनाना, नक्काशी का काम करना तथा खाके वगैरह बनाना सिखलाया जाता है। बंबई के स्कूल में चित्रकारी, रंगसाज़ी, मूर्ति बनाना तथा लोहे का काम सिखलाया जाता है। इसी स्कूल में एक कारखाना (Work-shop) है जिसमें सोने चांदी का काम, मीनाकारी, दरी बुनना, लकड़ी में खोदकर फूल पत्तियां बनाना तथा लोहे पीतल तांबे पर नकश-निगारी का काम करना सिखलाया जाता है। अब सरकार की यह राय है कि इन स्कूलों में खास खास चीजें ही सिखलाई जाँय और छात्रों के प्रवेश तथा उनकी वृत्तियों में भी कुछ बंदिशें की जाँय।

इंजियनिरी कालिज—यद्यपि मद्रास, बंबई, बंगाल तथा संयुक्त प्रांत में कई इंजिनियरी कालिज हैं, तथापि सब से अच्छे कलिज शिवपुर और रुड़की में हैं।

कृषि कालिज— (Agricultural Colleges) भारत एक कृषिप्रधान देश है, अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि जमीदारों को कृषि विज्ञान की उचित शिक्षा देने के लिये यथेष्ट प्रबंध किया जाय। इसी हेतु से पूसा में एक विशाल कृषि कालिज है। उसीके साथ कृषि विज्ञानशाला तथा पशु-शाला है और अनुभव के लिये खेती भी की जाती है। इसके अतिरिक्त मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, पंजाब, तथा मध्य प्रांत में कृषि स्कूल हैं।

व्यापार शिक्षा— (Commercial Education.) अभी तक व्यापार शिक्षा की ओर हिंदुस्तान में किसी का भी ध्यान नहीं था परंतु हिंदुस्तान की व्यापार वृद्धि से अब इस विषय की ओर सरकार का ध्यान बढ़ता जाता है। अनेक स्कूल और कालिज व्यापार शिक्षा के लिये खोले गए हैं तथा अंग्रेजी स्कूलों के पठन क्रम में भी व्यापार शिक्षा को स्थान दिया गया है। संयुक्त प्रांत में स्कूल-लीविंग की परिक्षा में व्यापार, कृषि, चित्रकारी, दस्तकारी ये विषय परीक्षार्थी की इच्छा पर रक्खे गए हैं। इनमें से वह चाहे जो ले सकता है। जिन विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिये शिल्प विद्यालयों में जाने की इच्छा होती है उन्हींके लिये स्कूल-लीविंग में ये विषय रखे गए हैं। एक व्यापार (Commercial) कालिज हाल में बंबई प्रांत में खोला गया है।

डक्टरी कालिज—(Medical Colleges) उपर्युक्त विद्यालयों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में ५ डाक्टरी कालिज और २८ स्कूल हैं। कालेजों में एसिस्टेंट सरजन तैयार किए जाते हैं और स्कूलों में सब-एसिस्टेंट सरजन। हर साल सैंकड़ों विद्यार्थी परीक्षा पास करके निकलते हैं। कितनों को तो सरकार नौकर रख लेती है और कितने ही प्राइवेट रीति से काम करते हैं।

कानूनी शिक्षा— (Legal Education) कानून की शिक्षा का ढंग भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न है। कुछ प्रांतों में

तो खास कानूनी स्कूल हैं परंतु कुछ में साहित्य संबंधी कालिजों के साथ ही कानूनी क्लासों का लगा रक्खा है। अनुभव से यह बात सिद्ध हो गई है कि अन्य विषयों के कालिजों के साथ कानूनी क्लासों के लगा देने से उत्तम रीति से शिक्षा नहीं होती बल्कि शिक्षा में बड़ी भारी हानि पहुँचती है, अतएव वर्तमान काल में सरकार की राय हर एक युनिवर्सिटी के साथ पृथक सेंट्रल कानूनी कालिज खोलने की है।

अध्यापकों की शिक्षा—यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि बच्चों को उस समय तक स्कूलों में उत्तम शिक्षा नहीं मिल सकती जब तक उनके अध्यापक नवीन शैली से शिक्षा पाए हुए न हों और शिक्षा संबंधी सिद्धांतों और उपायों को न जानते हों। इसी हेतु सरकार ने भिन्न भिन्न प्रांतों में ट्रेनिंग कालिज स्थापित किए हैं जिनमें उन लोगों को जो अध्यापकी का कार्य करना चाहते हैं विशेष रूप से शिक्षा देने का ढंग और क्रम सिखलाया जाता है।

साहित्य वृद्धि—शिक्षा विभागों से जो जो लाभ हिंदुस्तान को पहुँचे हैं वे कुछ कम नहीं हैं। इन्हीं की बदौलत हिंदुस्तान में प्रति दिन नए नए समाचारपत्र, पत्रिकाएँ और पुस्तकें निकलती जाती हैं और सुयोग्य संपादक और लेखक पैदा हो गए हैं। मुद्रित पुस्तकों में धर्म ग्रंथों की संख्या सब से अधिक है। दूसरे नंबर पर काव्य और नाटक

हैं और उनके बाद भाषा, उपन्यास, इतिहास, जीवनचरित्र, वैद्यक, कानून, गणित, विज्ञान और सिद्धांत ग्रंथों का क्रम से नंबर है। आर्य भाषाओं में गुजराती, मराठी, बंगला और उर्दू भाषा का साहित्य बहुत बढ़ा चढ़ा है। हिंदी भाषा का साहित्य भी दिन दिन बढ़ता जाता है। कुछ ग्रंथ वास्तव में हिंदी साहित्य में अपूर्व रत्न हैं। यह दुःख की बात है कि मुख्य मुख्य देशभाषाओं की ओर लक्ष्य न देकर कुछ लोग अज्ञानवश भिन्न भिन्न बोलियों की उन्नति करने में दत्त-चित्त हो रहे हैं।

शिक्षा विभाग का प्रबंध—हर एक प्रांत में शिक्षा विभाग का संपूर्ण प्रबंध एक कर्मचारी के हाथ में है जिसको डाईरेक्टर आफ पबलिक इंसट्रकशन कहते हैं। छोटे छोटे प्रांतों में उसको इंसपेक्टर जनरल आफ एजूकेशन कहते हैं। भारत गवरमेंट की तरफ़ से संपूर्ण भारतवर्ष के शिक्षा विभागों की देखरेख के लिये एक उच्चाधिकारी है जिसको एजूकेशनल कमिश्नर कहते हैं। हर एक प्रांत में इंसपेक्टर, एसिस्टेंट इंसपेक्टर, डप्टी इंसपेक्टर तथा सब-डिप्टी इंसपेक्टर होते हैं जिनका कार्य मुख्यतया स्कूलों की देख रेख और जांच पड़ताल करना होता है।

९—स्थानीय स्वराज्य।

यह बात स्वाभाविक है कि ज्यों ज्यों शिक्षा का प्रचार बढ़ता जाता है त्यों त्यों शिक्षित लोगों की अपने देश के शासन में अधिकतर भाग लेने की इच्छा भी बढ़ती जाती है। जिस देश में लोग अपने को राज्य का एक अंग समझते हैं और उस व्यावहारिक और राजनैतिक ज्ञान के प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं जो राजा और प्रजा के घनिष्ट संबंध बनाए रखने के लिये आवश्यक है, वहां के राज्य में हर एक प्रकार की वृद्धि होती रहती है। कुछ काम ऐसे हैं जिनमें लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। ब्रिटिश राज्य के प्रारंभ में ही इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई थी और इस पर अमल भी शुरू हो गया था परंतु बहुत दिनों तक लोगों की सहायता केवल नाम मात्र थी। सन् १८७० ई० के बाद इस बात की विशेष आवश्यकता मालूम हुई कि शिक्षा सफाई औषधि ज्ञान तथा अन्य स्थानीय सार्वजनिक कार्यों के लिये देखरेख की बड़ी ज़रूरत है।

अधिकतर म्यूनिसिपैलिटियों को उन्नत अवस्था पर लाने और उनको अधिकतर उपयोगी बनाने के उपाय सोचे गए। कुछ नियम भी इस विषय में पास किए गए, परंतु इसका परिणाम कुछ विशेष लाभदायक नहीं हुआ। लार्ड

रिपन (Ripon) ने जो स्थानीय स्वराज्य की हृदय से बढ़ती चाहते थे और उसको सार्वजनिक और राजनैतिक शिक्षा का एक कारण समझते थे, इसकी और उन्नति की और कस्बों और शहरों के लोगों को स्थानीय मामलों के प्रबंध में पहले की अपेक्षा अधिक भाग दिया। निर्वाचन को अधिक बढ़ा दिया गया और अनेक शहरों की कमेटियों को यहां तक अधिकार दे दिया गया कि वे किसी व्यक्ति को राज्य कर्मचारी के स्थान में सभापति चुन लें। उक्त लार्ड महोदय ने म्यूनिसिपल शासन और प्रबंध के नियम भी बनाए जिनका आज तक पालन किया जाता है।

म्यूनिसिपल बोर्ड—म्यूनिसिपल शासन एक बोर्ड द्वारा होता है जिसमें बहुत से नागरिक सदस्य होते हैं। ये सदस्य लोगों के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं। बंबई और मद्रास में इनको म्यूनिसिपल कौंसिलर (Municipal Councillors) कहते हैं। म्यूनिसिपल द्रव्य तथा संपत्ति इन्हीं के अधिकार में होती है। संपत्ति में सार्वजनिक इमारतें, गलियां, नालियां, कुएँ, तालाब, बूचड़खाने तथा बाज़ार वगैरह होते हैं। प्रायः म्यूनिसिपैल्टियों में कुछ मेंबर लोक-निर्वाचित होते हैं, शेष प्रांतीय गवरमेंट की आज्ञा से नियत किए जाते हैं। लोक-निर्वाचित मेंबरों तथा गवरमेंट द्वारा नियत मेंबरों में जो निस्बत होती है, वह क़ानून द्वारा निश्चित होती है। आधे से लेकर तीन चौथाई तक का अंतर होता है, परंतु

प्रांतीय गवरमेंट को अधिकार है कि इस कानून को किसी खास म्यूनिसिपैल्टी पर न लगावे। चुनाव के नियमों को कानून की सीमा के अनुसार प्रांतीय गवरमेंट निर्माण करती है और बड़ी बड़ी म्यूनिसिपैल्टियों में चुनाव प्रायः भिन्न भिन्न हलकों (Wards) अथवा जातियों अथवा दोनों द्वारा होता है। हर एक मनुष्य को राय देने का अधिकर नहीं है। केवल वे ही लोग राय दे सकते हैं जिन की आमदनी अच्छी होती है अथवा जिन के पास कुछ जायदाद होती है अथवा जो किसी मान्य युनिवर्सिटी के ग्रेजुवेट होते हैं। म्यूनिसिपल मैंबरों की अवधि तीन वर्ष की होती है। किसी किसी हालत में मैंबर लोग स्वयं अपना सभापति चुनते हैं परंतु अधिकतर प्रांतीय गवरमेंट नियत करती है। म्यूनिसिपैल्टी का मुख्य सेवक एक वेतनभोगी मंत्री होता है।

म्यूनिसिपल कर्तव्य—शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, आदि अनेक विभागों में म्यूनिसिपैल्टियों के कर्तव्य विभाजित हैं। सब बड़ी बड़ी म्यूनिसिपैल्टियों को सड़कों पर रोशनी का प्रबंध करना, गलियों को साफ रखना, गंदगी और बदबू का दूर करना, शहर को आग वगैरह से बचाना, हानिकर और स्वास्थ्यघातक व्यापारों को रोकना, खतरनाक इमारतों को हटाना, मुर्दों को जलवाना अथवा दफन कराना, सड़कों, बाज़ारों, बूचड़खानों, पाखानों, संडासों, पेशाबखानों, गुसलखानों, घाटों, चश्मे तालाबों, कुओं को साफ रखना, शुद्ध पानी का

प्रबंध करना, सड़कों के नाम रखना, मकानों पर नंबर डालना, टीका लगवाना, शफ़ाखाने खोलना, प्रारंभिक शिक्षा का प्रचार करना, महामारी आदि के समय रोग से निवृत्ति के उपाय सोचना तथा दुष्काल या मंहगी आदि के समय गरीब लोगों की सहायता करना, ये सब काम म्यूनिसिपैल्टियों के हैं। इन का पूरा करना म्यूनिसिपैल्टियों का परम कर्तव्य है। इन के अतिरिक्त नई सड़कें बनवाना, बाग बगीचे लगाना, पुस्तकालय अजायबघर, धर्मशालाएँ व्याख्यान-मंदिर आदि बनवाना भी म्यूनिसिपैल्टियों का काम है परंतु इन कामों के लिये म्यूनिसिपैल्टियां बाध्य नहीं हैं। हां, आय और आवश्यकता के अनुसार इन के बनाने में भी वे हिस्सा ले सकती हैं। सब लोगों को म्यूनिसिपल नियमों का पालन करना होता है। जो किसी नियम का उलंघन करता है वह दंड का भागी होता है।

सरकार की देख रेख—सरकार म्यूनिसिपैल्टियों की प्रबंध संबंधी अंतरंग बातों में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती। हां, ऊपर की देख रेख जिला कलेक्टर तथा कमिश्नर द्वारा रहती है। कमिश्नर को अधिकार है कि वह म्यूनिसिपैल्टी के चाहे जिस काम या कागज का निरीक्षण करे और सरकार की राय से जिस काम को कानून के विरुद्ध अथवा जन साधारण के लिये अशांति अथवा कष्ट या हानि का कारण समझे उसे रोक दे। सरकार को अधिकार है कि म्यूनिसिपल

मेंबरों की असावधानी से यदि किसी कर्तव्य का पालन नहीं होता है तो उस का पालन कराए तथा यदि मेंबर अयोग्य हों अथवा वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हों, तो उन को मुअत्तल कर दे। कुछ कामों में म्यूनिसिपैल्टियों को काम शुरू करने से पहले कमिश्नर अथवा सरकार की आज्ञा अवश्य लेनी पड़ती है।

म्यूनिसिपैल्टी की आमदनी—सरकार जो कुछ म्यूनिसिपैल्टियों को मदद देती है उस के अतिरिक्त म्यूनिसिपैल्टियों की आमदनी के मुख्य मुख्य साधन ये हैं। १. चुंगी, २. मकानों, जमीनों, जानवरों, गाड़ियों, पेशों तथा व्यापारों पर कर और सड़कों घाटों पर राहदारी, ३ पानी रोशनी सफ़ाई का महसूल। चुंगी केवल पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा बंबई में है। हर एक चीज पर चुंगी नहीं ली जाती। केवल उन्हीं चीजों पर चुंगी लगती है जिन का शहर में अधिक खर्च होता है और केवल उतनी ही चीज पर चुंगी लगती है जितनी शहर में खर्च होती है। जो माल शहर में खर्च नहीं होता और बाहर जाता है उस पर जो चुंगी लगती है वह वापिस कर दी जाती है। इस को वापसी कहते हैं। कहीं कहीं पर सरकारी माल-गोदामों में माल रखा रहता है और जितना शहर में जाता है उतने पर ही महसूल लगता है। उन चीजों पर म्यूनिसिपैल्टियाँ चुंगी नहीं लगा सकती हैं जिन पर गवरमेंट कर लगाती

हैं। जैसे नमक अफीम तेल वगैरह। इस के कहने की कोई जरूरत नहीं है, यह साफ़ है कि जब लोगों को म्यूनिसिपल्टियों से इतने लाभ पहुँचते हैं तो उन्हें किसी न किसी प्रकार का कर देने में कोई हिचकिचाहट न होनी चाहिए। म्यूनिसिपैल्टियां लोगों के लाभ के लिये ही हैं। लोगों द्वारा ही इन का शासन और प्रबंध होता है।

जिला बोर्ड—म्यूनिसिपल बोर्डों के कर्तव्य केवल शहर के भीतर ही हैं। शहर से बाहर जिले भर में सड़कों वगैरह का प्रबंध करना और लोगों के आने जाने में सुभीता करना यह जिला बोर्डों का कर्तव्य है। इस के अतिरिक्त और भी अनेक कर्तव्य जिला बोर्डों के हैं जैसे जिले भर में शफाखानों को चलाना, पानी को साफ रखना, सफाई का ख्याल रखना, टीके का प्रचार करना, शिक्षा का प्रबंध करना, घाटों तलावों की देख रेख रखना, बाजारों धर्मशालाओं सरायों वगैरह का बनाना और उन की सँभाल रखना तथा दुर्भिक्ष आदि के समय लोगों की मदद करना।

किसी किसी प्रांत में सहायक जिला बोर्ड भी हैं। इन को प्रायः लोकल बोर्ड कहते हैं। ये जिला बोर्डों के नीचे होते हैं। स्थानीय खर्च के कुछ काम इन के जिम्मे होते हैं और उन के लिये इन को रुपया मिलता है।

जिला बोर्डों में निर्वाचित मेंबर बहुत कम होते हैं, किसी किसी प्रांत में तो बिलकुल नहीं होते। सब मेंबर गवर्मेंट

द्वारा नियत किए जाते हैं। जिले का कलक्टर प्रायः जिला बोर्ड का सभापति होता है। जिला बोर्ड तथा लोकल बोर्ड के मेंबरों की अवधि तीन वर्ष की होती है।

आमदनी—जिला बोर्डों की आमदनी का मुख्य साधन जमीन का अबवाब होता है। १०० पीछे ६० रु० की आमदनी इसी से होती है। यह आसपास की स्थानीय सड़कों, स्कूलों तथा शफाखानों के खर्चे के लिये मालगुजारी के हिसाब से एक खास निस्बत से लिया जाता है। कुछ आमदनी घाट, काँजीहौज तथा स्कूलों और शफाखानों की फीस से भी हो जाती है।

पोर्ट-ट्रस्ट—तीसरी तरह का स्थानीय स्वराज्य समुद्र के किनारे के बड़े बड़े शहरों कलकत्ते, बंबई, कराँची, मद्रास, रंगून, तथा चटगांव में है। भिन्न भिन्न व्यापारिक जातियों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी होती है जिन के पास सरकार की सनद होती है। उक्त शहरों में से हर एक में इस प्रकार की कमेटी है जिस का नाम पोर्ट एँड हार्बर ट्रस्ट (Port and harbour Trust) है। इन का कर्तव्य जहाजों को अच्छी जगह देना और उन को जरूरी मदद पहुँचाना है। हर एक कमेटी का एक सभापति होता है जिस को सरकार नियत करती है।

इस प्रकार म्यूनिसिपल बार्डों, जिला बोर्डों तथा पोर्ट ट्रस्टों, इन तीनों के शासन और प्रबंध में सरकार लोगों की

सहायता लेती है और परोक्ष रूप से उन को राजनैतिक शिक्षा का ज्ञान कराती है तथा उन को शासन संबंधी उच्च कामों के लायक बनाती है और उन में कर्तव्य और नीति के संस्कार पैदा करती है।

१०—इमारत विभाग।

इस विभाग से जो जो लाभ लोगों को हैं उनके कहने की आवश्यकता नहीं। रेल,तार,डाक वगैरह के नाम से बच्चा बच्चा परिचित है। इन्हीं की बदौलत आज महीनों का सफ़र दिनों में तै हो जाता है और बात ही बात में पैसों में सैकड़ों मीलों की खबरें आती जाती हैं। ये सब इसी विभाग के काम हैं। इनके सिवाय नहरों, तालावों, झीलों, बंदों तथा सरकारी इमारतों की देख रेख भी इसी विभाग के हाथ में है।

सड़कें और इमारतें—सार्वजनिक कार्य ३ प्रकार के हैं—१. सड़कें और इमारतें; २. कुएं, नहरें, बंद, तालाब वगैरह; ३. रेलें। सरकारी इमारतों में स्कूल, शफाखाने, दफ-तर, जेल, अजायबघर और कचहरियां वगैरह हैं। हिंदू राजाओं तथा मुसलमान बादशाहों दोनों के समय में इमारतें लोगों के लाभ के लिये नहीं बनाई जाती थीं, बरन् शहरों की शोभा के लिये। इसमें संदेह नहीं कि आगरे का ताजमहल, दिल्ली का क़ुतुबमीनार, एलोरा और अजंटा के चट्टानों के कटे हुए मंदिर तथा आगरे और दिल्ली के महल जो उस समय के मौजूद हैं संसार के अद्भुत पदार्थों में से हैं। अंग्रेज़ी राज्य में ऐसी शायद ही कोई इमारत हो जो सुंदरता, दृढ़ता और निर्माण-कुशलता में इन इमारतों की समानता कर सके।

अंग्रेजी इमारतें जितनी बनाई जाती हैं वे सब जनसाधारण के लाभ और उपयोग के लिये बनाई जाती हैं, शोभा के लिये नहीं। हिंदुओं और मुसलमानों के समय में लोगों के फायदे की तरफ़ अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। उदाहरण के लिये सड़कों को लीजिए। उस समय में सड़कें बहुत ही कम थीं और लोग काफलों में ही बाहर आया जाया करते थे। अकेले दुकेले आदमी का साहस नहीं होता था कि कहीं आ जा सके परंतु आज कल चारों तरफ़ नई पक्की उमदा सड़कें बन गई हैं। हर साल उनकी देख रेख और मरम्मत होती है। जगह जगह पर उमदा पुल और मुसाफिरों के ठहरने के लिये सराएँ और धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। सड़कों के दोनों तरफ़ वृक्ष लगे हुए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुएँ बने हुए हैं। अंधे से अंधा आदमी भी सीधा बेखटके चला जाता है।

नहरें वगैरह—हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। इसलिये यहां पर खेती के लिये पानी की बड़ी भारी जरूरत है। बरसात से बहुत कुछ पानी मिलता है परंतु यहां की आबहवा की कुछ ऐसी हालत है कि प्रायः आवश्यक समय पर वर्षा नहीं होती और जो होती है तो बहुत कम होती है। इस कारण कभी कभी अकाल का सामना करना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने नहरें, तालाब और बंद वगैरह बनवाए हैं जिनसे जरूरत के समय पानी लिया जाता

है। दिन दिन इनकी बढ़ती की जा रही है और उन स्थानों में भी बड़े बड़े हौज (reservoirs) बनवाए जा रहे हैं जहां पानी की कमी के कारण हर साल अकाल पड़ता है।

रेल—जितना रेल ने लोगों के आचार विचार को बदल दिया है और उनमें समय के अनुसार काम करने की बुद्धि पैदा कर दी है उतना कदाचित् ही किसी दूसरे सार्वजनिक कार्य ने किया हो। रेल द्वारा ही आज व्यापार में इतनी उन्नति और बढ़ती देखने में आ रही है। रेल को हिंदुस्तान की उन्नति का मूल कारण कहना अनुचित नहीं है। अब से १०० वर्ष पहले कहीं रेल का नाम भी नहीं था परंतु अब जिधर देखिए रेलों की पटरियां और अंजनों का धुआं ही धुआं नज़र आता है। कुछ रेलें सरकार की हैं, कुछ देशी रियासतों की हैं और कुछ कंपनियों की हैं। कंपनियों ने सरकार की आज्ञा और स्वीकारता से उन्हें खोल रक्खा है। हिंदुस्तान में तीन तरह की लाइन अर्थात् रेल की पटरियां हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके बीच में ५,•६ फुट का अंतर है। ये बड़ी लैनें कहलाती हैं। कुछ ऐसी हैं जिनमें ३ फुट ३$\frac{३}{८}$ इंच का अंतर है। ये बीच के दरजे की लैनें हैं। कुछ ऐसी हैं जिनमें २$\frac{१}{२}$ फुट और कहीं कहीं केवल २ फुट का ही अंतर है। ये छोटी लैनें कहलाती हैं।

प्रबंध—मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार उड़ीसा तथा पंजाब में नहरों, सड़कों, इमारतों वगैरह के

अलग अलग चीफ़ इंजीनियर हैं। रेल का प्रबंध रेल्वे बोर्ड के अधिकार में है जो भारत सरकार के अधीन है। हर एक प्रांत अनेक डिवीज़नों में बँटा हुआ है। हर एक डिवीज़न में एक अथवा कई जिले हैं। पंजाब और संयुक्त प्रांत में सड़कों और इमारतों का डिवीज़न बहुत बड़ा है परंतु नहर डिवीज़न बहुत छोटे हैं। इसका कारण यह है कि नहरों पर देख रेख को बड़ी भारी जरूरत है। हर एक डिवीजन एक एकजिक्यूटिव इंजीनियर के अधिकार में है। उसी पर डिवीज़न भर की देख रेख, सफाई, मरम्मत, आमद खर्च वगैरह की जिम्मेवरी है। उनके अधीन एसिस्टेंट इंजीनियर, नायब इंजीनियर, ओवरसियर तथा सब-ओवरसियर होते हैं। ५, ६ डिवीज़नों का एक हल्का होता है और वह एक सुपरंटेंडिंग इंजीनियर (Superintending Engineer) के अधीन होता है। उनका काम तमाम जरूरी तखमीनों, नकशों और मौकों की जांच पड़ताल करना है।

डाक और तार—जहां रेल से हिंदुस्तान के व्यापार में वृद्धि हुई है वहां डाक और तार से भी बहुत कुछ उन्नति हुई है। रेल, डाक और तार का घनिष्ट संबंध है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। डाक और तार के बिना कलकत्ते का व्यापारी लंदन से माल नहीं मँगा सकता और डाकखाना रेल के बिना एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियों, पैकटों और पार्सलों के थैले नहीं भेज सकता और तार के

बिना रेल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भी सही सलामती से नहीं जा सकती।

डाकखाने का कर्तव्य—डाकखाने का काम चिट्ठियों, पैकटों, पार्सलों, पुस्तकों, समाचारपत्रों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और पानेवाले के मकान पर पहुँचाना है। डाकखाना इस बात का पूरा पूरा उद्योग करता है कि कोई चीज़ खोई न जाय। एक कार्ड तक के न पहुँचने पर भी डाकखाना साधारण से साधारण आदमी से भी शिकायत सुनने और उसकी खोज करने को तैयार है परंतु डाकखाना किसी चीज़ की पहुँच का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेता। हां, यदि उस पत्र या पैकट या पारसल की रजिस्टरी या बीमा करा दिया जाय तो डाकखाना उसकी जिम्मेवारी अपने उपर लेने को तैयार है। रजिस्टरी की फीस केवल =) है और बीमे की फीस भी केवल =) सैकड़ा है। हर कोई चीज़ वेल्युपेबल पारसल या पैकट से हर कहीं भेजी जा सकती है। इसी तरह हर कहीं मनी-आर्डर द्वारा रुपया भेजा जा सकता है। डाकखाने में सेविंग बंक भी रहता है जिस में जब चाहे रुपया जमा किया जा सकता है और जब चाहे उसमें से निकाल लिया जा सकता है। सूद भी ।) सैंकड़ा के हिसाब से मिलता है। सेविंग बंक के रुपए की सरकार जिम्मेवार है। डाकखाना केवल हिंदुस्तान में ही चिट्ठियां और पैकट नहीं पहुँचाता किंतु विदेशों में भी पहुँचाता है।

इस से अनुमान किया जा सकता है कि डाकखाने ने कितना सुभीता हमारे लिये कर दिया है। हम लखनऊ से आज एक पैसे का कार्ड लिख कर तीसरे दिन कलकत्ते से उसका जवाब अपने घर बैठे पा सकते हैं।

तार—तार के द्वारा ॥) में १२ शब्द मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मनी-आर्डर भी तार के द्वारा हजारों मील की दूरी पर जा सकते हैं। हम घंटों में कलकत्ते, बंबई की खबरें मंगा सकते हैं और लाखों रुपए का व्यापार कर सकते हैं। हजारों मील की दूरी पर समुद्रों पार के युद्ध समाचार तार द्वारा ही इतनी जल्दी मिलते हैं। बड़े बड़े शहरों में तारघर रात दिन खुला रहता है, छोटे छोटे शहरों में कुछ नियत समय तक खुला रहता है। बे वक्त, तार भी जा सकते हैं। उन में फीस अधिक देनी पड़ती है।

तार और डाक ये दोनों विभाग एक डाईरेक्टर जनरल के अधीन हैं। इन विभागों के प्रांतीय अधिकारी इंसपेक्टर जनरल (Inspector-general) हैं। इनके नीचे कितने ही इंसपेक्टर तथा टेलीग्राफ़ और पोस्ट मास्टर हैं। इन दोनों विभागों को मिलाकर एक कर देने की सरकार की राय है।

११—आय व्यय ।

हर साल सरकार अपनी आमदनी और खर्च का एक बजट बनाती है और उसे पास होने के लिये बड़े लाट की व्यवस्थापक कौंसिल (Legislative Council) में पेश करती है। पहले भारत सरकार के आर्थिक मेंबर (Financial member) उसको समझाते हैं, पीछे कौंसिल के अन्य मेंबर उस पर वाद विवाद करते हैं। सरकार का आर्थिक वर्ष अप्रैल से प्रारंभ होता है और अगले वर्ष की ३१ मार्च को समाप्त हो जाता है। बजट में सब मदों की आय व्यय की सूची रहती है। चूंकि बजट मार्च के महीने में पेश किया जाता है और वर्ष उस समय तक पूरा भी नहीं हो पाता इस कारण से उस वर्ष का असली आय व्यय नहीं दिखलाया जा सकता, किंतु अप्रैल से दिसंबर तक ६ महीनों में जो कुछ खर्च हुआ उसी से बाकी ३ महीनों का अंदाज़ा करके कुल साल का हिसाब लगा लिया जाता है। उसी से अगले वर्ष का अनुमान किया जाता है। बजट में आय व्यय में से प्रत्येक में चार खाने होते हैं—१-जो कुछ विगत वर्ष में खर्च हुआ, २-जो कुछ वर्तमान वर्ष के लिये बजट में रक्खा गया था, ३-जो कुछ पिछले ६ महीनों के खर्च के अंदाज़ से इस वर्ष में खर्च होने की संभावना है, ४-जो कुछ अगले वर्ष के लिये बजट में

रक्खा जाता है। इसी तरह से हर एक मद के आय व्यय का बजट तैयार किया जाता है और घटती बढ़ती के कारण दिखलाए जाते हैं। भारत गवर्मेंट के बजट में संपूर्ण राज्य के आय व्यय का हिसाब होता है। ठीक इसी रीति से प्रांतीय गवर्मेंटों के बजट तैयार किए जाते हैं और प्रांतीय व्यवस्थापक कौंसिलों में उपस्थित किए जाते हैं। पहले १२ मेंबरों की एक कमेटी जिनमें ६ तो प्रांतीय अधिकारियों द्वारा नामज़द किए जाते हैं और ६ कौंसिल के गैर-सरकारी मेंबरों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, उस पर विचार और वाद विवाद करती है, पीछे कुल कार्रवाई प्रकाशित कर दी जाती है कि जिस से जनसाधारण को यह ज्ञात हो जाय कि सरकार जो कर लेती है वह किस काम में खर्च किया जाता है।

आमदनी के मद।

१—भूमि कर—यह पहले कहा जा चुका है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहां १०० पीछे ८०' आदमी खेती से अपनी जीविका चलाते हैं। इस कारण इस देश में सरकार को सब से अधिक आय भूमि कर से होती है। कहीं कहीं पर तो भूमि कर स्थायी रूप से निश्चित है, वह सदैव के लिये एकसा है, उसमें कुछ घटती बढ़ती नहीं होती। बंगाल में, बिहार के $\frac{५}{६}$ भाग में, आसाम के $\frac{१}{८}$ भाग में, संयुक्त प्रांत के $\frac{१}{१०}$ भाग

में और मद्रास के $\frac{1}{5}$ भाग में ऐसा ही प्रबंध है। शेष भागों में प्रायः तीस तीस वर्ष के बाद भूमि की उपज के अनुसार लगान में घटती बढ़ती होती रहती है।

२—आमदनी का दूसरा मद देशी राज्यों से खिराज है। सरकार जो सेना रखती है उसके बदले में यह लिया जाता है।

३—तीसरा मद जंगल हैं। लकड़ी तथा जंगलों की दूसरी पैदावार की बिक्री से जो कुछ आता है वह सब इसी मद में जमा होता है। सरकार की मंशा जंगलों से तुरंत रुपया पैदा करने की नहीं है किंतु इन की रक्षा करने और इनको उन्नति देने की है।

४—अफीम-हिंदुस्तान में पोस्त की खेती अफ़ीम की पैदावार के लिये होती है। अफीम न केवल हिंदुस्तान में खर्च होती है किंतु चीन आदि देशों में भी जाती है। जो अफीम. दूसरे देशों में जाती है उस से जो आमदनी होती है वह तो अफीम के मद में जमा की जाती है परंतु जो आमदनी उस अफीम से होती है जो हिंदुस्तान में ही खर्च होती है वह मादक पदार्थों (Excise) के मद में जमा की जाती है। अधिकतर अफीम बिहार और संयुक्त प्रांत में गंगा की घाटी के उत्तरस्थ जिलों में तथा इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, मेवाड़ और बड़ोदा की रियासतों में होती है।

विहार और संयुक्त प्रांत की अफीम बंगाल अफीम के नाम से प्रसिद्ध है और मध्य हिंदुस्तान और राजपूताने की अफीम मालवा अफीम के नाम से प्रसिद्ध है। इस मद की आमदनी दिन दिन घटती जाती है। असल में सरकार की इच्छा भी अफीम की पैदावार को यथासंभव घटा देने की है।

५—निमक—जितना निमक हिंदुस्तान में खर्च होता है उस सब पर २) रु० मन के हिसाब से कर लगता है। निमक अधिकतर पंजाब तथा सीमावर्ती प्रांत में सुलेमान पहाड़ (Salt range) और कोहाट की खान में और राजपूताने में सांभर झील में पैदा होता है तथा बंबई और मद्रास के किनारों पर और सिंधु नदी के दहाने पर कलों द्वारा समुद्र के पानी में से बनाया जाता है।

६—मादक पदार्थ (Excise)-हिंदुस्तान में शराब, अफ़ीम तथा भाँग वग़ैरह नशीली वस्तुओं की बिक्री से जो आमदनी होती है वह इस मद में जमा की जाती है। हर कोई आदमी इन चीज़ों को नहीं बेच सकता। इन के ठेके होते हैं और उन से बहुत कुछ आमदनी होती है।

७—चुंगी—जो माल बाहर से आता है उस पर आम तौर से चुंगी लगती है। हथियार, शराब, शक्कर तथा मिट्टी के तेल जैसी चीज़ों पर खास तौर से चुंगी लगती है। चावल जो बाहर जाता है उस पर भी कुछ चुंगी लगती है।

८. इंकम टैक्स—जिन लोगों की आमदनी एक हज़ार रुपए साल होती है उन से ४ पाई रुपए के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। अधिक आमदनीवाले लोगों से अधिक टैक्स लिया जाता है।

९. अवबान (Provincial rates)—म्यूनिसिपल टैक्स के सिवाय सड़कों के बनाने तथा सुधारने, स्कूलों शफ़ाख़ानों के चलाने, गावों की सफाई रखने और अन्य स्थानीय खर्चों की पूर्ति के लिये यह टैक्स ज़मीन की सालाना आमदनी पर लगाया जाता है।

१०. स्टांप—दीवानी अदालतों के भारी खर्चे की पूर्ति के लिये मुक़दमों की मालियत के अनुसार कोर्ट फ़ीस लगाई जाती है। इस से तथा रेवन्यू स्टांप (Revenue Stamp) से जो कुछ आमदनी होती है वह इस मद में जमा की जाती है।

११. रजिस्टरी—इस मद में रेहननामों वगैरह की रजिस्टरी की फ़ीस होती है।

सरकार की आमदनी के ये ११ सीधे और ख़ास मद हैं। इन मदों से रुपया वसूल करने तथा अफ़ीम वग़ैरह के बनाने में भी बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है। उदाहरण के लिये हम सन् १९११-१२ के हर एक मद की आमदनी और खर्च की संख्याएँ पौंडों में नीचे के कोष्टक में देते हैं। एक पौंड १५ रु. का होता है।

मद	कुल आमदनी	संग्रह करने तथा बनाने तथावापसी वग़ैरह करने का ख़र्च	शेप बचत
भूमि कर ...	२०७६४६६७	४५५०८२४	१६२१३८७३
ख़िराज ...	५६२००५	२०१३५८	३६३०४७
जंगल ...	१६५२१७६	११४२२०२	८०६६७७
अफ़ीम ...	५६६१२७८	७२६४५२	५२३१८२६
निमक ...	३३६१२१२	३६८४६०	३०२२७२२
मुस्करात (Excise)	७६०६७५३	४१६२५३	७१६०५००
चुंगी ...	६४६८५६७	२५०७१३	६२१७८५४
इंकम टैक्स ...	१६५२८७८	२८२७८	१६२४६००
अबवाब ...	५४८६८०	५६६५	५४२६८५
रजिस्टरी ...	४४५८६२	२४८२५६	१६७६०६
स्टांप ...	४८१५१२६	१३४१६०	४६८०६३६
जोड़	५४२०५२४०	८६७०१७४	४५५३५०६६

उक्त कोष्टक के देखने से ज्ञात होता है कि इस वर्ष में सरकार की कुल आमदनी ८१३०७८६००) रु० हुई जिसमें से १३००५२६१०) रु० तो टैक्सों के संग्रह करने, चीज़ों के बनाने तथा वापसी वग़ैरह में ख़र्च हो गया और शेष ६८३०२५६६०) रु० सरकार को बचा।

इन के अतिरिक्त आमदनी के कुछ मद और भी हैं। असल में तो इन मदों को ख़र्च के मद कहना चाहिए क्योंकि इन में ख़र्च आमदनी से कहीं ज्यादह होता है। इन में से ख़ास ख़ास राज्यप्रबंध, डांक, तार, रेल, इमारतें, सूद और सेना हैं। राज्यप्रबंध में सरकारी, विभाग तथा अन्य फुटकर सरकारी ख़र्च शामिल हैं। सन् १९१३-१४ ई० में हर एक मद का ख़र्च पौंडों में इस भांति था—

मद	कुल आमदनी	कुल ख़र्च	शेष बचत	अधिक ख़र्च
सूद ...	१४४८७४१	२०३७७३५		५८८९९४
डाकखाना ...	२१३४२७९	२००८४७०	१२५८०९	
तार ...	१०८७४२५	१०९३९३४		६५०९
टकसाल ...	३६७१००	११६५०७	२५०५९३	
सरकारी विभाग	१२३८१३१	१६४६६१६६		१५२२८०३५
फुटकर सरकारी जगहें ...	८१३०७६	४८९८८२३		४०८५७४७
रेलवे ..	१५८९१७२५	१२१०३९५५	३७८७७७०	
नहरें वग़ैरह ...	३९८००५२	३१७४८८३	८०५१६९	
सार्वजनिक ... कार्य ...	३२६९२४	५४५४०४८		५१२७१२४
फ़ौजी सरविस	१३४३०५७	२०९०१६३७		१९५५८५८०
जोड़	२८६३०५१०	६८२५६१५८	४९६६९३४१	४४५९४९८९

इस से प्रगट है कि कुल ख़र्च १०२३८४२३७० रु. हुआ और कुल आमदनी ४२९४५७६५० रु. हुई और ५९४३८४७२० रु. अधिक गांठ से ख़र्च हुए।

सब मदों की आमदनी और ख़र्च को लेकर हम देखते हैं कि कुल आमदनी १२४२५३६२५० रु. हुई जिस में से ११५३८९४९८० प्रबंध और शासन में ख़र्च हुए और ८८६४१२७० रु. की बचत हुई। कभी कभी सरकार को असाधारण ख़र्च भी उठाने पड़ते हैं जैसे दुर्भिक्ष के समय अथवा युद्ध के समय अथवा जब कभी किसी पर आक्रमण किया जाता है। उस दशा में केवल बचत का रुपया ही ख़र्च नहीं हो जाता किंतु और ऋण लेना पड़ता है, जैसा आज कल जर्मनी से युद्ध के कारण हो रहा है।

जातीय ऋण (National debt)—सरकार नई रेल अथवा नहर वग़ैरह खोलने के लिये ३½ रु.प्रति शतकवार्षिक के हिसाब से रुपया क़र्ज़ लेती है और हर साल आमदनी में से सूद का रुपया देती रहती है। सन् १९११-१२ में भारत सरकार के जिम्मे निम्नलिखित ऋण था।

(इंगलैंड में) ऋण	—	६२७७२	लाख रुपया
४ प्रतिशतक	” —	२४३	” ”
३ ½	” ” —	१२६६१	” ”
३	” ” —	८४५	” ”
अन्य ऋण	—	११७	” ”
	जोड़ —	४०७६८	” ”

इस में से ३०४५२ लाख रुपया रेलवे के लिये लिया गया, ७५३६० लाख रुपया नहरों वगैरह के लिये और ४८५६ लाख रुपया अन्य कार्यों के लिये।

भारत गवरमेंट ने प्रांतीय गवरमेंटों को प्रांत के साधारण कामों में खर्च करने की स्वतंत्रता दे रक्खी है और इसी प्रकार इन खर्चों की पूर्ति के लिये किसी किसी मद की आमदनी भी उन्हीं के अधिकार में छोड़ रक्खी है कि जिस से प्रांतीय गवरमेंटों को अपनी आमदनी बढ़ाने और अपने खर्च में किफायत करने का अवसर मिले। निमक, चुंगी, अफीम तथा खिराज (राज्यकर)—ये मद सर्वथा भारत गवरमेंट के अधिकार में हैं। भूमिकर, स्टांप, मादक, इंकम टैक्स, जंगल तथा रजिस्टरी—ये मद आपस में बँटे हुए हैं। कुछ भारत गवरमेंट के हाथ में हैं और कुछ प्रांतीय गवरमेंटों के हाथ में। प्रांतीय अंशदान (Provincial rates) बिलकुल प्रांतीय गवरमेंट के हाथ में हैं।

प्रांत के साधारण खर्च प्रांतीय गवरमेंटों द्वारा होते हैं परंतु ऋण, सेना, जहाज़ी बेड़ा तथा भारत गवरमेंट का शासन संबंधी खर्च भारत गवरमेंट के अधिकार में हैं। इंगलैंड में जो खर्च हिंदुस्तान की तरफ़ से होता है वह भी भारत गवरमेंट द्वारा होता है। रेल, डाक, तार, टकसाल वगैरह कामों में भारत गवरमेंट की स्वीकारता से खर्च होता है। नहर वगैरह के खर्च दोनों गवरमेंटों में बँटे हुए हैं।

प्रांतीय आय व्यय पर भारत गवरमेंट की देख रेख रहती है। प्रांतीय गवरमेंट को ऋण लेने का अधिकार नहीं है। यदि उनकी आमदनी खर्च से कम पड़ जाय तो वह भारत गवरमेंट द्वारा पूरी कर दी जाती है।

भारत गवरमेंट के खर्चों में वे खर्च भी शामिल हैं जो इंगलैंड में होते हैं। इनको होम चार्जेस (Home Charges) कहते हैं। इन में सर्व प्रकार की खरीदी हुई वस्तुओं का मूल्य, रेल तथा युद्ध की सामग्री का खर्च, सार्वजनिक कार्यों के लिये कल औज़ारों की कीमत, अंग्रेज़ कर्मचारियों के फरलो और पेंशन के पलाउंस तथा शासन संबंधी समस्त खर्च शामिल हैं। इन का जोड़ लगभग ३० करोड़ रुपया वार्षिक होता है।

१०—भारतवासियों का कर्त्तव्य।

राजा और प्रजा में घनिष्ठ संबंध है। यदि राजा न्यायशील, धार्मिक और दयालु है तो प्रजा का भी नियमबद्ध, राजभक्त और कर्तव्यपरायण होना आवश्यक है। दोनों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना उचित है। तभी देश उन्नति कर सकता है और राज्य की बढ़ती हो सकती है। जिस तरह शरीर और उसके भिन्न भिन्न अंगों में संबंध है, उसी तरह राजा और प्रजा में संबंध है। शरीर के भिन्न भिन्न अंग-हाथ, पैर, नाक, कान, वगैरह यद्यपि अपना अपना काम करते हैं, परंतु साथ में शरीर का भी काम करते हैं। यदि एक अंग को कुछ कष्ट होता है तो सारा शरीर उस कष्ट का अनुभव करता है। यदि हाथ में एक छोटी सी फांस भी लग जाती है तो सारे शरीर में व्याकुलता होने लगती है। भावार्थ यह है कि शरीर भिन्न भिन्न अंगों के अधीन है और भिन्न भिन्न अंग शरीर के अधीन है। दोनों में परस्पर मेल जोल और सहानुभूति है। इसी प्रकार राज्य में जिस में अनेक नागरिक रहते हैं यह आवश्यक है कि सब काम ऐसी उत्तमता से होने चाहियें कि जिस से सारे राज्य को लाभ पहुँचे। इस के लिये सब से पहली और ज़रूरी बात यह है कि नियम और कानून की पूरी तौर से पाबंदी की जाय, नहीं तो राज्य में

अशांति और गड़बड़ मच जायगी और इच्छित फल की प्राप्ति न हो सकेगी। संभव है कि राज्य में कुछ त्रुटियां हों परंतु वे त्रुटियां सारे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर देने से दूर नहीं हो सकतीं। प्रजा का कर्त्तव्य है कि यदि कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो उसकी अच्छी तरह से छान बीन की जाय, उसका कारण मालूम किया जाय। कोई कारीगर उस समय तक मशीन को नहीं सुधार सकता जब तक वह उसके एक एक कल पुरज़े से भली भांति परिचित न हो। इसी प्रकार प्रजा उस समय तक राज्य का सुधार नहीं कर सकती और न राजा को सहायता ही पहुँचा सकती है जब तक उसने राज्य-पद्धति का पूर्ण रूप से अध्यन न किया हो और उसके गुणों और अवगुणों पर विचार न किया हो।

दूसरी बात जो देशोन्नति के लिये आवश्यक है, वह यह है कि लोगों में परस्पर प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए। उनको केवल अपने ही स्वार्थ की धुन न हो किंतु संपूर्ण राज्य की भलाई की रात दिन चिंता लगी रहती हो। भाग्य से अँग्रेज़ी राज्य में अशांति के बाह्य कारण बिलकुल जाते रहे हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक सर्वत्र शांति ही शांति विद्यमान है। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं है। पूर्ण रूप से प्रजा के जीवन और धन की रक्षा की जा रही है। ऐसी दशा में हम को उचित है कि आपस में प्रेम और मित्रता का व्यवहार रक्खें और आनंद से जी[illegible] करें।

तीसरी बात जो हमारे लिये आवश्यक है वह यह है कि हम को स्वयं अपनी उन्नति करनी चाहिए। किसी भी देश की उन्नति वहां के निवासियों की उन्नति पर निर्भर है। इसमें संदेह नहीं कि राजा अपनी प्रजा के चरित्र को बहुत कुछ सुधार सकता है परंतु यह याद रखने की बात है कि राजा भी उस समय तक कुछ नहीं कर सकता जब तक स्वयं प्रजा अपनी उन्नति के लिये कटिबद्ध न हो और उसके लिये सर्व प्रकार के कष्ट और दुःख सहने के लिये तैयार न हो। अतएव हमारा कर्तव्य है कि हम अपने को शिक्षित बनावें, अपनी जाति में शिक्षा का प्रचार करें, छोटे से छोटे मनुष्य को भी ज्ञान दें। शिक्षा की बढ़ती से हमारी बढ़ती हो जायगी और हम अपनी स्थिति, अपने स्वरूप, अपने उद्देश्य और अपने मार्ग को पहिचान सकेंगे। शिक्षा ही उन्नति का मूल है।

भारतवर्ष की उन्नति करना, भारत का पुनः मस्तक ऊँचा करना और उसको उन्नतिशाली देश बनाना भारतवासियों के हाथ में है। भारतवर्ष को प्रकृति ने संपूर्ण संपत्तियों से सुशोभित कर रक्खा है। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तीनों ओर समुद्र की लहरें इसके किनारों से टकराती हैं। उत्तर में हिमांचल अपनी वैभवशाली बरफीली चोटियों से अन्य देशों से इसकी रक्षा कर रहा है। इसके मैदानों में गंगा जमुना जैसी विशाल नदियां सैंकड़ों मील तक बहती हैं और

उनको अधिक उपजाऊ बना रही हैं। इसका क्षेत्रफल १८ लाख वर्ग मील से अधिक है और इसमें ३३ करोड़ से अधिक मनुष्य रहते हैं। इस में सर्व प्रकार का जल वायु और स प्रकार का धन धान्य पाया जाता है। भावार्थ यह है कि इस देश पर प्रकृति की पूर्ण रूप से कृपा है। यद्यपि इसमें समय समय पर अनेक आक्रमण हुए, कितने ही लोगों ने इसे नष्ट भ्रष्ट करना चाहा और कितनों ने ही इसकी प्राकृतिक सीमाओं को तोड़ना चाहा परंतु इस पर उनका कुछ भी असर नहीं हुआ। हवा के समान वे इधर से आए और उधर से निकल गए। ऐसे देश को हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है। यही हमारी संपत्ति है और यही हमारे बाप दादों की छोड़ी हुई दौलत है। इसको सुरक्षित रखना और इसकी उन्नति करना हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है, परंतु यह तभी हो सकता है जब कि हम अपनी स्थिति और वर्तमान प्रगति पर अच्छी तरह विचार करें और इस बात का अध्ययन करें कि संसार की दूसरी जातियां किस मार्ग पर जा रही हैं और उन्नति के लिये किस उपाय का अवलंबन कर रही हैं। इन बातों के ज्ञान के साथ साथ हम में काम करने का साहस और दृढ़ बल होना चाहिए। तभी हमको अपने उद्योग में सफलता हो सकती है। एक विद्वान का कथन है कि उन्नति के लिये हमको अपनी संपूर्ण शक्तियों को बढ़ाना चाहिए और उनका पूर्ण रूप से विकाश करना चाहिए। अपने में एक नया जीवन पैदा कर

देना चाहिए। उसी दशा में हम अपने पूर्वजों का अनुकरण कर सकते हैं और ईश्वर की प्रिय प्रजा बन सकते हैं। दृढ़ आशा, अटल विश्वास, अथक उद्योग, तीक्ष्ण बुद्धि, आत्म-शुद्धि, न्यायशीलता, कर्तव्यपरायणता, शक्तिविकाश और प्रेम से ही भारतवर्ष की संसार की सजीव जातियों में गणना हो सकती है। यही हमारा अभीष्ट है और इसी पर हमको न्यायशील ब्रिटिश गवरमेंट की छत्रछाया में पहुँचना है। हिंदू राज्य के पतन के बाद मुसलमानों के राज्य में जो फूट, अनेकता और अशांति फैली उसके निराकरण के लिये एक ऐसे राज्य की जरूरत थी जो इस तमाम फूट और अशांति को दूर करके पुनः भारत को उत्थान की तरफ़ ले जाय। भाग्य से ब्रिटिश राज्य ने उस राज्य की पूर्ति की। गत डेढ़ सौ वर्षों से भारतवर्ष में नवीन शक्तियों, नवीन उद्योगों और नवीन उद्देश्यों का प्रादुर्भाव होने लगा। शिक्षा ने हमारे विचारों को विस्तृत कर दिया और पूर्व और पश्चिम की उत्तमोत्तम बातों के मिला देने की इच्छा उत्पन्न कर दी, परंतु यह काम धीरे धीरे शांति से होने का है। हमको आशा है कि प्रजा राजभक्ति में कमी न रक्खेगी और गवरमेंट उदारता से उनको स्वत्व देने में कोताही न करेगी और साथ ही कर्मचारी गण न्याय, प्रेम और दयालुता से प्रजा के साथ व्यवहार करेंगे। इन उपायों से ही भारत में जाग्रति हो सकेगी और पुनः भारत का

उत्थान हो सकेगा। परमात्मा करे अंग्रेजों की छत्रछाया में भारत दिन दिन उन्नति करे और भारतवासी साहसी, उद्योगी, राजभक्त और कर्तव्यपरायण बनें। यही हमारी मनोभिलाषा और ईश्वर से प्रार्थना है।

चौथा भाग—आर्थिक स्थिति।

१—खेती।

जोतने बोने योग्य भूमि—यद्यपि बहुत सी ज़मीन खेती के लायक तैयार हो गई है तथापि बहुत सी अभी तक खाली पड़ी हुई है जिस में बहुत अच्छी फसिल पैदा हो सकती है। मध्य भारत तथा मध्य प्रदेश में ऐसी जमीनें बहुत पड़ी हुई हैं और इस का कारण यह है कि इन प्रदेशों में न तो खेती के लिये काफ़ी मनुष्य हैं और न काफ़ी चौपाए। दूसरे प्रदेशों में विशेष कर दक्खिन में जहां की जल वायु भी ऐसी ही खराब है रद्दी से रद्दी ज़मीन में भी खेती होने लगी है। इन रद्दी जमीनों के किसान अच्छे मौसिमों में भी केवल गुजारे के लायक अन्न पैदा कर पाते हैं। दुर्भिक्ष आदि के दिनों में सरकार कुछ काम खोल देती है और उसी पर ये लोग कुटुंबियों सहित चले जाते हैं। खेतों में मजूरी का काम करनेवाले आदमी बंगाल और मध्य प्रदेश से आसाम में, संयुक्त प्रदेश से बंगाल में, मद्रास और चटगांव से बरमा में और हिंदुस्तान से बाहर लंका, मारीशस, दक्षिणीय अफ्रीका, ब्रिटिश गाइयना तथा अन्य द्वीपों में काम के लिये जाते हैं, परंतु एक जगह से दूसरी जगह अथवा

एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना हिंदुस्तान में इतना कम हुआ है कि इससे उन जिलों में जिनकी आबादी बहुत कम है और जहां ज़मीन ख़ाली पड़ी हुई है, कुछ लाभ नहीं हुआ। हिंदुस्तान में जो लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं वे थोड़े दिनों के लिये ही जाते हैं। उस से आबादी में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता, तथापि पंजाब और सिंध की बहुत ज़्यादह ज़मीन में हाल में नहर से सिंचाई होने लगी है और घने आबाद हिस्सों से लोग वहां जा बसे हैं। आशा है कि पंजाब में नहरों की बढ़ती से इन हिस्सों में आबादी बढ़ती जायगी और ख़ाली पड़ी हुई ज़मीन में खेती होने लगेगी।

फसिलें—खरीफ़ और रबी—फसिल का अच्छा होना न होना यद्यपि ज़मीन की अच्छी बुरी हालत से जाना जाता है परंतु वह अधिकतर वर्षा, ओस, नमी वग़ैरह जल वायु संबंधी अवस्थाओं पर निर्भर है। मुख्यतया दो फसिलें हैं—१. खरीफ़, २. रबी। फसली साल ४ भागों में विभक्त है। १. जून से अक्तूबर तक, २. नवंबर और दिसंबर के महीने, ३. जनवरी और फरवरी के महीने, ४. मार्च से मई तक। खरीफ़ का बोना दक्षिणीय पश्चिमीय मानसून की पहली वर्षा से शुरू हो जाता है जो प्रायः जून में होती है और कभी कभी जुलाई में भी। इस फसिल के भिन्न भिन्न अनाज सितंबर और दिसंबर के महीनों में काट लिए जाते हैं। रबी

को फसिल खरीफ़ की फसिल से किस्म में भिन्न है और इसे कम वर्षा की जरूरत है परंतु हिंदुस्तान के उत्तर में ओस से भी इस फसिल को बहुत लाभ पहुँचता है। यह प्रायः अक्तूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है।

इस की बढ़ती के दिनों में सरदी बहुत ज़्यादह पड़ती है। उत्तरीय हिंदुस्तान में गर्मी सरदी की ज़्यादती से दोनों फसिलों में बड़ा अंतर है, परंतु मद्रास में जहां की आबहवा साल के अधिकतर भाग में एक सी है यह अंतर नहीं पाया जाता।

किसान की योग्यता—हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रदेशों में जमीनों, स्थानीय हालतों तथा खेती की रीतियों में जमीन आसमान का अंतर है। हर जगह की हालत अलग अलग है। जितना भेद हिंदुस्तान की ज़मीनों और फ़सिलों में है, उतना दुनियां के किसी भी देश में नहीं है। बारहों महीने कहीं न कहीं फ़सिल बोती और कटती रहती है। पीढ़ियों के परंपरागत अनुभव से किसान लोग अपनी छोटी छोटी जमीनों को अच्छी तरह जोत बो लेते हैं। डाक्टर वोल्कर अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि यद्यपि हिंदुस्तानी किसान साधारण अंग्रेज किसान के समान हैं बल्कि किसी किसी बात में उन से भी बढ़े हुए हैं परंतु साथ ही हिंदुस्तानी किसानों के पास कोई साधन उन्नति करने का नहीं है। इस से उनकी

से सींचनेवाले खेतों में उन पर अमल भी करते हैं। फसिलें यहां जल्दी जल्दी होती हैं और हर एक ज़मीन में साल में दो फ़सिलें हो जातो हैं। देशी औज़ार और पानी निकालने के सस्ती बनावट के चरस या रहट प्रयोग में लाए जाते हैं। ये बड़े ही उपयोगी हैं। ख़ासकर गुजरात के कुछ हिस्सों में तो स्वच्छता और उत्तमता में दुनिया के अच्छे अच्छे किसान भी इन से अच्छे नहीं बना सकते।

इस प्रकार की खेती धीरे धीरे देखा देखी बढ़ेगी। इस में बहुत कुछ पूंजी, श्रम और खाद वग़ैरह की ज़रूरत है। इस कारण से ऐसी खेती अन्य प्रांतों की साधारण खेती की अपेक्षा बहुत कम है।

ज़मीनें—हिंदुस्तान में अनेक प्रकार की जमीनें हैं, परंतु मुख्यतया ३ तरह की हैं—१. कछार—मिट्टी के जमा होने से ऊंची बनी हुई ज़मीनें (Alluvial Soils), २. चिकनी—(Trap soils), ३. पथरीली (Crystalline soils)।

कछार ज़मीन—कछार जमीन बड़ी लम्बी चौड़ी और खेती के लिये बड़ी उपयोगी होती है। ऐसी जमीन आसाम और बरमा के सिवाय सिंध, गुजरात, राजपुताना, पंजाब, संयुक्त प्रदेश, बंगाल तथा मद्रास के गोदावरी, कृष्णा, और तंजोर जिलों में बहुत करके पाई जाती है। हिंदुस्तान प्रायद्वीप के पूर्वीय पश्चिमीय किनारों पर भी इसी प्रकार की जमीन है। यह बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टों पर चौड़ी हो गई है और पूर्वीय

पश्चिमीय घाटों की घाटियों में इधर उधर से होती हुई चली गई है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टों की कछार जमीन धुंधले रंग की पिंडोल मिट्टी जैसी है। सिंध और गंगा के मैदानों में सतह की मिट्टी का रंग कुछ कुछ भूरा है। कहीं कहीं पर सोडा और मेगनेशिया जमा हो रहे हैं जो ऊसर ज़मीन पर रेह की तरह मालूम होते हैं। बंगाल की जमीनें उत्तरीय पश्चिमीय हिंदुस्तान की ज़मीन से रंग में बहुत हलकी होती हैं, परंतु वैसे बहुत भारी होती है। यदि बारिश अच्छी हो और सब जगहों पर हो तो गंगा सिंधु के मैदानों की ऊंची जमीनों में रबी और खरीफ़ दोनों फ़सिलें अच्छी पैदा हों। जितनी ज़्यादह जमीन गहरी होगी उतनी ही ज़्यादह उपज होगी।

चिकनी ज़मीन—दक्खन ट्रैप में जिस का क्षेत्रफल २००००० वर्ग मील के अनुमान है बंबई प्रेसिडेंसी का अधिकतर भाग, संपूर्ण बरार, मध्य प्रदेश का पश्चिमीय तिहाई भाग और हैदराबाद का पश्चिमीय अर्द्ध भाग शामिल है। नीचे की ट्रैप पहाड़ियों के ढाल और चढ़ाव पर मिट्टी कम और पतली है। भुरभुरी ज़मीन हलके रंग की रेतीली या कंकरीली है जिसमें उन सालों में अच्छी मामूली पैदावार होती है जिनमें वर्षा अच्छी होती है। नीची ज़मीनों में गहरे और धुंधले रंग की मिट्टी होती है जिसमें ऊंची ज़मीन से मिट्टी धुल कर हमेशा जमा होती रहती है। असली

स्याह रोगर मिट्टी दक्खन की ढालुआं जगहों में पहाड़ों का सतह से नीचे पाई जाती है। तापती, नर्मदा, गोदावरी तथा कृष्णा की घाटियों में कहीं कहीं पर भारी स्याह मिट्टी बीस बीस फुट तक गहरी होती है। यह मिट्टी दक्खिन से बाहर नदों और नदियों में भी पाई जाती है। बंबई में सूरत, बरौच और मद्रास में बलारी कुरनौल तथा कुडापा जिलों में यह मिट्टी अधिकता से पाई जाती है।

पथरीली ज़मीन—उपर्युक्त प्रदेशों से बाहर शेष प्रायःद्वीप में पथरीली ज़मीन पाई जाती है। इसी प्रकार की ज़मीन लोअर बरमा के पूर्व में है। मैसूर और मद्रास की ऊंची जलती हुई खुश्क जमीन हल्के रंग की पतली और पथरीली होती है परंतु नीचे की लाल भूरे रंग की चिकनी मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। इसी प्रकार की जमीन बेलगांव, धारवार तथा उत्तरीय कनारा ज़िलों में साधारणतया बनावट में चिकनी मिट्टी जैसी और रंग में पीली लाल अथवा कुछ कुछ लाल, और भूरी होती है। सब से खराब जमीन वह है जो बहुत ही हल्के रंग की होती हैं। नीचे के खेतों में खास फसिल चावल की होती है।

खराब बीज—बीज के चुनने तथा बदलने में किसान को बहुत होशियार और खबरगीर रहना चाहिए। हिंदुस्तान में प्रायः ऐसा नहीं होता। यहां का किसान अपनी सारी पैदावार महाजन को दे देता है जिससे यह साल भर खर्च के

लिये रुपया लेता रहता है। महाजन अच्छा अनाज तो बेच देता है और घटिया किसान को बीज में देने को रख छोड़ता है। घटिया बीज से घटिया अनाज पैदा होगा और इसी प्रकार रुई के कारखानों में कई किस्म का बीज मिल जाता है और वही बीज फिर किसानों को मिलता है। इस तरह फ़सिल दिन दिन खराब होती जाती है।

खाद—हिंदुस्तान में खेती की उन्नति न होने का मुख्य कारण खाद की कमी है। डाक्टर वोलकर कहते हैं कि जल और खाद की किसानों को सब से ज़्यादा ज़रूरत है। पशुओं का गोबर, उनके नीचे का मैला कुचैला घास पात तथा घर का कूड़ा करकट खास कर खाद में काम आता है। अनेक जगहों में गोबर खाद के काम में नहीं लाया जाता किंतु सुखाकर जलाया जाता है। मूत्र भी जो गोबर के समान खाद के लिये बड़ा उत्तम है, योंही नष्ट होता है। बड़े बड़े कसबों और शहरों में तो विशेषकर ये चीज़ें योंही बरबाद जाती हैं। यद्यपि गाय, बैल, भैंस घोड़े वगैरह को खेतों में पैदा होनेवाली चीज़ें खिलाई जाती हैं परंतु उनका खाद बहुत कम खेतों में वापिस जाती है। यह दुःख की बात है कि गोबर जलाने के काम में आता है। उन जगहों में तो जहां लकड़ी मिल ही नहीं सकती, लाचारी है परंतु अन्य जगहों में ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ से यथेष्ट लाभ उठाना चाहिए। यदि हरें खाद योंही व्यर्थ

न जाकर उपयोग में लाया जाय तो उससे बड़ा भारी लाभ खेतो को होगा। हर्ष की बात है कि शहरों में अब सफ़ाई की तरफ अधिक ध्यान दिया जाने लगा है और कूड़ा करकट और मैला पहले से अधिक खाद के काम में लाया जाता है।

फसिलों का अदल बदल–इस बात की भी बड़ी ज़रूरत है कि जमीन में फसलें अदल बदल कर बोई जांय। यदि एक ही चीज़ हर साल हर एक जमीन में बोई जायगी तो थोड़े दिनों में ज़मीन खराब हो जायगी और कुछ पैदावार न हो सकेगी। हिंदुस्तानी लोग इस बात को खूब समझते हैं और अदल बदल कर ही बोते रहते हैं। यह बतलाना कि अमुक ज़मीन में इस साल क्या बोया जाय, अगले साल क्या बोया जाय, और उस से अगले साल क्या बोया जाय कठिन है। यह अनुभव से मालूम होता रहता है।

मिली हुई फसिलें–हिंदुस्तान में प्रायः बहुत सी चीज़ें मिला कर बोई जाती हैं। इस में बड़ा लाभ है। ऐसा करने से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बराबर बनी रहती है। चना, उरद, मूंग, मसूर वग़ैरह दालें, तिल अलसी, सरसों, वग़ैरह तेल की चीज़ें तथा कपास, सन वग़ैरह को ज्वार बाजरा, गेहूं वग़ैरह के साथ मिला कर बोना बड़ा लाभदायक है। ऋतुओं की भिन्नता से किसान को बोते समय इस बात का निश्चय नहीं होता कि किस चीज़ की फसिल अच्छी होगी। अनुभव से यह बात सिद्ध हुई है कि मिली हुई चीज़ें बोने से कुल

फसिल के नाश होने का भय नहीं रहता। अगर मूंग चना वगैरह नहीं हुआ तो गेहूं जौं, बाजरा वगैरह हो जायंगे।

इसके अतिरिक्त मूंग, मसूर, उरद, चना वगैरह दाल के अंशों से चाहे वे अकेले बोए जाँय चाहे दूसरी चीज़ों के साथ, एक लाभ और है और वह यह है कि ये ज़मीन में नाइट्रोजन पैदा करते हैं और नाइट्रोजन की हिंदुस्तानी ज़मीनों को बड़ी ज़रूरत रहती है। अरहर में जितनी ज़मीन उपजाऊ शक्ति पैदा करती है उतनी और कोई दाल नहीं करती। हर एक सूबे में यह दूसरी चीज़ों के साथ मिला कर बोई जाती है। इसकी लँबी जड़ में खुश्की को बरदाश्त करने और नीचे ज़मीन में अपना खाना तलाश करने की ताक़त होती है। यह गेहूं वगैरह की फसिल के काट लेने पर भी जिन के यह अधीन होती है, खूब फलती फूलती रहती है। ज्यों ज्यों यह पकती जाती है त्यों त्यों इसकी पत्तियां गिरती जाती हैं और ज़मीन को इस तरह उपजाऊ बनाती रहती है।

मुख्य मुख्य चीज़ों की सूचि जो हिंदुस्तान में अधिकतर बोई जाती हैं इसी अध्याय के अंत में दी हुई हैं।

चौपाए—पश्चिमीय देशों में चौपाए खासकर दूध और मांस के लिये पाले जाते हैं, परंतु हिंदुस्तान में गाएँ बैलों को पैदा करने और भैंसें दूध के लिये रक्खी जाती हैं। उत्तरीय हिंदुस्तान में ऊंट भी कुछ कुछ हल जोतने के काम

में आते हैं परंतु अधिकतर खेतों में तथा सड़कों पर मा
लादकर ले जाने में बैल और भैंसे ही काम आते हैं। चौपा
की अनेक किस्में हैं जो रूप रंग और आकार में एक दूसरे
बहुत भिन्न है। क़रीब क़रीब तमाम असली नसलों का सम
रंग होता है, जो विशेष कर सफ़ेद और भूरा होता है
जिन जगहों में चौपायों के पैदा करने की ओर कम ध्य
दिया जाता है वहां के चौपायों के रंग भिन्न भिन्न होते हैं अ
वहां चितली दार चौपाए बहुत ज़्यादह होते हैं। मद्रास
उत्तरीय पूर्वीय हिस्सों में बे-सींग के जानवर अधिकतर हे
हैं। अन्यत्र सब चौपायों के सींग होते हैं। कुछ नसलों
कूप औरों से ज़्यादह होता है, परंतु होता है सब में।
बैल धीरे और भारी काम के लिये होते हैं, उनकी सूरत उ
बैलों से भिन्न होती है जो तेज़ और हलकी मेहनत के लि
होते हैं।

बहुत से बल यद्यपि बूढ़े और कमज़ोर होते हैं और नस
पैदा करने अथवा काम करने के लिये असमर्थ होते हैं यथा
हिंदु लोग उन की पालना किए जाते हैं क्योंकि वे ग
को पूज्य मानते हैं और किसी को जान लेने को पाप समझ
है। महंगी अथवा अकाल के दिनों में ये चौपाए सब से पह
मरते हैं। डेल्टा के हिस्सों में तथा चावल की ज़मीनों
चौपाए बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। चराई के जंगल यह

उधार की ज़्यादती—पहले ज़मीन का बहुत कम मूल्य था परंतु अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी कारण से किसनों को उधार रुपया बहुत ज्यादा मिल जाता है। साहूकार लोग सोचते हैं कि यदि किसान से रुपया न पटा तो न सही, उसकी ज़मीन कुरक करा लेंगे। कहीं कहीं पर वास्तव में ज़मीन किसान के हाथ से निकल कर महाजन के हाथ में चली गई है। साहूकार के पास ज़मीन के चले जाने से किसान जाति को ही असंतुष्टता नहीं है, किंतु ज़मीन को भी बहुत हानि पहुंची है, क्योंकि साहूकार को खेती से किसी प्रकार का प्रेम या सहानुभूति नहीं है, उसको केवल अपने रुपए पर दिन दिन सूद बढ़ने का ख़्याल है। इसी लिये देश को इन आपत्तियों से बचाने के लिये कुछ भागों में सरकार को यह नियम पास करना पड़ा है कि किसान ज़मीन पर रुपया उधार नहीं ले सकता है। इस नियम से किसान केवल उतना ही रुपया उधार ले सकता है जितना वास्तव में खेती के लिये उसे ज़रूरी हो। व्यर्थ रुपया नहीं ले सकता।

उधार देनेवाली सोसायटियां—दूसरी चीज़ जो खेती को हानिकर है ब्याज की अधिकता है। प्राचीन काल से साहूकार किसान को रुपया देता आया है। इस में संदेह नहीं है कि वर्तमान सामाजिक अवस्था में साहूकार से अच्छी कोई दूसरी एजेंसी रुपया देने के लिये नहीं है किंतु जब साहू[illegible] बहुत ज्यादा बढ़ा रक्खा है, तो इस दश

में ऐसी सोसायटियों की ज़रूरत है जो किसानों को उचित ब्याज पर रुपया उधार दें। सरकार ने स्वयं उधार रुपया (तकावी) देकर तथा उधार देनेवाली को-आपरेटिव सोसायटियां बनाने के लिये किसानों को उत्साहित करके इस कमी को दूर करने का उद्योग किया है। सन् १६०४ ई० के एक्ट के अनुसार इस प्रकार की सोसायटियों के बनाने के लिये अनेक सुभीते हैं। कम ब्याज पर रुपया देने के उपायों की ओर सरकार ने समय समय पर बड़ा ध्यान दिया है और दे रही है परंतु अभी तक किसानों को रुपया साहूकारों द्वारा ही मिलता है।

हिंदुस्तान में मुख्यतया निम्नलिखित चीज़ों की पैदावार होती है—

गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौं, जई, मक्का, मंडुवा, धान, सावन, कोदों, चना, खुलात, अरहर, सेम, गुंवार, मोठ, उरद, मूंग, लोबिया, मसूर, मटर, अलसी, तिल, कुसुम, काला तिल, मूंगफली, रेंडी, सरसों, ऊँख, अदरक, सोंठ, हल्दी, जमींकंद, घुइयां, शकरकंद, रतालू, आलू, बैंगन, मिर्च, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, कपास, सन, पाट, पटसन, तंबाकू, पोस्त, भंग, काली मिर्च, सुपारी, पान, बड़ी इलायची, चाय, काफी, सिंकोना, नील, घास।

जंगलों के विभाग—जो जंगल सीधे सरकार के अधिकार में हैं, वे तीन विभागों से बँटे हुए हैं—१. खास, २. सुरक्षित, ३. आम। ख़ास जंगल लकड़ी ईंधन तथा अन्य उपज की मांग की पूर्ति के लिये अथवा पानी के लिये अथवा और किसी कार्य के लिये स्थायी रूप से निश्चित हैं। सुरक्षित जंगल या तो खास जंगलों की श्रेणी में बदल जाने को होते हैं या दूसरी श्रेणी में ही सदा के लिये रहने को होते हैं। पहली श्रेणी के जंगलों में उन कामों के करने की सख़ मनाही है जिन से जंगलों की पैदावार को हानि पहुँचती है। दूसरी श्रेणी के जंगलों में आस पास के लोगों को कुछ अधिकार रहते हैं। तीसरी श्रेणी के आम जंगलों में प्रायः किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। ये जंगल बिलकुल लोगों के काम में आते हैं। सन् १९०१ ई० में २०८३६६ वर्ग मील जंगल सरकार के अधिकार में था जिस में से ८८१४० वर्ग मील ख़ास जंगल था, १०४८८ वर्ग मील सुरक्षित जंगल था और १०९७४१ वर्ग मील आम जंगल था।

कानून—जितनी जमीन बिना खेती के परती पड़ी है और जिस पर न तो किसी एक व्यक्ति का अधिकार है और न किसी जाति का, वह सब सरकार की है। पहले समय में जंगलों में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। जो चाहे जिस चीज़ को बिना मूल्य वहां से ले जाता था परंतु अब आबादी के बढ़ जाने से यह बात असंभव हो गई है। सब से

पहले सन १८६५ ई० में हिंदुस्तानी जंगलों का कानून पास हुआ। पुराने कागज़ों के देखने से मालूम होता है कि जंगलों के कानून के जारी होने से छोटे छोटे अपराध नहीं होते तथा सरकारी माल के चुराने या हानि पहुँचाने के बड़े बड़े अपराध भी नहीं होते। इसके सिवाय हिसाब लगाने से मालूम हुआ है कि ४ वर्ग मील क्षेत्र में साल भर में केवल एक अपराध होता है। इस से प्रगट है कि यह कानून लोगों को कुछ कड़ा भी मालूम नहीं होता।

आग और चौपायों से रक्षा–जंगल को आग से बचाना उस के अफ़सर का सब से ज़रूरी और पहला कर्तव्य है। कठिन भी यह निःसंदेह सब से ज़्यादा है। इस कर्तव्य के पालन करने में कठिनाई यह पड़ती है कि देश के रीति रिवाज इसके बिलकुल विरूद्ध हैं। प्राचीन काल से आग असभ्य और अशिक्षित लोगों के हाथ में रही है जो अपने तथा अपने चौपायों के लिये खाना हासिल करने के लिये देश की स्थायी हरयाई, घास और वृक्षों के बरबाद करने में तनिक भी नहीं हिचकते। अभी तक उन जगहों में भी जहां की ज़मीन किसी काम की नहीं है चंद एकड़ व्यर्थ ज़मीन के लिये निकटवर्ती जंगल को जला डालते हैं। अतएव जंगल के कर्मचारी को लोगों की पुरानी कुटेवों को निकालना और उन में अच्छी आदतों को पैदा करना पड़ता है। इस काम में बहुत समय की ज़रूरत है। धीरे धीरे लोगों को इस का महत्व

मालूम होगा। चौपायों से जंगल की रक्षा करना इतना कठिन नहीं है परंतु हां ज़रूरी इतना ही है। अकाल आदि के दिनों में प्रायः चौपायों को जंगलों में चरने की रोक नहीं रहती।

जंगली उपज—जंगल की उपज मुख्यतया तीन भागों में विभक्त है—१. लकड़ी जिसमें ईंधन भी शामिल है। २. बांस, ३. छोटी छोटी चीज़ें जिन में जंगल में पैदा होने तथा बननेवाली अनेक चीज़ों के अतिरिक्त घास फूस वग़ैरह शामिल हैं। लकड़ी में सब से ज़रूरी, देवदार, साल, शीशम, आबनूस,गुलाब की लकड़ी,स्याह लकड़ी, संदल और बबूल हैं। इनके सिवाय सैंकड़ों क़िस्म की और भी उमदा उमदा लकड़ियां होती हैं परंतु इन में बहुत सी अभी तक सिर्फ़ घरेलू काम में आती हैं, बाहर नहीं जातीं और इतनी ज़्यादा भी नहीं होतीं कि उन की कोई ख़ास चीज़ बनाई जाय। खोज करने से नई पैदावारों की उपयोगिता अब मालूम होती जाती है और जंगलों की रक्षा और उन्नति करने से उन चीज़ों की उपज बढ़ती जाती है जिनकी पहले की अपेक्षा मांग बहुत ज़्यादा है

जंगली जातियां—प्रायः सभी जंगली जातियां सभ्यता और शिक्षा में पीछे हैं। उन को उन्नति अवनति रूप ही झलकती है। अपनी आदतों और रीति रिवाजों का बदलना उन को बुरा मालूम होता है। इसी कारण से भारत सरकार की इच्छा है कि उन पर किसी प्रकार का एक दम ज़ोर या दबाव न डाला जाय किंतु मीठेपन से उनके दिलों में अपनी जगह

पैदा करके उनको उद्योगी और स्वावलंबिनी जातियां बनाय जाय और उन को समझाया जाय कि जिन बातों को तुम लोग अभी तक लाठी के ज़ोर से तै करते रहे हो उन्हें न्याय द्वारा सरकार को पंच मान कर तै कराओ। इसी उपाय से सफलता हो सकती है क्यों कि यहां पर जंगल विभाग का काम केवल यहां के निवासियों की सहायता और सहानुभूति से ही चल सकता है। इतनी सहायता और सहानुभूति की यहां से सभ्यतर प्रदेशों में भी ज़रूरत नहीं है।

३—खानें और उनसे निकलनेवाली चीजें।

वर्तमान समय की धातु तथा रसायन संबंधी कारीगरियों के लिये जिन खनिज पदार्थों की आवश्यकता है उनकी बढ़ती के लिये कोई भी उद्योग नहीं किया गया है। हां गत वर्षों में उन खानों के खोलने में अवश्य अत्यंत विलक्षण उन्नति हुई है जिनमें वे पदार्थ उपलब्ध हैं जो बाहर देशों में जाने के योग्य हैं अथवा हिंदुस्तान में ही सीधे खर्च हो जाते हैं।

इस बात में अब से सौ वर्ष पहले की हालत में बड़ा अंतर है। पहले फिटकरी, नीला थोथा, हीरा कसीस, तांबा, सीसा, फ़ौलाद, लोहा वग़ैरह की देशी कारीगरियां बड़ी उन्नति पर थीं, परंतु अब युरोप के कीमियागरों ने गंधक के तेज़ाब, पलकेली वग़ैरह सस्ती चीज़ों से तथा रेल और जहाज़ के चारों ओर फैलने और सस्ते किराये के होने से उक्त कारीगरियों को जहां तक बना है, मिटा दिया है और शोरे और सुहागे की तिजारत को बिलकुल घटा दिया है। प्राचीन काल में देशी लोहे की उत्तमता, उत्तम प्रकार के फौलाद बनाने की शैली का ज्ञान, तांबे और पीतल की कारीगरियां तथा शोरे की अधिकता के कारण हिंदुस्तान का स्थान बहुत ऊँचा चढ़ा हुआ था, परंतु लग भग ४० वर्ष से युरोप के कीमियागरों ने अपने यहां की सस्ती चीज़ों को काम में लाना शुरू कर दिया है।

रेल की वृद्धि, जूट, रुई और कागज़ की कारीगरी की बढ़ती और बिजली के दिन दिन बढ़ते हुए प्रचार से हिंदुस्तान में धातुओं तथा रासायनिक पदार्थों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आशा है कि बहुत शीघ्र वह समय आयगा जब हिंदुस्तान की ज़रूरत के अनुसार ये चीज़ें बनने लगेंगी।

सन १६०१ ई० से सन १६०३ तक ३ वर्षों में १५२३७३७८० रुपए की खान से निकली हुई तथा उनसे बनी हुई चीज़ें हिंदुस्तान में बाहर के देशों से आईं। इनमें कांच, चीनी, लोहे, फ़ौलाद वग़ैरह की चीज़ें, मशीनें, रेल के समान शामिल हैं। इनकी क़ीमत उन पदार्थों से कहीं ज़्यादा है जिनसे ये बनती हैं। बाहर से आए हुए खनिज पदार्थों में सब से क़ीमती धातुएं हैं जिनकी क़ीमत उक्त तीन वर्षों में ८२५००००० रुपए की थी। इसमें उन धातुओं का मूल्य शामिल नहीं है जो मेशीनों तथा लोहे वग़ैरह के सामान में लगी हैं। आमद में ३७ प्रति शतक लोहा और स्टील है, १०.७ प्रति शतक तांबा है, २४.२ प्रति शतक तेल है, ८.२ प्रति शतक क़ीमती मोती और पत्थर हैं और ४.४ प्रति शतक निमक है। हिंदुस्तान के बहुमूल्य खनिज पदार्थ निम्नलिखित समूहों में विभक्त किए जा सकते हैं--

१. कार्बन तथा उसके यौगिक पदार्थ--इनमें कोयला, मिट्टी का तेल, अंबर, और सीसा शामिल हैं।

२. धातुएँ—इनमें सोना, चांदी, टीन, तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा, सुरमा, मैंगनीज़, क्रोम, निकल, कोबल्ट, तुंगस्त, तीटोनियम तथा एलमोनियम शामिल हैं।

३. इमारती चीजें—इनमें पत्थर, स्लेट, चूना, सिमंट, शोरा और रेता हैं।

४. कारीगरियों की चीजें—इनमें छीलनेवाली चीज़ें, खनिज रंग, कठिनता से गलनेवाले पदार्थ, तथा खेती, रसायन, बरतन बनाने वगैरह की चीजें शामिल हैं।

५. जवाहिरात—वर्तमानकाल में हिंदुस्तान की खानों से केवल निम्नलिखित जवाहिरात पैदा होते हैं—हीरा, लाल, नीलम, याकूत, बिल्लौर तथा अनेक प्रकार के चकमकी तेजाब, और अंबर। फिरोजा हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता। यह उत्तरीय तथा उत्तरीय-पश्चिमीय सरहद से आता है। यद्यपि एशिया और युरोप दोनों देशों में प्राचीन काल से यह बात मशहूर है कि हिंदुस्तान हीरे की खान है, परंतु वर्तमान समय में इसकी उत्पत्ति बहुत ही कम है और जो कुछ है वह भी अच्छी नहीं है।

४–शिल्प और कला कौशल।

हिंदुस्तान में जो लोग शिल्पादि का कार्य करते हैं वे अपने अपने कार्यों के अनुसार अनेक जातियों में विभक्त हैं–१. वे जातियां जो खेती वग़ैरह करती हैं अथवा खेती की पैदावार से संबंध रखती हैं, २. वे जातियां जो बिनाई वग़ैरह का कार्य करती हैं, ३. वे जातियां जो जंगली या कुदरती पैदावारों को जमा करती हैं और उनको काम में लाती हैं, ४. वे जातियां जो धातुओं और खानों का काम करती हैं। इन चारों जातियों में घटिया बढ़िया हर एक प्रकार की कारीगरी पाई जाती है। हिंदुस्तान में अन्य देशों की अपेक्षा जंगली पैदावारों की ज़्यादा क़दर है क्योंकि एक तो कुल मिला कर उनकी कीमत ज़्यादा है, दूसरे हजारों गरीब आदमियों की जीविका उन पर निर्भर है।

हिंदुस्तान ५ शिल्पक्षेत्रों में विभक्त है—१. बंगाल आसाम, २. उत्तरीय हिंदुस्तान (संयुक्त प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजपुताना, मध्य भारत, पंजाब, सरहद्दी सूबा तथा काश्मीर), ३, पश्चिमीय हिंदुस्तान (बंबई प्रेसिडेंसी, बरार, बिलोचिस्तान), ४. दक्षिणीय हिंदुस्तान (मद्रास प्रेसिडेंसी, हैदराबाद, मैसूर, कुर्ग), ५. बरमा। बंगाल में व्यापारिक पदार्थों की संख्या बहुत ज़्यादा है, परंतु शिल्प

पदार्थों की बड़ी कमी है। पश्चिमीय हिंदुस्तान में खास खास और ज़रूरी चीजों और कारीगरियों की संख्या कम है परंतु दक्षिणीय हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। बरमा में व्यापारिक पदार्थों की अपेक्षा दस्तकारी और कारीगरी की चीजों की बड़ी अधिकता है। उत्तरीय हिंदुस्तान में भी जहां समुद्रीय प्रांतों की अपेक्षा बाहरी तिजारत कमी पर है शिल्प संबंधी कारीगरियों की बड़ी अधिकता है।

कारीगरियों की किस्में—कलकत्ते के अजायब घर में पैदावारों तथा जो जो चीजें उनसे बनती हैं उनकी ९ दरजों में तरतीब की गई है।

(१) गोंद, राल, तथा जमे हुए रस वगैरह से बनी हुई चीजें।

इस समूह में लाह, मोम वगैरह कुछ चीजों को छोड़ कर जो जानवरों से पैदा होती हैं शेष समस्त वनस्पति से निकली हुई हैं। काफ़ूर के शुद्ध करने तथा बाहर से आए हुए गोंदों के छांटने का बड़ा भारी काम होता है। इनका पूरा तिहाई हिस्सा फिर बाहर चला जाता है। उमदा किस्म का कत्था पान के साथ बराबर चबाया जाता है। स्याह रंग का तथा मोटी किस्म का कत्था ज्यादातर रँगने और चमड़ा सिँझाने के काम में आता है।

लाह—यह एक प्रकार का वृक्ष का गोंद है जो वारनिश करने तथा मोहर लगाने के काम में आता है। इसका काम

केवल हिंदुस्तान में होता है। यद्यपि साधारण लोग इसकी कदर नहीं समझते तथापि यह खेती, व्यापार, कारीगरी, कला कौशल तथा घरेलू कामों में खर्च होता है।

मोम—हिंदुस्तान में शहद और मोम के बनाने की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। कुछ जंगली और पहाड़ी कौमें इस काम को करती हैं। यद्यपि मोम बहुत ज्यादा हिंदुस्तान से बाहर जाती है परंतु इस की तिजारत में कोई वृद्धि नहीं है। यह रँगाई के खास काम में आती है। दुःख की बात है कि सस्ते छपे हुए माल के कारण, यह कारीगरी कुछ वर्षों से अवनत दशा में है।

(२) वाखर, तेल, चरबी से बनी हुई चीजें तथा द्रव्य।

सन् १६००—०१ ई० में ११ करोड़ रुपए की और सन् १६०३—०४ ई० में १७ करोड़ रुपए की इस किस्म की चीज़ें हिंदुस्तान से बाहर गईं तथा हिंदुस्तान में बाहर से आईं। खान, वनस्पति तथा जंतु तीनों से बनी चीजों से तेल निकलता है। रँगाई तथा चमड़े का काम करनेवाले लोग सब तेल को इस्तेमाल करते हैं और बहुत दिनों से करते आए हैं। बदन में मलने में तेल बहुत ज़्यादा काम में आता है। इससे कच्चा साबुन बहुत ज्यादा बनता है और धोबियों और नीलगरों के हाथ बेचा जाता है। विलायती रीति से साबुन बनाने का काम भी सफलतापूर्वक प्रचलित हो गया है। चरबी की बत्तियां यद्यपि

तमाम मुल्क में बनती हैं तथापि अधिकतर बत्तियां युरोप से ही आती हैं। कुछ वर्षों से कलकत्ते और बरमा में मोम की बत्तियां बनने लगी हैं और उनके कारण विलायती बत्तियों की आमद में बड़ी कमी हो गई है।

बाखर और तेल—हिंदुस्तान से अनेक प्रकार की तेल निकालनेवाली चीजें बाहर विलायतों में जाती हैं जिन में से मुख्य मुख्य सरसों, अलसी, तिल, बिनोला, रेंडी, नारियल, बाड़ी और पोस्त हैं। संतोष की बात है कि हिंदुस्तान में भी इन चीज़ों का तेल अधिकतर बनने लगा है। इस में संदेह नहीं कि मिट्टी के तेल के प्रचार से सरसों वग़ैरह के तेल में जो पहले खास कर जलाने के काम के लियें बनाया जाता था, बहुत कमी हो गई है।

चित्रकारी—हिंदुस्तानी चित्रकारी तीन प्रकार की है—१. बौद्ध समय की, २. मुसलमान समय की, ३. वर्तमान में जैसी प्रचलित है। बौद्ध समय की चित्रकारी के नमूने अजंटा की गुफ़ाओं में मिलते हैं। मुसलमान समय की चित्रकारी के नमूने अभी तक पुरानी इमारतों तथा पुस्तकों में मिलते हैं। वर्तमान समय की चित्रकारी वर्तमान आर्ट स्कूलों में होती है। बौद्ध समय की चित्रकारी में सजावट इतनी अधिक नहीं है जितनी सुंदरता है। सब से पुराने असली चित्र जिन के हमारे पास लिखित प्रमाण हैं, प्राचीन मुग़ल चित्रकारों के ईरानी असर से बनाए हुए हैं। इसी किस्म की चित्रकारी के

ढंग से छोटी छोटी तस्वीरों का हुनर निकला है जो दिल्ली में उत्तम रीति से होता है। यह काम आम तौर से हाथीदांत पर होता है।

(३) रँगाई संबंधी काम।

रँगाई—रंगाई को छोड़ कर और जितनी कारीगरियां हिंदुस्तान में हैं वे सब उन्नति पर हैं। धातुओं से बने हुए विलायती सस्ते रंगों ने हिंदुस्तान की रँगाई विनाई वग़ैरह की कारीगरियों को बड़ा धक्का पहुँचाया है और लोगों के दिलों से कला कौशल के भावों को नष्ट कर दिया है। पहले हिंदुस्तान के बने हुए कपड़ों का रंग बड़ा नफ़ीस मुलायम और स्थायी होता था परंतु आज कल उनके स्थान में चमकदार रंगों का रिवाज हो गया है जो थोड़े ही दिनों में उड़ जाते हैं। आज कल के रंगों में सब से बड़ी आपत्ति यह है कि वे घटिया बढ़िया दोनों किस्म के होते हैं और लोग सस्ते की वजह से घटिया ही इस्तेमाल करते हैं। इस से भी अधिक आपत्ति का कारण यह है कि हर साल हजारों गांठें रँगे हुए कपड़ों की विदेशों से आती हैं। इन से हिंदुस्तानी कारीगरों को भद्दे पन और गंवारूपन के नमूने प्राप्त होते हैं जिन के मिटाने में सौ वर्ष से भी ज्यादा लगेंगे।

रंग की तिजारत—रंग की विदेशी तिजारत के नक्शों के देखने से मालूम होता है कि सन् १६०३-०४ ई० में

८८ लाख रुपए का माल बाहर से हिंदुस्तान में आया और १ किरोड़ ७६ लाख रुपए का माल हिंदुस्तान से बाहर गया। उस साल सन् १८७६–७७ की अपेक्षा ७ गुने से अधिक माल हिंदुस्तान में आया और केवल दुगना माल बाहर गया। इस से प्रगट है कि हिंदुस्तान के व्यापार और कृषि में बड़ी हानि हुई। कुसुम, आल तथा लाह के रंगों की कारीगरियां बिलकुल नष्ट हो गई हैं और नील में भी बड़ी अवनति हुई है। नील और लाह की खानों में बहुत कमी हो गई है और बहुत कमी होती जाती है।

रँगाई के काम—हर एक बात में देशी रंगरेज़ पश्चिमीय रंगरेज़ से पीछे हैं। अतएव इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज कल की ज़रूरतों के कारण रँगाई के पुराने तरीक़ों और हालतों में बड़ा अंतर पड़ गया है। रूई तथा भाप की कल द्वारा अन्य प्रकार की बिनाई से गत वर्षों में युरोप के तरीक़ों पर बड़े बड़े रँगाई के काम जारी होगए हैं।

(४) जानवरों से पैदा हुई चीज़ें।

चमड़ा—इस किस्म की सब से ज़रूरी पैदावार चमड़ा है। हज़ारों मन खाल हिंदुस्तान से बाहर देशों में जाती है। इतना माल हिंदुस्तान में आता नहीं जितना यहां से बाहर जाता है। इस से प्रगट है कि हिंदुस्तान में भी चमड़े की उमदा और मज़बूत चीज़ें बनती हैं। चमड़े की कमाई

तथा रँगाई सिर्फ़ दक्षिणीय हिंदुस्तान में होती है। यहां का माल अधिकतर यूनाइटेड स्टेट्स में जाता है।

चमड़े के कारखाने—सन् १६०३ ई० में हिंदुस्तान में ४३ कारखाने चमड़े के थे और उन में ७६०० आदमी काम करते थे। इनमें से ३७ कारखाने केवल मद्रास में थे। उत्तरीय हिंदुस्तान के, खासकर कानपुर के, कारखानों में खाल से चमड़ा बनाया जाता है तथा साज़, जीन, बूट, जूते, बक्स वगैरह भी अधिकता से बनाए जाते हैं। गाँवों के मोचियों और चमरों के वास्ते भी चमड़ा यहां मिलता है। हिंदुस्तान में चमड़ा रँगने की चीज़ें भी उमदा और ज्यादा मिलती हैं।

हाथीदांत—हाथीदांत के लिये हिंदुस्तान को दूसरे मुल्कों पर बड़ा निर्भर रहना पड़ता है। अफ्रीका का हाथीदांत हिंदुस्तान के हाथीदांत की तरह पीला नहीं पड़ता और न उसकी तरह टूटता मुड़ता है। ताज़ा हाथीदांत मुर्दे हाथीदांत से बहुत अच्छा होता है। जो दांत ज़मीन पर पड़ा हुआ मिल गया हो अथवा इतने दिनों तक रक्खा रहा हो कि उसमें से लचक और चिपचिपापन निकल गया हो और वह कमज़ोर हो गया हो उसे मुर्दा दांत कहते हैं। हाथीदांत का जितना बढ़िया और उमदा काम होता है वह सब अफ्रीका के हाथीदांत पर होता है। जड़ाई और पच्चीकारी के काम में भी बारीक काम अफ्रीका के

नीलापन लिए सुफेद हाथीदांत पर होता है। बड़े बड़े टुकड़े धुंधले खड़िया के रंग के हिंदुस्तानी दांत के होते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि देशी राजाओं की शस्त्र-शालाओं में ऐसे कटारों की बहुत बड़ी संख्या है जिनके दस्ते हाथीदांतों के बने हुए हैं। कुछ हथियारों के पीछे तो शताब्दियों का इतिहास है। इन खास किस्म के हाथीदांतों के साईबीरिया तथा ग्रीनलैंड से हिंदुस्तान में आने के कठिन भूमि-मार्ग वर्तमान व्यापार मार्गों से बहुत पहले से थे। दिल्ली, मुरशिदाबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, और मोलमीन ये ५ जगहें हाथीदांत की कारीगरी के लिये मशहूर हैं।

(५) सूत, रेशे और तार संबंधी कारीगरियां।

खान पान की पैदावार के बाद दूसरा नंबर उन चीजों का है जिनमें रेशा होता है और जो बिनाई वगैरह के काम में आती हैं। वनस्पति पैदावारों में सब से ज्यादा कीमती रूई और जूट हैं। इन के बाद नारियल, पलवा, सन और काग़ज़ बनानेवाली चीजों का नंबर है। उनके बाद उन रेशों और छालों का नंबर है जिनसे रस्सी, बकस, चटाई, टोकरी, वगैरह बनती हैं। पटसन अन्य देशों से आता है। हिंदुस्तान में ३०० के करीब रेशा देनेवाले पेड़ हैं। इनमें से यद्यपि १०० के करीब काम आते हैं परंतु व्यापार प्रायः १०,

१२ का ही होता है। जंतु-उपज में रेशम, ऊन, पश्म और खाल जरूरी हैं।

रूई—इस बात का विश्वास न आयगा कि अब से कुछ शताब्दियों पहले रूई का नाम भी पश्चिम की सभ्य जातियों को मालूम न था। यह बात भी कुछ कम आश्चर्य की नहीं है कि रूई का, जो हिंदुस्तान तथा अन्य पूर्वीय देशों के लोगों की सदियों से पहनावा रही है, हिंदुतान के प्राचीन साहित्य में कठिनाई से कहीं उल्लेख है। इससे प्रगट है कि अब से २००० वर्ष पहले हिंदुस्तान में सूत कातने तथा बिनने की कला बड़ी उन्नति पर थी। सूत बिनने का काम इंगलैंड में १७ वीं शताब्दी में जारी हुआ और सन १७२१ ई० में मेनचेस्टर के हितार्थ एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार हिंदुस्तान में से छींटों और दरेसों का आना बंद किया गया। सन १७८४ ई० में एक जहाज यूनाइटेड स्टेट्स से लिवरपूल आ गया था जिसमें ८ गट्ठे रूई के थे। इन जहाजों को तुरंत बाहर का माल समझ कर पकड़ लिया गया था। थोड़े ही दिनों बाद संपूर्ण संसार की रूई की तिजारत का अवस्थांतर हो गया और हिंदुस्तान का नंबर नीचे गिर गया। इसकी अपेक्षा कि हिंदुस्तान का माल युरोप में जावे, हिंदुस्तान को खुद अपनी जरूरत के लिये इंगलैंड का मुँह ताकना पड़ गया। यह इस बात का प्रमाण है कि किस तरह कोई देश कल एंजिन के आविष्कार तथा कृषि के उत्तम रीति के प्रचार से उन्नतिशाली हो सकता है।

रुई की कलें—रुई की कारीगरी में भारत के पुनर्जीवन का प्रभात उस दिन हुआ जिस दिन यहां पहले पहल भाप की कल से कातने और बिनने का कारखाना खोला गया। अब चारों ओर हिंदुस्तान में कारखाने खुल गए हैं। अंदाजा लगाने से मालूम हुआ है कि वर्तमान समय में १ करोड़ ३५ लाख पौंड के करीब रुपया रुई के कारखानों में लगा हुआ है और उन पर साढ़े तीन लाख आदमियों की जीविका निर्भर है। सब से पहले हिंदुस्तान में सन १८१८ ई. में कलकत्ते के करीब रुई का कारखाना कायम हुआ था। बंबई में पहला कारखाना सन १८५१ ई० में कायम हुआ। सन १९०३-०४ ई० में २०४ कारखाने थे जिनमें ४६००० करघे थे और ५२१३००० तकवे थे। इन कारखानों में से ८४ बंबई शहर में हैं और ३२ अहमदाबाद में हैं।

रेशम का इतिहास—हिंदुस्तान की रेशम की तिजारत के विषय में लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं। रेशम के विषय में संस्कृत ग्रंथकारों के सब से प्राचीन उल्लेखों से प्रगट होता है कि कोई न कोई कीड़ा अवश्य था परंतु वह आज कल का असली रेशम का कीड़ा नहीं था। यह सम्भवतः ठीक मालूम होता है। प्राचीन हिंदू साहित्य में जहां कहीं रेशम के कीड़े का उल्लेख है वहां स्थानीय बने हुए नहीं किंतु बाहर से आए हुए रेशम का कथन है। हिंदुस्तान में न कभी देशी हालत में यह कीड़ा पाया गया है और न यह

धा, जिसको यह खाता है, खास कर उन हिस्सों में तो मी भी नहीं पाया गया है जहां रेशम का कीड़ा होता है। सलमान लेखकों ने भी इस विषय पर लेखनी नहीं उठाई है। इस से मालूम होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित होने के समय तक रेशम के कीड़े की कारीगरी हिंदुस्तान में कहीं पर जरूरी नहीं समझी जाती थी। कंपनी की छत्रछाया में हिंदुस्तान में रेशम की तिजारत में बड़ी उन्नति हुई। जो परीक्षाएँ उसकी की गईं उन से यह परिणाम निकला कि बंगाल में जो रेशम का कीड़ा अब मिलता है उसकी कम से कम कुछ जातियां उपजातियां यहां पाली गईं।

रेशम की तिजारत—फैशन ने समय समय पर रेशम की तिजारत में बड़ा परिवर्तन किया है। पहले कोरा रेशम बहुत पसंद किया जाता था परंतु अब उस की मांग बिलकुल घट गई है। यह तथा परवरिश करने, चरखी पर लपेटने और बिनने की दोषपूर्ण रीतियां वर्तमान में हिंदुस्तानी रेशम की तिजारत के पतन के कारण हैं। बंगाल में सब से अधिक रेशम पैदा होता है और पंजाब और बरमा में सब से अधिक खर्च होता है। बंबई में कच्चा रेशम चीन से आता है और यही रेशम बंबई से उत्तरीय हिंदुस्तान तथा मध्य हिंदुस्तान में जाता है। रेशम के दो बड़े कारखाने बंबई में हैं, एक कलकत्ते में है। इन में भाप से काम होता है। इनका संबंध बिलकुल बरमा के बाजार से है। इन के

सिवाय २५, ३० के करीब करघे भी हैं जिन में से अधिकतर बंगाल में हैं। कच्चा रेशम तथा रेशम से बना हुआ माल जितना हिंदुस्तान से बाहर के देशों में जाता है उस से कहीं ज़्यादा बाहर के देशों से हिंदुस्तान में आता है। केवल यही बात नहीं कि हिंदुस्तान में अन्य देशों की मांग के मुताबिक माल नहीं बनता किंतु विदेशी मुकाबले के सामने हिंदुस्तानी बाज़ार भी खुला हुआ है, जिससे स्थानीय हाथ के करघों पर काम करनेवालों को बड़ी हानि होगी।

ऊन, पशम—हिंदुस्तान के प्राचीन ग्रंथकार ऊन से परिचित थे। यह वैश्य जाति के यज्ञोपवीत के लिये काम में आता था। हिंदुस्तान का ऊन कपड़े के लिये उमदा नहीं होता इस कारण से हिंदुस्तानी कारीगरी में इस का नंबर बहुत नीचे है। युरोप और आस्ट्रेलिया की भेड़ों के ऊन से हिंदुस्तानी भेड़ों का ऊन बहुत ही घटिया है। पशम तिब्बत के किसी किसी बकरे पर ऊन के नीचे होता है। काश्मीर के शाल, रामपुर की चादरें तथा पशमीने के कपड़े इसी के बनते हैं। कुछ वर्षों से ईरान के अंतरगत करमान से एक मुलायम किस्म का ऊन आने लगा है। कुछ दिन पीछे से इसी किस्म का ऊन आस्ट्रेलिया वग़ैरह अन्य देशों से भी आने लगा है। हाल में किसी विशेष रीति से साधारण ऊन से भी मुलायम ऊन बनाया जाने लगा है। ये तथा असली पशम के स्थान में इन्हीं किस्मों का और माल पंबई में बाहर देशों से आता है और अमृतसर, लाहौर, नूरपुर,

लुधियाना, तथा काश्मीर तक में जाता है। खालिस ऊन से अथवा उस में थोड़ा सा तिब्बती पश्म मिला कर शाल बनाए जाते हैं जो तमाम हिंदुस्तान में बिकते हैं तथा युरोप और अमरिका तक में भी असली पश्मीने के नाम से जाते हैं। कश्मीरा उमदा मुलायम ऊनी माल का तिज़ारती नाम पड़ गया है। युरोप में जो उमदा मुलायम ऊनी कपड़ा बनता है उस को कश्मीरा कहते हैं।

ऊनी माल में मोटे कंबल अथवा नमदे और पहनने के कपड़ों के थान होते हैं। सिर्फ़ उत्तरीय हिंदुस्तान में और वह भी खास कर काश्मीर में उमदा और बढ़िया ऊनी कपड़े बनते हैं। इस समय हिंदुस्तान में केवल ६ भाप से काम करने वाले ऊन के कारखाने हैं। वे कानपुर, धारीवाल, बंबई और बंगलोर में हैं। बढ़िया माल के लिये उन्हें आस्ट्रेलिया से ऊन मँगाना पड़ता है जो या तो खालिस या देशी ऊन के साथ काम में लाया जाता है। इन के सिवाय हैंडलूम (हाथ के करघे) सर्वत्र हिंदुस्तान में पाए जाते हैं जिन में मोटे कंबल, दरियां, रग, पट्टी और पश्मीना बनता है। दरी की बुनावट हिंदुस्तान में अन्य अनेक कलाओं के समान ईरान से प्रचलित हुई परंतु संभावना इस बात की की जाती है कि हिंदुस्तान में दरी की बुनावट का काम ईरानी असर के बहुत दिन पहले से मालूम था। शाल की बुनावट का काश्मीर केंद्र स्थल है।

कारचोबी और कसीदे का काम उत्तरीय तथा उत्तर-पश्चिमीय हिंदुस्तान में बड़ी उन्नत दशा में है और विशेषकर पहाड़ी लोगों में पाया जाता है।

(६) दवाइयां।

प्रायः हर एक बड़े गांव में अत्तार या पंसारी होता है जो दवाइयां बेचता है। बड़े बड़े गांवों में देशी हकीम या वैद्य भी रहते हैं जो रोगों का इलाज करते हैं और जिन्हें दवाइयों के गुणों का ज्ञान होता है। लगभग १५०० पदार्थों में दवाईयों के गुण बताए जाते हैं। थोड़े दिन हुए भारत सरकार ने देशी दवाइयों की जांच करने के लिये एक कमेटी नियत की थी। करीब ५० दवाइयां जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिन के गुणों से बच्चा बच्चा भी परिचित है और जो अत्तारों की दुकानों पर आम तोर से मिलती हैं, छांटी गई हैं। हिंदुस्तान के लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिये कुनीन बड़ी ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हुई है। ज्वर के लिये तो यह रामबाण है। यह हिंदुस्तान में ही सिंकोना से बनती है। सन १८९६-९७ ई० से इस की एक एक पैसे की पुड़ियां हर एक डाकखाने में मिलने लगी हैं। व्यापार की दृष्टि से भी इस में बड़ा लाभ है। रासायनिक चीज़ों में सब से ज़रूरी और उल्लेख करने योग्य बाई-कारबोनेट आफ़ सोडा (bicarbonate of soda), सलफ़्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेज़ाब फिटकिरी तथा कागज़ बनाने की चीज़ें हैं। रसायनिक

पदार्थों की मांग दिन दिन बढ़ती जाती है जिस से प्रगट है कि हिंदुस्तान भी कला कौशल में उन्नति कर रहा है।

(७)—खाने की चीज़ें।

जैसे यह ख्याल करना भूल है कि हिंदुस्तान के आदमी निपट शाकाहारी हैं अथवा केवल चावल खा कर जीते हैं ऐसे ही यह ख्याल करना भी ठीक नहीं है कि वे सर्वथा अपने ही खेतों की उपज पर निर्वाह करते हैं। चावल कभी हिंदुस्तान की खास खुराक नहीं है। गेहूं उससे भी परे है। हां, ज्वार, बाजरा, कोदों वग़ैरह मोटे अनाजों तथा उड़द मूंग वग़ैरह दालों पर निःसंदेह अधिकतर लोगों का जीवन निर्वाह होता है।

अफ़ीम का इकट्ठा करना और बनाना, चाय और कहवे का बोना और बनाना, तंबाकू कालीमिर्च और बड़ी इलायची का साफ़ करना, शक्कर बनाना, और अरारोट तैयार करना, आचार मुरब्बा तथा मिठाई बनाना, आटा पीसना, सिरका डालना, चुरट बनाना, अरक सत वग़ैरह निकालना, इतर बनाना, शक्कर का साफ़ करना, डबलरोटी बिसकुट बनाना वग़ैरह वग़ैरह कारीगरियां इस किस्म के पदार्थों की हिंदुस्तान में होती हैं।

(८)—लकड़ी के काम।

हिंदुस्तान लकड़ी का घर है। यहां पर अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम लकड़ियां पैदा होती हैं। उन में से मुख्य मुख्य ये हैं—

टीक, शीसम, देवदार, संदल, आबनूस, अखरोट, पदौक, तुन, नीम, मद्रास की लाल लकड़ी, अंजन, दूधी, लाल देवदार, साख, रोहिरा, बबूल, कटहल, ये लकड़ियां इमारतों वगैरह के अनेक कामों में आती हैं। इन पर खुदाई, चिताई, घड़ाई, जड़ाई, जाली, रँगाई, वारनिश वगैरह का काम बहुत अच्छा होता है। लकड़ी के खिलौने, माडल तथा छोटी छोटी चीज़ें बहुत उमदा बनती हैं।

उत्तरीय हिंदुस्तान में जो लकड़ी पर चिताई का काम देखने में आता है उस पर मुसलमानी असर बहुत ज़्यादा मालूम होता है। युक्त प्रदेश में भी लकड़ी का काम कुछ कम नहीं है। चिताई, जड़ाई तथा नक्काशी तीनों तरह का काम यहां पर पाया जाता है। शीशम, साख, आबनूस, तथा नीम और दूधी अधिकतर काम में आते हैं। नागपुर तथा मध्य प्रदेश के और कई शहरों में लकड़ी की चिताई का काम बहुत अच्छा होता है। यह मरहटा ढंग से बहुत मिलता जुलता है। मध्य हिंदुस्तान, सिंध, बिलोचिस्तान तथा राजपूताने के रेगिस्तानों में फूलदार नक्काशी का काम पत्थर पर बहुत ज़्यादा पाया गया है। लकड़ी का काम बहुत ही साधारण है। बंगाल में भी लकड़ी की चिताई का काम महत्वशाली नहीं है। गुजरात का काम दो प्रकार का है। एक जैन रीति का, दूसरा मुसलमान रीति का।

बरमा में पहले धर्म मंदिरों को छोड़ कर ईंट की इमारतें

और किसी काम में नहीं आती थीं। इस कारण से तथा टीक लकड़ी के बाहुल्य से चिताई और नक्काशी के काम में बड़ी उन्नति हो गई। लकड़ी की उत्तमोत्तम मूर्तियां बनने लगीं। अब तक भी कुछ लकड़ियां उस समय की उपलब्ध हैं। लकड़ी के काम में नैपाल हिंदुस्तान की अपेक्षा चीन और तिब्बत से बहुत ज़्यादह मिलता जुलता है। नक्श की हुई लकड़ी का सब से उमदा नमूना जो हिंदुस्तान में मिला है वह उसी कला का नमूना है जो सावंतवादी (बंबई प्रांत) में बहुत दिनों तक रहा है। काश्मीर में लकड़ी की चीज़ों पर हल्का रंग करके उस पर चित्रकारी की जाती है और फिर उस पर एक खास किस्म की वारनिश कर दी जाती है।

(६) धातुएँ तथा खानि से निकलनेवाली चीज़ें।

हिंदुस्तान का जितना बड़ा क्षेत्र है उस के अनुसार यहां धातुएँ बहुत कम हैं। थोड़ी सी धातुएँ तथा खान की चीज़ें जो मिली हैं उनकी अच्छी तरह से छान बीन कर ली गई है। उन में से बहुत थोड़ी वर्तमान शैली से वैज्ञानिक रीतियों से काम में आती हैं, तो भी धातु की चीज़ें लकड़ी की चीज़ों के बाद हिंदुस्तान की तमाम कारीगरियों में सब से ज़्यादह ज़रूरी हैं। घरों के सभी बरतन प्रायः धातु के बने होते हैं। लोकमत के अनुसार तांबा सब से शुद्ध धातु समझा जाता है। हिंदू लोग पीतल को ज़्यादह काम में लाते हैं और मुसलमान तांबे को।

कच्चा मैंगनीज़ कुछ दिनों से बाहर जाने लगा है। बहुत साल तक बरमा से टीन की तिज़ारत होती रही। कोयले की पैदावार में दिन दिन बढ़ती है। मिट्टी के तेल तथा पाराफीन की पैदावार ने भी बरमा में बड़ी उन्नति की है और उसके कारण अब अमेरिका और रूस से इन चीज़ों का आना बंद हो गया है। अबरक की कुछ चीज़ों की तिज़ारत तो बिलकुल हिंदुस्तान के हाथ में है परंतु शोरे की तिजारत जिस से कभी हिंदुस्तान को बड़ा भारी लाभ था, जरमनी के शोरे के कारण घट गई है।

सब से पहले सन् १८२० ई० में बंगाल में कोयले की खानें खुली थीं परंतु सन् १८५४ ई० तक जब तक ईस्ट इंडिया रेलवे बनी, कोई उन्नति नहीं हुई थी। रेलवे के बन जाने पर भी जब तक कलकत्ते में जूट के कारखाने न खुले उन्नति बहुत धीरे धीरे हुई। कोयले की पैदावार के लिये बंगाल के बाद हैदराबाद, आसाम, मध्य भारत तथा मध्य प्रदेश का नंबर है। हिंदुस्तान में सोने की खानें खासकर मैसूर में हैं। अनेक हिंदुस्तानी नदियों की रेत से सोना धोया जाता है परंतु इस तरह बहुत कम निकलता है। बरमा के तेल के कुओं के बारे में लोगों का ख्याल है कि इन से २००० वर्ष से ज़्यादह काम लिया गया है। बहुत सा तेल बढ़िया किस्म का है और वह वैसी ही हालत में चिरागों के जलाने में काम आ सकता है। कच्चा लोहा तमाम हिंदुस्तान में बड़ी अधिकता से है।

युरोप के ढंग पर लोहा गलाने का काम केवल बंगाल में होता है जहां कोयला लोहे से ज़्यादह पाया जाता है।

निमक हिंदुस्तान में अनेक जगहों से आता है। ख़ास ख़ास जगहें पंजाब में मेयो खान की निमक की चट्टान, सरहदी सूबे में कोहाट की चट्टान तथा राजपुताने में सांभर, दिदवाना, पंचभद्रा; पंजाब में सुलतानपुर और सिंध, बम्बई, मद्रास में निमक के समुद्र हैं। बहुत सा निमक बंगाल और बरमा में बाहर से भी आता है। हिंदुस्तान में शोरा बनाने का काम बारूद के आविष्कार के समय से हुआ है। हिंदुस्तान में इसकी जितनी ज़रूरत होती है सब बिहार से आता है। सुहागा पंजाब की कुछ झीलों के किनारों पर, तिब्बती सरहद पर तथा तिब्बत ख़ास में साधारण निमक के साथ पाया जाता है। पीतल और तांबा करीब करीब कुल विदेशों से आता है। तांबे के बरतन बहुत ज़्यादह बनते हैं। ज़रूरत के समय यह बिक भी बहुत जल्दी जाता है। सुकाल में इसकी बड़ी मांग रहती है परंतु अकाल में लोग इसे तुरंत बेच डालते हैं। तांबे की तिजारत की घटती बढ़ती से हिंदुस्तान के लोगों की आर्थिक दशा का साफ़ पता लग जाता है।

बरतन बनाना—हिंदुस्तान में बरतन बनाने की कारीगरी में विशेष उन्नति नहीं हुई है। इस के दो कारण हैं—एक तो यह कि हिंदुस्तान में केओलिन अच्छा और ज़्यादह नहीं मिलता।

दूसरे, लोगों की सामाजिक और धार्मिक रीतियां। हिंदू धर्म के अनुसार मिट्टी के बरतन जल्दी अपवित्र हो जाते हैं और अपवित्र होते ही फोड़ दिए जाते हैं। अतएव खाने पीने के काम में न आकर केवल अनाज और अचार वगैरह रखने के काम में आते हैं। मुसलमानों में बरतनों पर रंग वगैरह करना खपडेलों के बनने के समय से जारी हुआ। सादे बर्तनों का उत्तरीय हिंदुस्तान की अपेक्षा दक्खिन में अधिक रिवाज है। बरतन भी दक्खिन में अनेक स्थानों पर बहुत बढ़िया बनते हैं। उनकी निर्माण शैली उत्तरीय हिंदुस्तान की शैली से बिलकुल भिन्न है। बरतन बनानेवाले चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान, दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं-१ कुहार जो सादे बरतन बनाता है, २. कूज़गर जो रोगनी बरतन बनाता है। अकेले वेलोर के बरतनों को छोड़ कर शेष हिंदुस्तान के समस्त बरतन मुसलमानी ढंग के हैं।

सादे बर्तन—बिना रंग किए बरतन सर्वत्र हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसे पतले बरतन बनाए जाते हैं कि उन को कागज़ी कहते हैं। इस किस्म की मिट्टी गुजरांवाला, बहावलपुर और अलवर में पाई जाती है। रंगीन लाख तथा अन्य चीज़ों से बरतनों को राजपुताने और दक्खिन में रँगा जाता है। लखनऊ में हाल में बहुत उमदा खिलौने बनने लगे हैं।

—०—

५—वाणिज्य-व्यापार।

कृषी विभाग—सन् १८६६ ई० के अकाल की खोज का यह परिणाम हुआ कि सरकार ने कृषि तथा व्यापार संबंधी विषयों के लिये एक नया विभाग स्थापित किया परंतु सन् १८७१ ई० में जब व्यापार संबंधी कार्य अर्थ विभाग के सुपुर्द हो गया तो रुपए की कमी से यह विभाग तोड़ दिया गया। थोड़े दिनों के बाद सन् १८७६-७८ ई० के अकाल की खोज करने के लिये जो कमीशन बैठा था उसकी सिफारिश से भूमिकर तथा कृषि-संबंधी कार्यों के लिये फिर एक नया विभाग स्थापित हुआ। सन् १८७५ और १९०५ ई० के बीच में पैदावार और व्यापार संबंधी नकशों के संग्रह करने तथा प्रकाशित करने की रीति में बड़ी उन्नति हुई, परंतु जो लोग हिंदुस्तान से व्यापार संबंध रखते थे उनकी यह शिकायत अवश्य थी कि सरकार व्यापार के हित को बहुत कम देखती है और व्यापारिक प्रश्नों में असाधारण विलंब कर देती है। यह शिकायत किसी हद तक ठीक भी थी क्योंकि सरकार इन प्रश्नों को उस दृष्टि से देखती थी जिससे शासन में सुभीता हो।

शिल्प तथा व्यापार विभाग—उक्त शिकायत को दूर करने के लिये सन् १९०५ ई० में शिल्प तथा व्यापार नाम

का एक नवीन विभाग स्थापित किया गया और उसका अध्यक्ष कौंसिल का एक मेंबर नियत किया गया। अर्थ विभाग, होम विभाग, माल विभाग, कृषि विभाग तथा इमारत विभाग से व्यापार संबंधी समस्त विषय ले लिए गए और इस नवीन विभाग के अधीन रक्खे गए। इस विभाग का एक डाईरेक्टर जेनरल भी नियत किया गया और उसका स्थान मेंबर कौंसिल और व्यापारियों के बीच में रहा। इस सुधार से व्यापार विषयक प्रश्नों के विचार करने और उनके शीघ्र निबटेरा कर देने के लिये एक पृथक् विभाग हो गया जिसका खास यही काम था। पहले जो शिकायत व्यापारियों को सरकार से थी अब वह सर्वथा जाती रही है।

बंदरगाहों की कमी—हिंदुस्तान तीन तरफ़ जल से घिरा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से व्यापार के लिये यह देश बड़ा ही उत्तम है परंतु जितना उत्तम और विशाल यह देश है उसके अनुसार इसमें ऐसे बंदरगाह नहीं हैं जिनमें बड़े बड़े जहाज़ ठहर सकें। पश्चिमीय किनारे पर बिलोचिस्तान से कुमारी अंतरीप तक मानसून ऋतु में जब हवा और लहरें चट्टानी किनारों से ज़ोर ज़ोर से टकराती हैं जहाज़ चलने करीब करीब बंद हो जाते हैं। इस किनारे पर केवल इने गिने बंदरगाहों में विदेशीय व्यापार खासकर लंका के साथ जारी रहता है। अधिकतर विदेशी

व्यापार बंबई और करांची में होता है । ये दो जगहें उत्तरीय पश्चिमीय तथा पश्चिमीय हिंदुस्तान की तिजारत के मुख्य मार्ग हैं। हिंदुस्तान के पूर्वीय किनारे पर बंदरगाहों की कमी और भी अधिक आश्चर्यजनक है क्योंकि गंगा के डेल्टा के दक्षिण में खुली हुई लंगड़ खाड़ी है जहां मीलों तक कोई स्टीमर नहीं पहुँच सकता। समुद्रीय दीवारें बना कर मद्रास की लंगड़ खाड़ी को बंदरगाह बनाने का उद्योग किया गया है परंतु उसमें सफलता साधारण हुई है।

बंगाल की खाड़ी के बरमी किनारे पर मोलमीन, रंगून, बेसिन, अक्याब, चटगांव, बहुत अच्छे बंदरगाह हैं जिनमें बड़ी बड़ी किश्तियां पहुँच सकती हैं, परंतु विदेशी तिजारत अधिक तर रंगून में होती है। रंगून में इरावदी तथा उससे भी दूर से रेल द्वारा व्यापार होता है। मोलमीन, बेसिन, और अक्याब में केवल आस पास के जिलों से तिजारत होती है। चटगांव भी अभी पिछले दिनों तक बिलकुल अलग था परंतु हाल में रेल द्वारा आसाम से इसका मेल हो गया है।

मुख्य बंदरगाह—उपर्युक्त प्राकृतिक अवस्थाओं के कारण हिंदुस्तान की संपूर्ण विदेशी तिजारत कलकत्ता, बंबई, रंगून, मद्रास तथा करांची में होती है। ये स्थान क्रम से प्रसिद्ध हैं। पहली चार जगहें प्रांतीय राजधानियां हैं। इनमें कितने ही बंकों और रेलों के सदर दफ़्र हैं और

युरोप के व्यापारी अधिकतर यहां रहते हैं। कलकत्ता, बंबई और रंगून उद्योग धंदे और शिल्पकला के केंद्र भी हैं।

हिंदुस्तान के कलाकौशल की उन्नति—यह बात प्रायः कही जाती है कि भारत में यहां की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक चीज़ बन सकती है अतएव इस बात की आशा करना अनुचित नहीं है कि देशी कलाकौशल की शीघ्र विशाल रूप से उन्नति होगी और इसलिये ब्रिटन के पूंजीवालों को चाहिए कि इस आशा के सफलीभूत होने में सहायता दें। इसमें तो संदेह नहीं कि भारत में अनेक वस्तुएँ बन सकती हैं, परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या यहां चीजें ऐसी अच्छी और सस्ती बन सकती हैं और क्या इतनी चीज़ों की यहां खपत हो सकती है जिसके लिये रुपया लगाया जा सके।

उपर्युक्त दोनों बातों का एक दूसरे से घनिष्ट संबंध है। दूसरी बात पहली पर निर्भर है। बाहर के देशों से आई हुई वस्तुओं में अनेक वस्तुएँ ऐसी हैं जो यदि हिंदुस्तान में बनाई जाँय तो कभी विलायती वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर सकतीं। हां कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो बन सकती हैं परंतु उनके विषय में भी फिर यह प्रश्न उठता है कि क्या उन चीज़ों की यहां इतनी खपत है कि वे बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जायें कि जिस से खर्च कम हो और चीज़ उमदा उत्पन्न हो। इस प्रश्न का केवल एक उत्तर है और

वह यह है कि यहां इतनी ज्यादह खपत नहीं है। युरोप का कारीगर हिंदुस्तान में ही अपने माल को नहीं भेजता किंतु और भी कितने ही देशों में भेजता है और इसके अतिरिक्त स्थानीय मांग भी उसके पास बहुत ज्यादह रहती है। किसी किसी दशा में तो हिंदुस्तान की तिजारत उसके लिये नाम मात्र की है। यदि वह सारी जाती रहे तो भी उसे कुछ परवाह नहीं। परंतु हिंदुस्तान में यदि कोई कारीगरी करे तो उसकी दशा बिलकुल इसके विपरीत है। उसका माल केवल हिंदुस्तान के ही बाजार में रहेगा अन्य देशों में जा कर वहां के माल का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि न वह इतना सस्ता ही हो सकता है और न इतना उमदा ही। इसपर भी यदि कभी किसी कारण से बाज़ार मंदा हो जाय या विदेशी व्यापारियों के मुकाबले के कारण मांग घट जाय तो केवल नफे का ही घाटा नहीं रहेगा किंतु असिल पूंजी का भी घाटा पड़ जायगा। इन्हीं कारणों से पूंजीवालों ने अपने रुपए को हिंदुस्तान की कारीगरी में बहुत कम लगाया है। हां बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में सफलता से बन सकती हैं। उनके लिये सामान भी सस्ता और काफी है और उनकी मांग भी बहुत ज्यादह है। ऐसे विषयों की जानकारी करना और उनको प्रकाशित करना सरकार का उद्देश्य है।

हर एक महाद्वीप और संसार के अनेक देशों के साथ हिंदुस्तान का व्यापार है, अधिकतर युरोप के देशों के साथ

है जिनमें से कुल माल की आमद का $\frac{4}{5}$ भाग हिंदुस्तान में आता है और जिनमें कुल रवानगी का आधा भाग हिंदुस्तान से जाता है। शेष में से अधिकतर भाग एशियाई देशों का है। आस्ट्रेलिया से केवल घोड़े और तांबा आता है। अफरीका और अमेरिका से मूरस चीनी और मिट्टी का तेल आता है।

हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज्य के स्थिर होने से हिंदुस्तान का विदेशी व्यापार अधिकतर यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के साथ रहा है परंतु जब से सुवेज़ नहर खुली है और विदेशी सौदागरों को हिंदुस्तान से माल लाने और ले जाने का अधिकार मिला है हिंदुस्तान की तिजारत में ब्रिटन का हिस्सा बहुत कम रह गया है।

भूमिमार्ग द्वारा व्यापार—समुद्रीय विदेशी व्यापार के अतिरिक्त हिंदुस्तानी सरहद के पार बिलोचिस्तान से स्याम तक निकटवर्ती देशों के साथ भी हिंदुस्तान की तिजारत होती है परंतु यह बहुत ज़्यादा नहीं है। सन १६०४-०५ ई० में कुल तिजारत १५ किरोड़ ३४ लाख रु० की हुई। सूत, चीनी, निमक, मिट्टी का तेल, चाय वगैरह चीज़ें हिंदुस्तान से गईं। इस तिज़ारत को कहीं कहीं पर अनेक रुकावटों का सामना करना पड़ता है जो निकटवर्ती बादशाहों ने इसके रास्ते में डाल रक्खी हैं।

व्यापारी जातियाँ—यद्यपि हिंदुस्तान में अंतरंग व्यापार प्रायः देशी लोगों के हाथ में है तथापि युरोप की कंपनियां जो अनाज वगैरह खरीद कर विदेशों में भेजती हैं दिन दिन अपने काम को बढ़ाती जाती हैं। करीब करीब हर एक गाँव में एक न एक ऐसा व्यापारी रहता है जो लोगों को रुपया उधार देता है, अनाज का व्यापार करता है तथा कपड़ा वगैरह भी बेचता है। अंग्रेजी राज्य के शुरू होने से पहले बंजारे लोग अधिकतर माल लादने के लिये खच्चर टट्टू वगैरह जानवर रखते थे, परंतु रेल के हो जाने से अब गधे घोड़ों का रिवाज बहुत कम हो गया है। हर एक प्रांत में भिन्न भिन्न जातियां व्यापार करती हैं। राजपुताने के मारवाड़ी प्रायः सब जगहों में पाए जाते हैं। आसाम में तो ये लोग वहां के असली निवासियों से भी बढ़ गए हैं। बंबई में पारसी लोग अधिक व्यापार करते हैं। ये लोग बिलकुल अंग्रेजों की तरह काम करते हैं। इनके बाद लोहान, भाटी, बोहरे, मेमन, खोजे और लिंगायत लोग हैं। लिंगायत लोग उत्तरीय मद्रास तथा मैसूर में भी पाए जाते हैं परंतु नीचे चल कर दक्षिण में चेती और कोमती लोगों का ज़ोर है। पंजाब में खत्री और बनिये लोग व्यापार करते हैं। बिहार और संयुक्तप्रांत में भी व्यापार बनियों के हाथ में है। बंगाल में ब्राह्मण तथा कुछ नीच जातियां भिन्न भिन्न प्रकार की

६—सिंचाई और जहाज चलाना।

भारतवर्ष में प्राचीन काल से नहरों और कुओं का प्रचार है जिनके द्वारा सूखी के दिनों में खेतों में पानी दिया जाता है। यहां के भिन्न भिन्न प्रदेशों के जलवायु में इतना भारी अंतर है कि कृत्रिम उपायों द्वारा सिंचाई किए बिना यहां काम चलना मुशकिल है। सिंध और दक्षिणीय पश्चिमीय पंजाब के रेतीले मैदानों में जहां प्रायः वर्षा का सर्वथा अभाव रहता है नहरों और कुओं के बिना खेती होना नितांत असंभव है। दक्खिन में वर्षा का कोई समय निश्चित नहीं है। बीच में महीनों तक बादल का नाम भी नहीं होता और सूरज की गरमी और सूखी जलती हुई हवाओं के कारण फसिल के बिलकुल नष्ट हो जाने का डर रहता है। हिमालय के निकटस्थ जिलों में यद्यपि वर्षा का सर्वथा अभाव कभी नहीं होता तथापि यहां पर सिंचाई की ज़रूरत है। कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनमें आम तौर से इतनी ज्यादह वर्षा होती है कि केवल चावल पैदा होता है परंतु उनके लिये भी कभी कभी जब वर्षा बंद हो जाती है, पानी की ज़रूरत पड़ जाती है और सिंचाई से ही फसिल पूरी और अच्छी हो सकती है।

भावार्थ यह कि पूर्वीय बंगाल आसाम तथा लोअर बरमा

को छोड़ कर जहां साल में ७० इंच से कम वर्षा का औसत नहीं होता अन्य प्रदेशों में किसी न किसी प्रकार की सिंचाई पर ही खेती निर्भर है। जहां तक किसान लोगों की बुद्धि और पूंजी ने काम दिया है उन्हों ने पानी देने के साधन बनाए हैं परंतु शत्रु की चढ़ाइयों और अंतरंग लड़ाई झगड़ों के कारण वे उन्हें बहुत कम और मामूली बना सके हैं। हां अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने पर बड़े बड़े काम बन गए हैं जिनसे लाखों एकड़ ज़मीन की सिंचाई होती है। हिंदुस्तान के सिवाय इतने उपयोगी और विशाल काम दुनियां के किसी भी भाग में नहीं हैं।

भिन्न भिन्न प्रकार के काम—सिंचाई के काम मुख्यतया ३ प्रकार के हैं—१ कुएँ, २. तालाब और हौज़, ३. नहरें। कुओं से पानी रहट, चड़स अथवा कल द्वारा ऊपर लाया जाता है। हौज़ वगैरह पुश्ते बाँध कर बनाए जाते हैं। नहरों में पानी उन नदियों से आता है जो साल भर तक बराबर बहती रहती हैं। प्रायः नदी की तह में जहां से पानी नहर में आता है पुश्ता बँधा रहता है कि जिस से पानी वहां जमा होता रहे और जब नदी कमी पर हो तब भी वह नहर को भर सके।

कुएँ—कुएँ दो तरह के होते हैं—१. पक्के, २. कच्चे। पक्के कुएँ बरसों रहते हैं परंतु कच्चे कुएँ साल दो साल तक काम देते हैं। कुओं से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा सिंचाई

होती है और वास्तव में यह है भी बहुत अच्छा, परंतु भूमि, जलवायु तथा सोते की सतह के अनुकूल होने पर भी कुओं की वृद्धि में अनेक रुकावटें हैं। सब से बड़ी बात तो यह है कि कुओं के बनाने में बड़ा खर्च पड़ता है। सरकार ने अब तक किसानों को दो तरह से उत्तेजना दी है। एक तक़ावी देकर दूसरे जिन जमीनों में कुओं से सिंचाई होती है उन पर सदा के लिये अथवा कुछ दिनों के लिये लगान का बढ़ाया जाना रोक कर।

तालाब और हौज़-तालाब और हौज़ छोटे बड़े सब तरह के हैं। कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी झीलें बनी हुई हैं, जैसे बंबई दक्खिन में फाइफ और वाइटिंग हैं और ट्रावनकोर में पेरियर झील है जिनमें ६५००००००० घन फुट तक पानी भरा हुआ है परंतु कहीं कहीं ऐसे छोटे तालाब बने हुए हैं कि जो १० एकड़ से भी कम की सिंचाई कर पाते हैं। सब से बड़े दो काम जो सरकार ने बनाए हैं नहर नोरा और पेरियर झील हैं जिन में हर एक में प्रति १० लाख घन फुट पीछे १२००) रु. के हिसाब से खर्च हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े अनेक काम सरकार ने बनाए हैं। *ब्रिटिश हिंदुस्तान में* ८० लाख एकड़ के करीब जमीन में तालाबों से सिंचाई होती है।

कुओं और छोटे छोटे तालाबों को लोग स्वयं बनाते हैं और वेही उनकी रक्षा करते हैं, परंतु नहरों को सरकार ही

बना और चला सकतो है। छोटी छोटी नहरों को भी कुछ ज़िलों में लोकल फंड की सहायता से कुछ लोगों ने बनाया है। ७०, ८० लाख एकड़ के करीब ज़मीन की सिंचाई निजी नहरों द्वारा होती है।

नहरें—बड़ी बड़ी नहरें दो तरह की हैं— १. वे नहरें जिनमें बिना पुश्ते के बराबर पानी आता रहता है अथवा जिनमें पुश्ता लगा हुआ है जिनमें से नदी के पानी की मिक़दार के मुवाफ़िक़ पानी नहर में आता है। यदि ज़रूरत के मुवाफ़िक पानी नहीं आता है तो हौज़ वगैरह बना लिए जाते हैं। दूसरी तरह की नहरें वे हैं जिनमें नदी के किनारों से पानी आता है जो प्रायः नहर के साधारण नीचे पानी की सतह से ऊंचा होता है। रौ के मौसिम में इनमें पानी बहा चला आता है यहां तक कि नदी इनकी सतह से नीचे हो जाती है। इस प्रकार की सब से उमदा नहरें पंजाब और सिंध में सिंधु तथा उसकी शाखाओं की घाटी में पाई जाती हैं।

पहले राजाओं की बनाई हुई नहरें। यद्यपि वर्तमान में जितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं उन सब को ब्रिटिश सरकार ने बनाया है तथापि पहले राजाओं द्वारा बनाए हुए कामों की भारतवर्ष में कमी नहीं है। कावेरी के डेल्टा में बड़े पैमाने पर सिंचाई का काम किया गया था। पानी के लिये एक बड़ा भारी पुश्ता बनाया गया था जो ग्रैंड एनीकट

(Grand anicut) के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसे १५०० वर्ष से ज्यादह हो गए हैं। तुंगभद्रा नदी पर छटी शताब्दी के शुरू में हिंदू राजा कृष्णराम ने अनेक पुश्ते बनाए थे। उत्तरीय हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जमुना के पानी को उपयोग में लाने के लिये अनेक वार उद्योग किया था। चौदहवीं शताब्दी के बीच में फ़ीरोज़शाह तुग़लग़ ने जमुना के दहिने किनारे पर १५० मील की लंबी नहर हिसार में बनाई थी। इस नहर में मिट्टी भर गई थी। अकबर के राज्य में यह फिर से जारी हुई और शाहजहां के समय में दिल्ली तक इसकी एक शाख बनाई गई परंतु मुगल घराने के पतन के समय में ये दोनों नहरें मिट्टी से भर गई। अट्ठारहवीं सदी के शुरू में जमुना के पूर्वीय किनारे पर भी एक नहर बनाई गई थी और कहते हैं कि यह सहारनपुर तक पानी ले गई थी परंतु यह भी जाती रही। इन्हीं नहरों को अंग्रेज़ों ने फिर से साफ करके खोला है और बहुत कुछ बढ़ा दिया है और अब ये पूर्वीय पश्चिमीय जमुना नहर के नाम से प्रसिद्ध हैं। पंजाब में हसली नहर को पहले बादशाहों ने रावी नदी से लाहौर और अमृतसर तक पानी ले जाने के लिये बनाया था। सिंध और पंजाब में सैलाबी नहरों द्वारा सिंचाई प्राचीन काल से होती आई है। मुलतान, मुज़फ्फ़रगढ़, डेरा ग़ाज़ीखां में इस प्रकार की अनेक नहरें पठान और सिक्ख सूबेदारों के ज़माने

में अच्छी हालत में आई। जिस समय से अंग्रेजों ने इन ज़िलों को लिया उस समय से तो इन में बड़ी उन्नति हो गई है।

लगान—जितनी ज़मीन में पानी लिया जाता है और जैसी फसिल बोई जाती है उसी के मुताबिक लगान लिया जाता है। जो कुछ रुपया इस लगान से आता है वही इस मद की आमदनी समझा जाता है। पहले ज़माने में ज़मीन का लगान जिस में लिया जाता था तब नहरों वगैरह के निकालने से राज्य की आमदनी भी बढ़ गई थी और इसी बढ़ती की आशा से पहले बादशाहों ने नहरों वगैरह के बनाने में इतना रुपया ख़र्च किया था।

जब अंग्रेजी राज्य में जिंस की जगह नकद रुपया लगान में लिया जाने लगा और औसत पैदावार के मुवाफिक लगान लगाया गया तो जिन ज़मीनों में नहरों वगैरह से पानी लिया जाता था उन पर स्वभावतः वैसी ज़मीनों से अधिक लगान लगायः गया। यही तरीका अब तक तमाम मद्रास प्रेसिडेंसी, सिंध तथा बंबई के कुछ भागों में और बरमा के उन ज़िलों में जिन में बंदोबस्त हो गया है जारी है। पंजाब, संयुक्त प्रदेश, तथा बंगाल में जहां ज़मीन का लगान सदैव के लिये निश्चित है पानी का लगान ज़मीन के लगान से बिलकुल अलग है। बंबई दक्खिन में भी बहुधा किसान को पानी का कर पृथक् देना होता है। पानी का कर चाहे ज़मीन के लगान के साथ

लिया जाय चाहे अलग लिया जाय, जिस किस्म की फसिल होती है, जितने पानी की उसके लिये जरूरत होती है, जैसे समय में पानी की ज़रूरत होती है, जैसी जमीन होती है,जैसी जरूरत होती है आदि बातों का ख़्याल करके यह लगाया जाता है। बंगाल, बंबई दक्खिन को छोड़ कर शेष प्रदेशों में पानी का लगान फसिल की मालियत पर १०-१२ प्रति शतक के हिसाब से लिया जाता है। बंगाल बंबई दक्खिन में मालियत पर ६ प्रति शतक से कुछ अधिक लिया जाता है।

सिंचाई और जहाज़रानी—इनका एक दूसरे से घनिष्ट संबंध है क्योंकि दोनों के लिये नहरों की बड़ी भारी ज़रूरत है। स्थूल दृष्टि से मालुम होता है कि एक ही नहर से दोनों काम चल सकते हैं परंतु सूक्ष्म दृष्टि से मालूम होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। रुपए के ख़्याल को बिलकुल अलग रख कर देखा गया है कि सिंचाई और जहाज़रानी की ज़रूरतें सदा एक सी नहीं हैं और यात्री लोग उस नहर में जाना पसंद नहीं करते हैं जो बड़े बड़े शहरों या व्यापार मंडियों में होकर नहीं गुजरती है या जिसका समुद्र के किनारे से या जलमार्गों से सीधा बिना रुकावट के संबंध नहीं है। इस कारण से सिंचाई की नहरें जहाज़रानी के लिये सदा मुवाफिक नहीं होतीं। इसके अतिरिक्त बहुत सी नहरें केवल जहाज़ों के चलाने के लिये ही बनाई गई हैं। उनसे एक एकड़ जमीन में भी सिंचाई नहीं होती।

जिन नहरों में जहाज चलते हैं चाहे वे जहाजों के लिये बनाई गई हों चाहे सिंचाई के लिये उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिस से आर्थिक लाभ हो और खर्च भी निकल सके। यदि बाहर जानेवाली चीज़ों का किराया कम कर दिया जाय तो देश को बड़ा लाभ पहुँचे और उसके कारण ऐसी नहरों की ज्यादह बढ़ती हो जाय। यह कमी केवल उन्हीं जिलों में होनी चाहिए जहां लोग जल मार्गों से यथेष्ट लाभ उठा सकें। पूर्वीय बंगाल के सिवाय जहां की आबादी बड़ी घनी है, शिल्पकला बड़ी उन्नत अवस्था पर है और नहरों की बड़ी अधिकता है, और किसी भी प्रदेश में नहरों के लाभों को लोग नहीं समझते। वहां और भी अधिक बढ़ती की गुंजायश है। उड़ीसा और मद्रास के डेल्टों में जहाज़-रानी के लाभों को लोगों ने बहुत पसंद किया है और किसानों को उनसे लाभ भी बहुत पहुँचा है परंतु कुरनौल, कुडापा और सोन नहरों में अथवा उत्तरीय हिंदुस्तान की स्थायी नहरों में जहाजों के चलाने से कोई लाभ नहीं है। सारांश यह है कि बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, तथा सिंध के डेल्टों की ज़मीन के बाहर जहाज चलाने के लायक नहरों से आने जाने में कोई अधिक लाभ नहीं हो सकता।

अब विचारणीय यह है कि हिंदुस्तान की नदियां जहाज़ चलाने के लिये कहां तक लाभदायक हैं। नर्मदा, ताप्ती जैसी कुछ बड़ी बड़ी नदियां तो अभाग्य से चट्टानी तहों तथा तेज़

बहाव के कारण जहाजों के लिये बिलकुल बेकार हैं। हां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र इन में तमाम साल अथवा साल के अधिकतर भाग में सैंकड़ों मील तक जहाज चलते हैं। महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा में भी उनके डेल्टों के सरों पर कुछ दूरी तक जहाज चलते हैं परंतु आना जाना बहुत ज्यादह नहीं होता। किनारे के चारों तरफ़ अनेक छोटे छोटे नदी नाले हैं जो आस पास रहनेवाले लोगों के काम में आते हैं। इस से बाहर केवल डेल्टों और बड़े बड़े दर्याओं की घाटियों में ही जहाज़ वगैरह चलते हैं। बरमा में अनेक प्राकृतिक जलमार्ग हैं जिनमें जहाज़ चलाने में बड़ी सहूलियत रहती है और जहाज चलते भी बहुत हैं। ऐसा प्रांत दूसरा कोई नहीं है।

७—रेलें और सड़कें।

सब से पहले सन् १८४५ ई० में कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स को हिंदुस्तान में रेल बनाने का ख़्याल पैदा हुआ। तदनुसार ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के साथ कलकत्ते से रानीगंज तक १२० मील की, जी. आई. पी. रेलवे कंपनी से बंबई से कल्याण तक ३३ मील की तथा मद्रास रेलवे कंपनी के साथ मद्रास से अरकोनाम तक ३६ मील की दूरी की सड़कें बनाने के ठेके किए गए। सन् १८५३ ई० में लार्ड डलहौज़ी ने तमाम हिंदुस्तान में रेल निकालने के लिये बड़े ज़ोर के साथ डाईरेक्टर्स को लिखा। डाईरेक्टर्स ने उनकी तजवीज़ को बहुत पसंद किया और १८५६ ई के अंत तक लगभग ५००० मील की सड़कें बनाने के लिये ५२,५००,००० पौंड की पूंजी से ८ कंपनियां क़ायम की गईं। उसी समय से हिंदुस्तान में रेल की नींव पड़ी।

बनावट—मालूम होता है कि शुरू में रेल बनाते समय अधिक ध्यान इस बात पर दिया गया कि सड़क सीधी निकले चाहे वे जगहें जहां को रेल निकले जरूरी हों या न हों। इस के कारण बहुत सी जगहें एक तरफ़ को ऐसी छूट गईं कि जो व्यापार की मंडियां थीं। यदि ज़रा भी घुमाव दे दिया जाता तो तमाम बड़े बड़े शहर साधी लैन पर हो आते

श्रौर रेल श्रौर व्यापार दोनों को बड़ा लाभ पहुँचता। ऐसा न होने से रेल की श्रामदनी को भारी धक्का पहुँचा। सड़कें इंगलैंड के ढंग पर बनाई गई थीं श्रौर उनमें न केवल जरूरत श्रौर हैसियत से ज्यादह रुपया खर्च हुश्रा किंतु बाद में जब मुसाफिरों के श्राने जाने में बढ़ती हो गई श्रौर स्टेशनों पर श्रदली बदली करने की जरूरत मालूम हुई तो बहुत ज्यादह फिजूल खर्च हुश्रा। तमाम इमारतें मजबूत श्रौर पायदार बनाई गई थीं श्रौर पटरियां भी दोहरे सिरे की भारी लोहे की डाली गई थीं। बाद में लोहे की जगह फौलाद की पटरियां काम में लाई गई श्रौर उनका वज़न भी करीब करीब उतना ही रहा। बहुत सी बड़ी लैनों पर लकड़ी के तख़्तों की जगह धात के तख़्ते पटरियों के बीच में डाल दिए गए हैं परंतु मंझली श्रौर छोटी लैनों पर लकड़ी के तख़्ते ही श्रभी तक काम में लाए जाते हैं। लकड़ी प्रायः देवदार की होती है। श्रास्ट्रेलिया की सख़्त लकड़ी का श्रब धीरे धीरे रिवाज़ हो चला है। पुलों तथा मोड़ों वगैरह पर बिलकुल साल के तख़्ते हैं।

रेलों का आर्थिक प्रभाव—मुसाफिरों का श्राना जाना—जब शुरू में हिंदुस्तान में रेल बनाने का विचार हुश्रा तो यह ख़्याल किया जाता था कि गरीबी के कारण इस देश में मुसाफिरों का श्राना जाना बहुत कम होगा, केवल माल से ही श्रामदनी होगी। उस समय इसका ध्यान किसी को नहीं था कि हिंदुस्तान में कितने तीर्थस्थान हैं श्रौर

कितने यात्री प्रति दिन स्नान तथा दर्शनादि के लिये सैंकड़ों मील का सफ़र तै कर के जाते हैं। रेल निकलने से पहले छोटी सी यात्रा में भी महीनों लग जाते थे और उमर भर की कमाई ख़र्च हो जाती थी, परंतु अब हरिद्वार, पुरी, काशी, प्रयाग आदि तीर्थों पर जाना एक साधारण सी बात है। ख़र्च पहले के मुकाबले दसवाँ भाग भी नहीं होता और महीनों का सफ़र दिनों में तै हो जाता है। ऐसा कोई वर्ष का मेला नहीं होता जिसमें सैंकड़ों आदमी सैंकड़ों मीलों से न आते जाते हों। कुंभ के मेले पर हरिद्वार में लाखों आदमी हज़ारों मील से आते हैं। मक्का भी रेल की वजह से अब नज़दीक हो गया है। अब सैंकड़ों मुसलमान हिंदुस्तान और मध्य एशिया से हज के लिये जाते हैं। पहले केवल अमीर आदमी ही यात्रा कर सकते थे। परंतु अब साधारण से साधारण मनुष्य भी आसानी से बड़ी बड़ी यात्राएँ कर आते हैं। पहले जो कोई गया जी जाता था, समझा जाता था कि बस अब यह गया, अर्थात् गया सो गया, अब जीवित वापिस न आवेगा, परंतु अब हिंदुस्तान के किसी भी भाग से चल कर आदमी ८, १० दिन में गया से अपने घर को वापिस आ सकता है। दूसरी बात जिस पर शुरू में ध्यान नहीं दिया गया यह है कि उस समय यह ख़्याल नहीं किया गया कि रास्ते के किराए की वजह से लोग घनी जगहों से उन कम आबाद जगहों में जा सकेंगे जहाँ ज़मीन को उपजाऊ बनाने

के लिये केवल श्रम की ज़रूरत है। आज कल हज़ारों आदमी हर साल पूर्वीय बंगाल और आसाम के जूट के खेतों और चाय के बागों में तथा बरमा और अन्य स्थानों में मजूरी के लिये जाते हैं। अब दूरी लोगों के कार्यों में बाधक नहीं रही है। जितनी जितनी रेलें बढ़ी हैं, उतनी उतनी ही लोगों के आने जाने में बढ़ती हुई है। यह बढ़ती हर एक दरजे के मुसाफिरों में और विशेष कर तीसरे दरजे के मुसाफिरों में हुई हैं। ऐसी पहले कभी आशा नहीं की जाती थी।

माल का आना जाना—हिंदुस्तान जैसे देश में जहां १०० पीछे ८० आदमी खेती करते हैं और जिसका क्षेत्रफल इतना अधिक है माल स्वभावतः आता जाता है। रेल निकलने से पहले यदि फसिल अच्छी भी हो जाती थी तो किसान को कुछ फायदा नहीं होता था क्योंकि कि उसकी बिक्री का क्षेत्र परिमित था, उससे बाहर नहीं जा सकता था और मांग से अधिक माल होने के कारण भाव गिर जाता था। अतएव अधिक फसिल होने से उसे कुछ लाभ नहीं होता था। कभी कभी वह बेचारा थोड़ा सा ही खेत काट लेता था और बाकी को वे कटा छोड़ देता था, क्योंकि कि वह जानता था कि यदि अनाज थोड़ा होगा तो भाव अच्छा रहेगा अन्यथा अनाज के ज़्यादह होने से भाव सस्ता हो जायगा और अनाज का ज़्यादह होना न होना बराबर हो जायगा। इसलिये वह समझता था कि क्यों फिजूल सारा खेत कटा

कर कटाई का खर्चा उठाया जाय। रेल ने इस तमाम हालतों को बदल दिया है। अब बहुत आसानी से एक जगह का माल दूसरी जगह जा सकता है। अनाज वगैरह के भाव भी आस पास के शहरों में करीब करीब एक से रहते हैं। अच्छी फसिल होने पर अब माल एक जगह पड़ा हुआ सड़ता नहीं है किंतु दुनियां की तमाम मंडियों में चला जाता है। मुसाफिरों की संख्या में भी इतनी बढ़ती नहीं हुई है जितनी माल में हुई है। अधिकतर अनाज, बीज, कोयला, रूई, सन, निमक, चीनी, लकड़ी की आमद रवानगी रहती है। हाल में कोयले में बहुत बढ़ती हुई है। कोयले की मुख्य मुख्य खानें बंगाल में हैं और उन्हीं से संपूर्ण उत्तरीय, पश्चिमीय तथा मध्य हिंदुस्तान में कोयला जाता है। कुछ समय तक भाव बढ़ जाने से बंगाल से कोयले की आमद बंद हो गई थी और इंगलैंड से कोयला आने लगा था परंतु भाव घट जाने से फिर बंगाल का कोयला काम में आने लगा है और इंगलैंड का कोयला बिलकुल बंद हो गया है। हिंदुस्तान में देशी पैदावारों की बढ़ती तथा लोगों के धन की वृद्धि से विदेशों के बने हुए माल की मांग बढ़ गई है और विदेशीय व्यापार की वृद्धि से रेल भी बढ़ गई है।

दुर्भिक्ष में रेल का प्रभाव—यों तो रेल के लाभ हर समय बहुत हैं परंतु दुर्भिक्ष के दिनों में खास कर रेल बड़ा काम करती है। जहां किसी हिस्से में किसी चीज़ की

कमी होती है तुरंत दूसरे हिस्सों से रेल भर कर उसे ले जाती है। सितंबर सन् १८९९ ई० से सितंबर सन् १९०० तक एक वर्ष में ७०००००० मन अनाज अकाल पीड़ित क्षेत्रों में बाहर से आया था। रेल से कितना दुर्भिक्षादि का दुःख दूर हो जाता है इसका उदाहरण सन् १८६५-६६ ई० के उड़ीसा के अकाल के इतिहास से भली भांति मिलता है कि जब अनाज से भरे हुए जहाज़ दक्षिणीय पश्चिमीय मानसून के कारण कलकत्ते से न चल सके और भूखों मरते हुए लोगों को खाना मिलना असंभव हो गया।

आचरण पर प्रभाव—रेल ने लोगों के चरित्र और स्वभावों पर क्या असर डाला इस बात का जानना आसान नहीं है। प्रायः लोग कहा करते हैं कि रेल से जाति पांति टूटती जा रही है परंतु इसकी सत्यता पर अनेक विचारशील पुरुषों को संदेह है। कट्टर लोगों में जाति पांति में कुछ भी कमजोरी नहीं हुई है। हां, इस में संदेह नहीं कि सफर के बढ़ने से और रेल की गाड़ियों में सब जातियों के आपस में मिल कर बैठने से जो अनिवार्य है, लोगों में कम से कम सहनशीलता अधिक होती जाती है।

सड़कें-पहली हालत—हिंदुस्तान में अंगरेज़ी राज्य के होने से पहले आज कल जैसी सड़कें नहीं थीं। अंगरेज़ी राज्य के होने पर भी बहुत दिनों तक वे नहीं बनीं। सन् १८३९ ई० में आकर यह तै हुआ कि कलकत्ते से दिल्ली तक पक्की सड़क

बनाई जाय जिस पर टमटम घोड़ा गाड़ियां वगैरह चल सकें और रास्ते में जगह जगह पर नदी नालों के पुल बनाए जाँय। इससे पहले कच्ची सड़कों तथा पगडंडियों पर चलने का लोगों को अभ्यास था। बरसात के ४ महीनों को छोड़ कर बाकी ८ महीने बैल गाड़ियां वगैरह चलती थीं। नदी नाले या तो सूखे रहते थे या उनमें थोड़ा सा पानी होता था और उनको पार करना कुछ मुशकिल नहीं था। सब काम बिना सड़कों के चल जाता था। १८ वीं सदी के अंत तक फौज़ी कामों के लिये भी सड़कों की कोई ज़रूरत मालूम नहीं हुई। असबाब ऊंट घोड़े वगैरह लादू जानवर ले जाया करते थे और मुसाफिर लोग या तो पैदल चले जाते थे या घोड़ों पर या पालकियों में।

मुग़ल सड़कें—लोगों की जान माल की रक्षा हेतु मुगल बादशाहों का सड़कों की तरफ सदव ध्यान रहा है। जिन रास्तों से लोग अधिक आया जाया करते थे उन पर पहरे लगे रहते थे। इनमें मिर्ज़ापुर से दक्षिण तक, आगरे से अजमेर तक तथा इलाहाबाद से जबलपुर तक ये रास्ते अधिक प्रसिद्ध थे। दिल्ली से दो तीन प्रसिद्ध व्यापार मार्ग थे।

अंगरेज़ी राज्य के प्रारंभ में सड़कों ने कोई उन्नति नहीं की। जो कुछ थोड़ी बहुत उन्नति बाद में हुई भी वह डाक के सुभीते के लिये हुई। कलकत्ते से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक,

रोड (Grand Trunk Road) के बनने के समय तक भी घोड़े गाड़ी वगैरह के लिये सड़क बनाने का ख्याल पैदा नहीं हुआ। उस समय मुख्य मुख्य सड़कें फौजी कमेटियों के अधिकार में थीं। हर एक प्रेसिडेंसी में एक फ़ौजी कमेटी थी परंतु उसके अधिकार बहुत कम थे। सन् १८५४-५५ ई० में ये कमेटियां तोड़ दी गईं और समस्त प्रांतों में इमारत विभाग (Public Works Departments) कायम किए गए। इसके सुधार के बाद सड़कों के बनाने तथा उन की रक्षा करने की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया गया। उसी समय रेलों का भी नई सड़कों पर बड़ा असर पड़ा। ज्यों ज्यों रेलें बढ़ती गईं त्यों त्यों उनकी आमदनी के लिये नई नई सड़कों का बनाया जाना जरूरी समझा जाने लगा। रेलों के सिवाय जिला बोर्डों तथा म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा स्थानीय स्वराज्य के मिलने से भी सड़कों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। ब्रिटिश हिंदुस्तान के प्रायः सभी सूबों में ज़िला बोर्ड हैं और उनका मुख्य कर्तव्य यह है कि अबवाब तथा अन्य स्थानीय आमदनी को सड़कों वगैरह के बनाने और उनकी मरम्मत वगैरह के कराने में व्यय करें। रेल और सड़क वगैरह के बन जाने से अब सारा माल गाड़ियों द्वारा जाने लगा है और ऊंट गधे वगैरह लादू जानवर उन्हीं जगहों में देखने में आते हैं जहां रेल नहीं है।

८—डाक और तार

सन् १८३७ ई. से पहले हिंदुस्तान में डाक का कोई आम प्रबंध नहीं था। सरकार ने अपनी डाक के लिये बड़े बड़े शहरों में कुछ साधारण प्रबंध कर रक्खा था परंतु जन साधारण इससे प्रायः लाभ नहीं उठा पाते थे। उन्हें अपने पत्रों के लिये बहुत देना पड़ता था। सन् १८३७ ई० में जन साधारण के लिये डाक का काम जारी किया गया और सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमा के अंदर ख़त पहुँचाने का काम अपने हाथ में लिया। ख़तों का महसूल वज़न और दूरी के अनुसार नक़द पेशगी ले लिया जाता था। उस समय कलकत्ता से बंबई पत्र भेजने का महसूल १) रु० तोला था और आगरे का ॥।) तोला था। वेल्युपेबल अर्थात् चीज़ के मिलने पर महसूल या मूल्य लेने की रीति सन् १८७७ ई० में और बीमे की रीति सन् १८७८ ई. में जारी हुई। सन् १८६८ ई० में सरकार ने सर्वत्र ब्रिटिश राज्य में आधे औंस पीछे एक आने के हिसाब से ख़तों पर महसूल नियत किया। सन् १८८० ई० में मनीआर्डर का काम शुरू हुआ और मनीआर्डर द्वारा किसान लोग जमींदारों को और जमींदार, मालगुजारी अथवा तथा इनकम टेक्स का रुपया सरकार को भेजने लगे। इससे बड़ा भारी लाभ यह हुआ कि जितना

लोगों पर चाहिए था उतना ही उनको देना पड़ा, अधिक उनसे कोई नहीं ले सका। यदि मनीआर्डर भेजने की रीति न होती तो संभव था कि वसूल करनेवाला लोगों को दिक़ करके कुछ अधिक ले लेता। देशी रियासतों में भी डाक का काम वृटिश सरकार के हाथ में है। पहले काश्मीर, बड़ौदा, मैसूर आदि रियासतों में रियासत का ही प्रबंध था परंतु अब रियासती प्रबंध सब जगहों से उठ गया है।

हल्कारे—गावों और छोटे छोटे क़स्बों में हल्कारों द्वारा डाक जाती है। हल्कारों को सरकार की तरफ़ से चपड़ास बल्ले और भाले मिले रहते हैं। भालों के ऊपर सिरे पर छोटी छोटी घंटियाँ बँधी रहती हैं जिसमें उनकी आवाज़ से जंगली जानवर डर कर भाग जावें तथा उनकी मदद से वे लोग नियत क़दम से चल सकें। घंटियों से एक फ़ायदा और है और वह यह है कि उनकी आवाज़ से लोगों को डाक का आना मालूम हो जाता है। बहुत जगहों में हल्कारों को चोर, डाकू, रौ, तूफ़ान तथा जंगली जानवरों के कारण अनेक अनेक दुःखों का सामना करना पड़ता है। बेचारे कई हल्कारे समय समय पर इनके कारण अपने प्राण खो बैठे हैं। यद्यपि डाक की थैला में कभी कभी नक़द रुपया तथा अन्य बहुमूल्य चीज़ें होती हैं परंतु ऐसा शायद ही कभी होता है कि हल्कारा बेईमानी करता है। इसके विपरीत ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिन में हल्कारों ने अपनी जान को

आपत्ति में डाल कर तथा जीवन की आहुति देकर भी डाक की रक्षा की है।

विदेशी डाक—पहले योरप से हिंदुस्तान में डाक उन तैरनेवाले जहाजों द्वारा आती थी जो अनिश्चित समय पर इंगलैंड से अंतरीप गुड़होप के मार्ग से हिंदुस्तान में आते थे। सन् १८१५ ई० में एक विलायती ख़त का महसूल २॥=) था जो ख़त पाने पर हिंदुस्तान में देना पड़ता था। इस में ॥।=) तो जहाज़ को दिए जाते थे तथा =) जहाज़ कमांडर को दिए जाते थे परंतु कंपनी या बादशाह की नौकरी में जितने सिपाही और नाविक थे उनके साथ यह रियायत थी कि उनको ख़त भेजने तथा पाने का महसूल केवल -) देना पड़ता था। सन् १८२५ ई० में सब से पहले स्टीम द्वारा सफ़र तै किया गया और सन् १८३५ में स्वेज़ डमरूमध्य पर से रेड सी (Red Sea) के मार्ग से हिंदुस्तानी को डाक ले जाई गई। सन् १८८८ ई० में मिस्र के पार डाक ले जाने के लिये नहर स्वेज़ में से मार्ग निकाला गया। अब तमाम बड़ी बड़ी जगहों और ख़ास ख़ास रेल की लैनों के लिये बंबई में डाक पहले से छटी छटाई आती है।

सेविंग बंक—डाकखाने में सेविंग बंक का प्रादुर्भाव सन् १८८२ ई० में हुआ। डाकखानों में सरकरी नौकरों के लिये जीवन का बीमा भी होता है। सन् १८८२ ई० से कुनीन बेचने की एजेंसी भी डाकख़ाने ने ले रक्खी है। डाकख़ानों

के साथ तार सब से पहले सन् १८८३ ई० में खोले गए।

तार—सब से पहले सन् १८५१ ई० में कलकत्ता डाक्टरी कालेज के रसायन विद्या के प्रोफ़ेसर डाक्टर, डबल्यू. बी. ओ-शाघनेसी (W. B. O 'Shaughnessy) एसिस्टेंट सरजन ने तजरबे के तौर से हुगली पर कलकत्ते से डायमंड हार्बर तक तार लगाया तथा विष्णोपुर से मायापुर तक और कुकराहाटी से केदगिरी तक उसकी एक शाख निकाली। कुल दूरी ८२ मील की थी। उसी साल काम चलाने के लिये कलकत्ता, मायापुर, विष्णोपुर तथा डायमंड हार्बर में दफ़्तर खोले गए तथा कुकुराहाटी व केदगिरी में भी फरवरी सन् १८५२ ई० में दफ़्तर खोल दिए गए। उस समय डाक्टर ओ-शाघनेसी के ही बनाए हुए यंत्र से तार दिया जाता था। यह हिंदुस्तान में हीं बनता था। सन् १८५६ ई० तक इसी से काम लिया गया। सन् १८५७ ई० के शुरू में इस के स्थान में मोर्स का बनाया हुआ यंत्र प्रचलित हुआ।

उक्त तार केवल परीक्षा के तौर पर लगाया गया था। जब देखा गया कि इस में पूर्ण सफलता हुई तो लार्ड डलहौज़ी ने कलकत्ते से आगरे, आगरे से बम्बई और पेशावर तथा बंबई से मद्रास तक ३०५० मील तक की दूरी में तार लगाने की स्वीकारता कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स से प्राप्त की। सन् १८५५ ई० में उपर्युक्त तमाम जगहों में तार लगा दिया गया और इस के ४१ दफ़्तर स्थापित किए गए। सन् १८५७ ई० तक उटक-

मंड और कालीकट में तार लगाए गए। अब ४५५५ मील में तार हो गया और ६२ दफ़्तर खुल गए। यद्यपि गदर में उत्तरीय प्रांत तथा कहीं कहीं पर मध्य हिंदुस्तान में तारों को बहुत कुछ हानि पहुँची और ८६० मील तक के तार तोड़ दिए गए तथापि तार ने गदर के दबाने में बहुत मदद दी। अगले साल ही न केवल टूटे हुए तारों को दुबारा लगा दिया गया किंतु २००० मील के क़रीब और नया तार लगाया गया। इस से विदित होता है कि राजनैतिक दृष्टि से तार का महत्त्व उस समय मालूम हो चुका था। उस समय से तार विभाग की दिन दिन उन्नति है। अब उत्तर में मस्तूजि से दक्षिण में कोलाचल तक और पश्चिम में रोबट किले से पूर्व में बर्मा तक सर्वत्र तार की लैनें ही दिखलाई देती हैं।

६—दुर्भिक्ष ।

दुर्भिक्ष के कारण—समस्त कृषि-प्रधान देशों में दुष्काल का रोग पाया जाता है। हिंदुस्तान सदा से कृषि-प्रधान देश रहा है और इस की कुछ हालत भी ऐसी है कि यह सदा दुष्काल के मुँह में रहता है। यहां की ज़मीन छोटे छोटे खेतों में बँटी हुई है। किसानों के पास रुपया नहीं है। उनको साहूकार के रुपए पर निर्भर रहना पड़ता है। जहां फसिल ख़राब हुई रुपया भी डूब गया। लाखों आदमी खेती तेा नहीं करते किंतु खेतों में मजूरी कर के अपना पेट भरते हैं। फसिल के ख़राब होने से ये बेचारे सब बेकार हो जाते हैं। फसिल पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान निर्भर है और फसिल समय समय की वर्षा पर निर्भर है। परंतु एक दफ़े वर्षा न होने से दुष्काल नहीं होता। एक फसिल की पैदावार पर भी लोग निर्भर नहीं हैं। रेलों के कारण कमी की हालत में एक जगह का माल दूसरी जगह चला जाता है। किसानों को भी कहीं न कहीं से उधार सुधार मिल जाता है। एक फसिल के खराब होने पर भी दूसरी फसिल के अच्छे होने की संभावना की जा सकती है। जब तक मजूरी का काम मिलता रहता है मजूरों को कोई कठिनाई नहीं होती परंतु फसिल की कमी बेशी का मजूरी पर बड़ा असर पड़ता है। फसिल

ख़राब होने से अनाज का चाहे दुष्काल न हो परंतु मजूरी के अभाव से ग़रीब लोगों को मुश्किल पड़ जाती है। यदि पहली फसिल का कमाया हुआ रुपया या अनाज जमा न हो और मौजूदा फसिल बिलकुल ख़राब हो जाय तो दुष्काल पड़ जाता है और ग़रीब लोगों को भूखों मरना पड़ता है।

दुर्भिक्ष को समस्या—पूर्व समय में लड़ाई, लूट मार और अशांति दुर्भिक्ष के कारण थी परंतु आज कल इन का अभाव हो गया है। चारों ओर शांति का ही साम्राज्य है। शांति के कारण मनुष्यों की संख्या दिन दिन बढ़ती जाती है। बालविवाह और वृद्धविवाह भी संख्या को बढ़ा रहे हैं, ख़ास कर ग़रीब जातियों में बड़ी बढ़ती हो रही है। दूसरे टापुओं की भरती तथा शिल्प आदि की उन्नति से भी अभी तक कुछ लाभ नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में ही बहुतसी ज़मीनें ऐसी पड़ी हुई हैं जहाँ आबादी की बड़ी ज़रूरत है परंतु यहां के घने हिस्सों में रहनेवाले लोग कुछ तो आदत और कुछ जात पांत और भाषा के कारण बाहर नहीं जाते। शिल्प कला में यद्यपि प्रति दिन उन्नति हो रही है और काम भी बढ़ता जाता है तो भी दूर रहने-वाले लोगों का अभी तक ध्यान इस ओर नहीं गया है। अभी तक लोग अपने बाप दादों का पेशा करने को ही अच्छा समझते हैं। लोग जहाँ के तहाँ ही रहते हैं। यही कारण है कि काम थोड़ा होता है और काम करनेवाले ज्यादह होते हैं और इसी का परिणाम है कि मजूरी का भाव कम रहता है। यदि

घने प्रदेशों के लोग अन्य प्रदेशों में जाँय जहाँ ज़रूरत हो तो दोनों जगह मजूरी का भाव अच्छा रहे परंतु हिंदुस्तानी इस बात को नहीं समझते। यही दुर्भिक्ष का कारण है। यह बात मनुष्य की शक्ति से बाहर है कि वह ख़ुश्की (बारिश न होने) को रोक दे अथवा ख़ुश्की के कारण दुर्भिक्ष न होने दे। यह उस से कदापि नहीं हो सकता, हाँ, इतना कार्य वह अवश्य कर सकता है कि वर्षा के न होने और दुष्काल पड़ने से जो दुःख होते हैं उनको दूर कर दे अथवा कम कर दे। आज कल दुष्काल से बचने के लिये सरकार दोनों उपायों को काम में लाती है। एक यह कि आपत्ति के समय आपत्ति को दूर करने की कोशिश करती है और दूसरे यह कि आदमियों को सूखी के कष्टों से अनेक प्रकार से सुरक्षित रखती है। यद्यपि इस काम में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं परंतु बहुत सी जाती रही हैं और शेष धीरे धीरे जाती रहेंगी। काम की कठिनाई को दृष्टि के सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ सफलता हुई है।

दुर्भिक्ष से बचाने की तय्यारी—सुकाल के दिनों में भी अकाल निवारण के लिये बड़ी बड़ी तैयारियां की जाती हैं। प्रति दिन वायु संबंधी अवस्थाओं की, प्रति सप्ताह फसिलों और भावों की और प्रति मास मौत और पैदाइश की सूचना सरकार को दी जाती है। हर एक ज़िले में हर साल अकाल निवारण के लिये काम

खोलने की तजवीज की जाती है और कार्यक्रम बनाया जाता है और अलग अलग हिस्सों के नक़शे बना लिए जाते हैं। ज़रूरत के लिये औजार और सामान पहले से इकट्ठा तैयार रखते हैं और उन लोगों की नामावली भी हर साल बनी हुई तैयार रहती है जिनको ज़रूरत पड़ते ही अकाल निवारण के कामों पर भेज दिया जाय। हर एक काम पहले से तैयार रहता है। आज्ञा मात्र की ज़रूरत रहती है। सदर दफ़र से तार के आते ही सब सामान तैय्यार हो जाता है और काम शुरू कर दिया जाता है।

दुर्भिक्ष के चिह्न—जब वर्षा नहीं होती है तो सर्कार उसी समय से खोज बीन शुरू कर देती है। फसिल के न होने से कितनी हानि होगी इसका अंदाजा लगाती है और आनेवाली आपत्ति के भयानक चिह्नों की ओर पूरी पूरी दृष्टि रखती है। चीजों का भाव बढ़ने लगता है, लोग घबराने लगते हैं और इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगते हैं। फक़ीरों को गाँवों में भीक नहीं मिलती और वे शहरों में जाने लगते हैं। लोगों की नियत में फरक आ जाता है, अपराध बढ़ जाते हैं, रुपया वसूल नहीं होता और न उधार मिलता है। व्यापारी लोग अनाज की ज़्यादह खरीद करने लगते हैं। ऐसी हालत में स्थानीय कर्मचारी सहायता पहुँचाने की फ़िक़र में लगे रहते हैं। स्थानीय रईसों का चित्त इस ओर आकर्षित किया जाता है और उन्हें ऐसे कामों के खोलने की उत्तेजना दी जाती है

जिन से शहर की भी उन्नति हो और ग़रीबों को भी मजूरी मिले। लोगों की दान की ओर प्रवृत्ति कराने के लिये स्थानीय कमेटियाँ बनाई जाती हैं। कर्मचारी लोग गाँव का निरीक्षण करते हैं और जो लोग दान और सहायता के पात्र हैं उनकी सूची बनाते हैं। इस से जन साधारण को बड़ी आशा और श्रद्धा हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुएँ बनाने तथा खेती करने के लिये सर्कार बहुत सा रुपया भी किसानों को पेशगी दे देती है और फसिल न होने के कारणों की विशद रूप से जाँच करती है और माल गुजारी को भी बंद कर देती है। यदि शहरों में मांगनेवालों की संख्या अधिक हो जाती है तो ग़रीबख़ाने खोल दिए जाते हैं, इस से लोगों का उत्साह और ज़्यादह बढ़ जाता है। जब सराकर देखती है कि लोगों को वास्तव में दुःख है तो बड़े बड़े काम खोले जाते हैं और ग़रीब लोगों को कुछ माहवार ख़र्च के लिये मिलने लगता है। जिस वर्ष अकाल पड़ता है उसमें दिसंबर महीने तक सहायता पानेवालों की संख्या बहुत ज्यादह रहती है। यद्यपि गन्ने की फसिल से कुछ कुछ घटने लगती है तो भी मार्च तक संख्या ज्यादह ही रहती है। होली पर बाहर की फसिल से तथा महुया वग़ैरह के पकने की वज़ह से कुछ लोग कम हो जाते हैं परंतु अप्रैल के अंत तक इन में से बहुत से वापिस आ जाते हैं। मई में दुःख की कोई सीमा नहीं रहती और सब तरफ़ प्रायः हैजा फैल जाता है जिसमें

हज़ारों आदमी अकाल मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। कुछ दिनों में जब शांति मालूम होने लगती है तो सहायता के बड़े बड़े काम बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को उनके गाँवों के पास ही छोटे छोटे कामों पर लगा दिया जाता है और हल बैल और बीज ख़रीदने के लिये उनको रुपया भी दिया जाता है। वर्षा के होते ही लोगों के झुंड के झुंड खेतों में चले जाते हैं। अगर कुछ लोग कामों पर ठहरते भी हैं तो सरकार उन्हें मजूरी के बढ़ते ही अपने गाँवों में आने के लिये उत्तेजित करती है। सहायता के कुछ काम जरूरत के समय खुले भी रहते हैं। जो आदमी काम नहीं कर सकता और जिसे मदद की ज़रूरत होती है उसे कुछ सरकार की तरफ से मिलता रहता है। जब फसिल पक जाती है तो मदद धीरे धीरे बंद कर दी जाती है। सितंबर और अक्तूबर के महीनों में ज्वर से रोकने के लिये ज़मीन बड़ी मिक़दार में बोई जाती है। सरकार की मदद के सिवाय लोगों की ओर से भी अनेक सहायक और अकाल व कष्ट निवारण फंड खुले हुए हैं। यह रुपया मुख्यतया चार बातों में ख़र्च होता है—१ बच्चों, बूढ़ों, अपाहजों, रोगियों तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों का पोषण करना जिन्हें सहायता की ज़रूरत है, २ अनाथों की सहायता करना, ३ शरीफ़ ग़रीब लोगों की उन्हीं के तरीकों से मदद करना, ४ जिनके पास कुछ भी न हो, उनको रुपया देकर काम में लगाना। हजारों घर जो बरबाद हो चुके

थे इस प्रकार के दान से फिर आबाद हो गए हैं। सन् १९०० ई० में जयपुर के महाराजा ने १६ लाख रुपया अकाल के समय ग़रीब लोगों को मदद के लिये प्रदान किया था। अब इस फंड में ३० लाख से अधिक हो गया है। यह रुपया हिंदुस्तान के समस्त प्रदेशों से चुने हुए कुछ ट्रस्टियों के हाथ में है। इसकी आय अकाल के समय ग़रीबों की सहायता में ख़र्च की जायगी। भारत-सचिव ने सन् १८९८ ई० में कहा था कि केवल दुष्काल के समय मदद पर ही यह प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता। इस बात का मालूम करना और भी ज़रूरी है कि कहाँ तक सरकार अपने उद्योग से दुष्कालों के दुःखों को कम कर सकती है अथवा लोगों को उनके सहन करने के लिये अच्छी हालत में ला सकती है। सन् १८८० ई० के अकाल कमीशन ने यह नतीजा निकाला था कि लोगों की आर्थिक उन्नति के अभिप्राय से देश की स्थिति और लोगों की अवस्थाओं का अधिक ज्ञान होने से इस विषय में बहुत कुछ हो सकता है। अब हर एक प्रकार की खोज होनी शुरू हो गई है और उनकी रिपोर्टें भी प्रकाशित होने लगी हैं। आशा है कि उन से शीघ्र ही बहुत कुछ उन्नति होगी।

दुर्भिक्ष से बचाव—सूखी और अकाल के बचाव के रेलें और नहरें सब से उत्तम साधन हैं। इन्होंने देश की आर्थिक दशा को भी बहुत कुछ सुधारा है। नहरों के उपयोग के विषय में तो किसी को भी कोई विवाद नहीं है, हाँ रेलों के विषय में

कुछ मतभेद अवश्य है। तमाम हिंदुस्तान में समान भाव होने के कारण एक प्रदेश में फसिल न होने से जो दुःख होता है उसका रेलों की वज़ह से दूसरे प्रदेश के लोगों को भी अनुभव करना पड़ता है जहाँ फसिल अच्छी होती है। इसके सिवाय अनाज एक जगह जमा नहीं हो पाता जैसा पहले होता था और जो अकाल के समय में काम आता था। इसके उत्तर में यह वक्तव्य है कि यदि रेल के कारण संयुक्त प्रांत के कष्ट का असर पंजाब के लोगों पर पड़ा तो साथ में रेल से बड़ा भारी लाभ यह पहुँचा कि दुःख की तीव्रता बहुत कम हो गई और यदि अनाज का भरा जाना बंद हो गया तो उन लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है भूकों मरने से भी रेल ने बचाया। सब देशों में एक सी फसिल नहीं होती है। अगर एक प्रांत का अनाज वहीं रहे और बाहर न जाय तो दूसरा प्रांत भूकों मर जाय। रेल के कारण सब प्रांतें सुख चैन से रहती हैं। पहले समय में यदि एक प्रांत में फसिल अच्छी नहीं होती थी तो उसमें अकाल पड़ जाता था परंतु आज कल ऐसा नहीं होता। रेल के कारण बंगाल का माल बंबई में, बंबई का संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत का पंजाब में, तथा पंजाब का बंगाल में चला जाता है। जब तक देश के किसी भी कोने में अनाज का दाना रहता है रेल की कृपा से हज़ारों मील की दूरी पर भी वह लोगों को मिलता रहता है। पहले केवल एक हिस्से को ही लाभ पहुँचता था और वह भी उसी

वक्त तक जब तक सुकाल रहे और अब संपूर्ण देश को लाभ पहुँचता है चाहे किसी प्रांत में फसिल अच्छी हो या न हो। यह सब रेल की ही कृपा है।

१०—भूमि-कर, माल का मूल्य और मज़दूरी।

भारत में भूमि-कर का ढंग—बंगाल प्रांत में गवरमेंट की मालगुजारी सन् १७९३ ई० में सदा के लिये निश्चित कर दी गई थी। उस समय आसामी लोग जितना लगान देते थे, उसका १०० में ९० वां हिस्सा गवरमेंट की मालगुजारी था, पर खेती के बढ़ने और अनाज वग़ैरह के दाम चढ़ जाने से अब गवरमेंट को लगान का केवल चाथाई ही मिलता है। रुपए में बारह आने लगान ज़मीदार या और लोग जो गवरमेंट और किसानों के बीच में होते हैं, ले लेते हैं।

विहार और संयुक्त प्रांतों के कुछ भागों में भी बंगाल की भाँति मालगुजारी सदा के लिये निश्चित है, परंतु भारत के अन्य प्रांतों में ऐसा नहीं है, तो भी "ज़मींदारी किस प्रकार होनी चाहिए और राजनीति में उसका मूल्य क्या है" इन विषयों पर पाश्चात्य विचारों का धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है। और गवरमेंट ने ९० सैंकड़े से घटाकर अपनी मालगुजारी अधिक से अधिक ५० सैकड़ा (अर्थात् आधी) नियत की है। बाकी सब ज़मींदारों के पास रहता है।

अन्य देशों के और भारत के भूमि-कर में यह अंतर है कि अधिकांश देशों में ज़मीदार लोग प्रजा के लगान का कुछ अंश गवरमेंट को कर रूप में देते हैं, भारतवर्ष में गवरमेंट

भूमि द्वारा लाभ के कुछ अंश को ज़मीदारों के पास छोड़ देती है।

उपज को ही लगान में देना--उपज को ही लगान में देने की प्रथा अब भी भारत के समस्त भागों में प्रचलित है। साधारण रूप से कहा जा सकता है कि यह रिवाज़ देश के उन भागों में है जिनकी अभी उन्नति नहीं हुई, या जहां फसिलों का कुछ ठीक नहीं है (कभी कम और कभी ज़्यादह होती हैं), या जहां के किसान लोग गिरी हुई दशा में हैं। पर ये नियम सब स्थानों पर ठीक ठीक प्रयुक्त नहीं होते, इनके अपवाद भी मौजूद हैं और लगान चाहे उपज के रूप में हो चाहे धन के रूप में, इसका निश्चय प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार ही होता है। उपज को लगान में देने के ढंग में लाभ भी है और हानि भी। हानि यह है कि इसमें यह पता नहीं चलता कि कितना लगान वसूल होगा, बहुत कुछ धोखेबाज़ी चल सकती है और प्रजा पर अत्याचार किया जा सकता है। लाभ यह है कि जितनी उपज होती है उतना ही लगान देना पड़ता है और इस प्रकार दुष्काल के समय निश्चित धन देने में जो कष्ट होता है वह बच जाता है।

रीति रिवाज़ का लगान पर प्रभाव—रिवाज़, मुकाबिला और क़ानून ये तीनों शक्तियां मिल कर लगान की मात्रा स्थिर करती हैं। बृटिश राज्य के प्रारंभिक काल में रिवाज़ ही का डंका बजता था और अब भी मुकाबले का

असर बहुत ही कम है। उदाहरण के लिये पृथ्वी के ऐसे भागों में भी कि जिनपर किसानों के कुछ स्वत्व नहीं हैं उपज के मूल्य के बढ़ जाने से लगान की वृद्धि नहीं होती। लगान मूल्य के बढ़ने के प्रायः बहुत दिनों बाद बढ़ता है और फिर भी उतना नहीं बढ़ता जितना मूल्य बढ़ता है। भारत में भूमि-कर संबंधी क़ानून की यह विशेषता है कि उसका आधार रिवाज़ है और यद्यपि मुकाबले को स्थान मिला है, तथापि उसका प्रभाव उचित सीमा के भीतर ही रक्खा जाता है। क़ानून का यह उद्देश्य नहीं है कि ज़मीदारों के स्वाभाविक स्वत्वों को कम कर दिया जाय, किंतु यह है कि प्रजा के जो स्वत्व सदा से रहे हैं वे कम न हों। इस लिये भारतीय लगान का आधार अब भी प्रायः रिवाज़ ही है और खुले मुकाबले को बहुत कम स्थान मिला है।

अनाज का मूल्य कैसे निश्चित होता है— अनाज का मूल्य फसिल की मात्रा पर बहुत कुछ निर्भर रहा है और भविष्य में रहेगा। भारतवर्ष को अपने खाद्य पदार्थों के लिये देश के भीतर ही की उपज का आश्रय लेना पड़ता है। इस कारण जब फसिल खराब होती है या जब उसके खराब होने की आशंका होती है तो खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और यह आर्थिक नियम है कि आमदनी में जितनी कमी होती है, उससे कहीं अधिक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जन वृद्धि से भी खानेवालों की संख्या बढ़ जाती है और चूंकि

भूमि अधिक बोई जाने से कुछ कम उपजाऊ हो जाती है इ
कारण यदि जितनी जन संख्या बढ़े उतनी ही भूमि
अधिक जोती बोई जाय, तो भी बराबर उपज का मू
बढ़ता ही रहेगा। उदाहरण के लिये कल्पना कीजिए कि ५
बीघे ज़मीन २०० मनुष्यों के खाने भर का अनाज पैदा करत
है। अब यदि जन संख्या की वृद्धि से खानेवाले ड्योढ़े अर्था
३०० हो जाँय और भूमि भी ड्योढ़ी अर्थात् ७५ बीघे जोत
बोई जाय तो भी अनाज़ का दाम बढ़ जायगा, क्योंकि बराबर
बोए जाने से भूमि की उपजाऊ शक्ति घट जाती है और प्र
बीघे के ४ मनुष्यों का पेट न भर सकने के कारण उपज
खपत ज़्यादा होगी और उसके दाम बढ़ जांयगे।

गेहूँ और चावल का भाव देश के बाहर जाने के कार
भी बढ़ गया है और इन दोनों अनाजों के दाम बढ़ने से और
साधारण अनाजों के दाम भी बढ़ गए हैं। जब सन् १८९६-
९७ के अकाल के बाद संयुक्त प्रांत में अनाज का भाव बहुत
घट गया था तो वहां के अधिकारियों ने इसका यह कार
बतलाया था कि बहुत कम गेहूं देश के बाहर गई। खाद
पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की अब
अधिक सुविधा होने के कारण उनके भाव की स्थिरता बढ़
गई है पर अनाज के बाहर जाने से मूल्य की वृद्धि होन
आवश्यक ही है।"

मूल्यवृद्धि का तीसरा कारण सिक्कों का बाहुल्य भी है।

कम से कम दो वार सिक्कों की बढ़ती के साथ साथ मूल्य की वृद्धि हुई है। लगभग १८६० और १८८६ से देश में बहुत सी चांदी आई और सिक्के बने। इसी समय में अनाज आदि खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़े हैं।

उपज को ही मज़दूरी में देना—खेतों में काम करनेवालों को अब भी बहुधा उपज ही दी जाती है। कभी कभी मज़दूर पुराना नौकर होता है और ऐसी दशा में उसे बँधी हुई मज़दूरी मिलती है और कुछ आमदनी ऊपर से भी हो जाती है। पुरानी नौकरी की चाल अब भी बाकी है। साधारणतया खेत में काम करनेवालों को भोजन अथवा निश्चित भोजन सामग्री मिलती है और उसके बदले में उन्हें काम करना पड़ता है। उनकी ऊपर की आमदनी में कभी कभी पहिनने को वस्त्र, विवाह के लिये कुछ दान या उधार, रहने को मकान और कभी कभी कुछ नगद मज़दूरी भी मिल जाती है। कभी कभी मौसिम (ऋतु) या फसिल पर काम के लिये भी मज़दूर रख लिए जाते हैं और कभी कभी रोज़ाना मज़दूरी पर, परंतु अधिकांश ग्रामों में मज़दूरी में अनाज ही दिया जाता है या कुछ नकद मज़दूरी के साथ एक दो वार का भोजन मिल जाता है। कभी कभी विशेष कार्यों के लिये फसिल का कुछ अंश भी मज़दूरी में दे दिया जाता है। बराबर साल भर मज़दूरी मिलती रहे इसका भी कुछ निश्चय नहीं है। कुछ जिलों में तो ३,४ मास तक प्रति वर्ष खाली रहना पड़ता

है और इसलिये मज़दूरी का औसत लगाने में केवल ८ या ६ महीने की आमदनी ही जोड़नी चाहिए। बहुत से प्रदेशों में ऐसे मज़दूरों की संख्या अधिक है जिनकी कुछ निज की ज़मीन है। वे लोग अपने छोटे मोटे खेत की आमदनी में मज़दूरी करके वृद्धि करते हैं। गाँव के कारीगरों और घर के नौकरों को भी साधारणतया अनाज में ही मजदूरी मिलती है, कारीगरों की बहुधा कुछ अपनी भूमि होती है। ज्यों ज्यों अनाज का भाव बढ़ता जाता है, नौकर रखनेवालों की यह इच्छा होती जाती है कि अनाज के स्थान पर नकद मज़दूरी दी जाय पर साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि केवल बड़े बड़े शहरों में तथा उन गाँवों में जहां शिल्प और उद्योग का प्रचार है, नकद मज़दूरी की पृथा प्रचलित है।

मज़दूरी में घटती और बढ़ती—संपूर्ण भारतवर्ष अथवा किसी एक प्रांत के लिये मज़दूरी का औसत लगाना व्यर्थ है क्यों कि स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न मज़दूरी है। जैसे बंगाल के पूर्वी भाग में मजदूरी मँहगी है क्यों यहां प्रजा सुखी है। मध्य के जिलों में सिवाय उन स्थानों के जहां फसली बुखार ने जनसंख्या की वृद्धि रोक दी है, पूर्व की अपेक्षा मज़दूरी सस्ती है तथा बिहार की घनी बस्ती में बहुत ही सस्ती है। यह कुछ बंगाल की विशेषता नहीं है। भारतवर्ष के समस्त भागों में, जहां बस्ती घनी है और जीविकोपार्जन का साधन केवल खेती होने से सब लोग भूमि की

उपज पर ही निर्भर हैं, मज़दूरी कम है, परंतु जहां कहीं रेल और नहरों के बनने या अन्य किसी बड़े काम के प्रचार से मज़दूरों की माँग है, वहां मजदूरी महँगी है। बड़े बड़े नगरों में, मिलों और कोठियों के स्थापन तथा खान खोदने आदि उद्योगों के प्रचार से मज़दूरी बढ़ गई है और इससे यह सिद्ध होता है कि अन्य वस्तुओं की भांति श्रम का मूल्य भी श्रम की माँग और प्राप्ति की मात्रा के घटने और बढ़ने से घटता बढ़ता है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि अनाज आदि के दाम बढ़ने से मज़दूरी सदा महँगी नहीं होती।

वास्तव में भारतवर्ष में मज़दूरी और पदार्थों के मूल्यमें एक विशेष संबंध है। जब अकाल पड़ता है और भोजन के पदार्थ बहुत महँगे हो जाते हैं तब मज़दूरी सस्ती हो जाती है। कारण यह है कि अकाल पड़ने से किसान लोग मज़दूरों से खेतों में काम नहीं ले सकते। या तो उनके पास मज़दूरी देने को अनाज नहीं होता या काम ही नहीं होता। परिणाम यह होता है कि मज़दूर लोग कोई दूसरा काम चाहते हैं और मज़दूरी कम मिलने से वे बेचारे बड़ी कठिनाई से बसर कर सकते हैं। जब अनाज की अधिक मांग होने से दाम बढ़ जाते हैं और किसान या ज़मीदार को अधिक लाभ होता है, तब मज़दूरी महँगी हो सकती है और हो जाती है। अमेरिका के घरेलू युद्ध (civil war) के समय में रूई के महँगे होने और पूर्व बंगाल में सन की खेती से अधिक लाभ के कारण मज़दूरी का

महँगा होना इसका प्रमाण है। जब मज़दूरी में उपज का अनाज मिलता है तो अनाज के महँगे होने से मज़दूर पर उस समय तक कुछ प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि वह अनाज को खाने से बचाकर व्यय न कर सके। यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी मज़दूर रखनेवालों को (अर्थात् उन अवस्थाओं में जिनमें बराबर मज़दूर नहीं रक्खे जाते, कभी कभी रख लिए जाते हैं) अनाज के रूप में मज़दूरी पर नक़द मज़दूरी की तरह मुक़ाबले से असर पड़ता है। मध्य प्रदेश में जहां गत दस वर्षों में दो बड़े अकाल पड़ चुके हैं और कई ख़राब फसिलें हो चुकी हैं मज़दूरी के बदले में नाज की या तो मात्रा कम हो रही है या बढ़िया नाज के स्थान पर मोटा (घटिया) नाज दिया जाने लगा है।

—:o:—

मनोरंजन पुस्तकमाला।

अब तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं—

(१) आदर्श-जीवन—लेखक रामचंद्र शुक्ल।
(२) आत्मोद्धार—लेखक रामचंद्र वर्म्मा।
(३) गुरु गोविंदसिंह—लेखक वेणीप्रसाद।
(४) आदर्श हिंदू १ भाग—लेखक मेहता लज्जाराम शर्म्मा।
(५) " २ " "
(६) " ३ " "
(७) राणा जंगबहादुर—लेखक जगन्मोहन वर्म्मा।
(८) भीष्म पितामह—लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्म्मा।
(९) जीवन के आनंद—लेखक गणपत जानकीराम दूबे बी.ए.
(१०) भौतिक-विज्ञान—लेखक संपूर्णानंद बी. एस-सी., एल.टी
(११) लालचीन—लेखक बृजनंदन सहाय।
(१२) कबीरवचनावली—संग्रहकर्त्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय।
(१३) महादेव गोविंद रानाडे—लेखक रामनारायण मिश्र बी. ए.।
(१४) बुद्धदेव—लेखक जगन्मोहन वर्म्मा।
(१५) मितव्यय—लेखक रामचंद्र वर्म्मा।
(१६) सिक्खों का उत्थान और पतन—लेखक नंदकुमार देव शर्म्मा।